Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

सितम्बर 2023

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- BRICS और भारत का बहुध्रुवीय दृष्टिकोण 3
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिये समग्र योजनाओं की आवश्यकता 7
- उर्वरक सब्सिडी में कमी लाना 11
- खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत की भूमिका 14
- एक देश, एक चुनाव के मायने 17
- भारत और नई विश्व व्यवस्था 19
- कुपोषण के अंतराल को भरना 21
- ब्रिक्स का विस्तार: पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती 24
- जल की कमी का समाधान 28
- G20: विकासशील विश्व का मंच 31
- सिंथेटिक मानव भ्रूण: सफलता या दुविधा 33
- मतदान प्रतिशत में वृद्धि 36
- 16वें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संघवाद को नया आकार मिलना 38
- भारत बनाम इंडिया 40
- भारत का कार्बन बाज़ार: हरित संवृद्धि का उत्प्रेरक 44
- डिजिटल पब्लिक गुड्स: सार्वजनिक सेवा वितरण में अंतराल को कम करना 47
- विज्ञान में लैंगिक असमानता: चुनौतियाँ और समानता की राह 50
- IMEC परियोजना के महत्त्व 53
- भारत-कनाडा संबंधों में तनाव 56
- अब्राहम एकॉर्ड के तीन वर्ष 58
- लैंगिक समानता हेतु महिला आरक्षण विधेयक 60
- सृजनात्मक अर्थव्यवस्था: अवसर और चुनौतियाँ 63
- G-20 डिप्लोमेसी एवं बदलती विश्व व्यवस्था 65
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023: न्यायपालिका के कार्यभार को सुगम बनाना 68
- जलवायु परिवर्तन एवं संक्रामक रोग 71
- AI के दौर में बच्चों की सुरक्षा 75
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 78

दृष्टि The Vision

नोट :

BRICS और भारत का बहुध्रुवीय दृष्टिकोण

15वाँ BRICS शिखर सम्मेलन (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेताओं की बैठक) अगस्त, 2023 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन ने विश्व की उन कुछ प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और संवाद का एक मंच प्रदान किया जो 21वीं सदी में साझा चुनौतियाँ और सदृश अवसर रखते हैं। शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय या थीम था- "ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिये साझेदारी (BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism)"

जोहान्सबर्ग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS@15) की उपलब्धियाँ:

- **बहुपक्षवाद और सुधार की पुष्टि:** ब्रिक्स नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें बहुपक्षवाद (multilateralism), अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law) और सतत विकास (sustainable development) के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) और अन्य वैश्विक संस्थानों को विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रतिनिधिक एवं उत्तरदायी बनाने के लिये उनमें सुधार की आवश्यकता के प्रति भी अपना समर्थन व्यक्त किया।
- **सदस्यता और प्रभाव का विस्तार:** ब्रिक्स नेताओं ने 'फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स' बैठक में भाग लेने के लिये अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण (Global South) के 15 देशों को आमंत्रित कर समूह की सदस्यता के विस्तार का समर्थन किया।
  - विस्तार का पहला चरण: छह देशों—अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। यह नई सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी।
    - उल्लेखनीय है कि 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा प्रकट की है।
    - ब्रिक्स के विस्तार के कारण:
  - वैश्विक प्रभाव के लिये चीन की रणनीतिक चाल।
  - साझा उद्देश्य के लिये समान विचारधारा वाले देशों के बीच व्यापक संलग्नता।
  - अन्य समूहों में सीमित विकल्प/अवसर।
  - पश्चिम विरोधी भावना और वैश्विक दक्षिण की एकता।
- **साझा मुद्रा:** ब्रिक्स नेता ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश के लिये एक साझा मुद्रा की संभावना की तलाश करने पर भी सहमत हुए।
  - उन्होंने अपने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को ऐसी मुद्रा की व्यवहार्यता एवं लाभों का अध्ययन करने का कार्य सौंपा है, जो अमेरिकी डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं पर उनकी निर्भरता को कम कर सके।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे:** ब्रिक्स नेताओं ने कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्त्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
  - उन्होंने सभी देशों के लिये टीकों और चिकित्सा आपूर्ति तक एकसमान पहुँच का आह्वान किया तथा स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार में अपना सहयोग बढ़ाने का संकल्प प्रकट किया।

नोट:

- वर्ष 2011 के ब्रिक्स के सान्या घोषणापत्र (Sanya Declaration) में निर्धारित सिद्धांत गैर-ब्रिक्स देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ संलग्नता एवं सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को सशक्त करने पर लक्षित हैं।
- वर्ष 2022 में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंगीकृत बीजिंग घोषणापत्र (Beijing Declaration) ने सदस्यता विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। चीन ने वर्ष 2017 में 'ब्रिक्स प्लस' विस्तार योजना का प्रस्ताव रखा था।

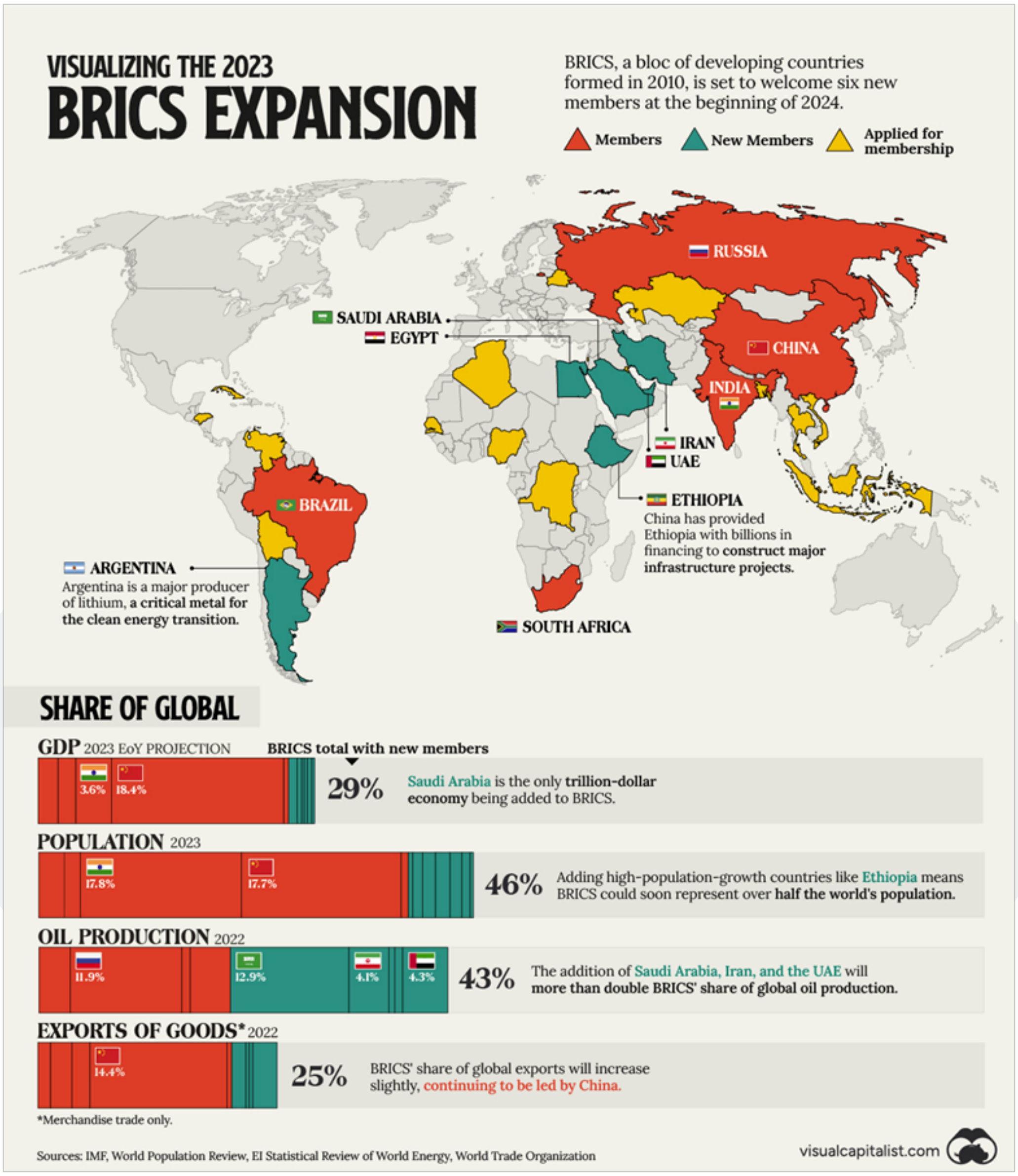

ब्रिक्स के साथ अपनी संलग्नता में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- **प्रतिद्वंद्वी हितों को संतुलित करना:** भारत को चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा, जिन्हें पश्चिम द्वारा तेज़ी से रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के रूप में देखा जा रहा है।
  - चीन का उदय भारत की सुरक्षा एवं हितों के लिये एक बड़ी चुनौती और खतरा है, विशेष रूप से सीमा विवाद, समुद्री सुरक्षा, व्यापार असंतुलन, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्द्धा और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर।
  - यूक्रेन युद्ध में रूस की भागीदारी और चीन के साथ उसके गठबंधन ने भी भारत में अपने इस पारंपरिक साझेदार की विश्वसनीयता और साख को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- **लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा, अभ्यास और पक्षसमर्थन:** भारत को अपनी स्वायत्तता या संप्रभुता से समझौता किये बिना पश्चिमी मानक अपेक्षाओं से निपटना होगा।
  - भारत वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को अलग-थलग या नाराज़ नहीं करना चाहता, जो ब्रिक्स या शंघाई सहयोग परिषद (SCO) जैसे गैर-पश्चिमी मंचों की सदस्यता या प्रभाव

बढ़ाने के चीन या रूस के प्रयासों को अनुकूल मान सकते हैं। भारत को एक व्यावहारिक और सैद्धांतिक विदेश नीति अपनानी होगी जो उसके राष्ट्रीय हितों और मूल्यों की पूर्ति करती हो।

- **द्विपक्षीय मतभेदों को प्रबंधित करना:** भारत चीन और पाकिस्तान के साथ अनसुलझे सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता की स्थिति रखता है, जो ब्रिक्स के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करती है। भारत अफगानिस्तान, ईरान और हिंद-प्रशांत जैसे मुद्दों पर भी रूस से भिन्न विचार रखता है। भारत को ब्रिक्स के अंदर बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए इन द्विपक्षीय मतभेदों को प्रबंधित करना होगा।
  - चीन के साथ भारत के लगातार व्यापार घाटे (trade deficit) की स्थिति ने आर्थिक संलग्नता की निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। यह व्यापार असंतुलन ब्रिक्स के अंदर भारत के आर्थिक हितों पर दबाव डाल सकता है और इसकी समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
- **चीन के प्रभुत्व को संतुलित करना:** चीन ब्रिक्स का सबसे बड़ा एवं सबसे प्रभावशाली सदस्य है, जिसका आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक दबदबा अन्य चार सदस्यों से कहीं अधिक है। भारत को ब्रिक्स के ढाँचे के भीतर साझा मुद्दों पर चीन के साथ सहयोग करने की आवश्यकता के साथ अपने हितों और मूल्यों को संतुलित करना होगा।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** चीन और रूस जैसे कुछ ब्रिक्स सदस्यों के साथ भारत के जटिल भू-राजनीतिक संबंध विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर एकजुट मोर्चा बनाए रखने में चुनौतियाँ पैदा करते हैं। क्षेत्रीय संघर्षों और सुरक्षा मामलों पर असहमति प्रभावी सहयोग में बाधा बन सकती है।
- **विकासात्मक असमानताएँ:** ब्रिक्स में चीन और रूस जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएँ और भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, दोनों शामिल हैं। सहयोग से समान लाभ सुनिश्चित करने के लिये सदस्य देशों के बीच विकास अंतराल को दूर करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- **बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय:** जबकि ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सहित वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार का लक्ष्य रखता है, सदस्य देश इन सुधारों के प्रति प्राय: अलग-अलग प्राथमिकताएँ और दृष्टिकोण रखते हैं।
- **विविध सुरक्षा चिंताएँ:** ब्रिक्स के सदस्य देशों में आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्षों से लेकर साइबर खतरों तक विविध सुरक्षा चिंताएँ पाई जाती हैं। इन चिंताओं को दूर करने और संयुक्त सुरक्षा पहलों के समन्वय के लिये सतर्क संवाद की आवश्यकता है।
- **बदलते वैश्विक गठबंधन:** भू-राजनीतिक गतिशीलता के विकास और परिवर्तन के साथ ब्रिक्स के कुछ सदस्य समूह के बाहर के देशों या संगठनों के साथ बी घनिष्ठ संबंध की तलाश कर सकते हैं। यह वैश्विक मंच पर ब्रिक्स की एकजुटता और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को प्रभावित कर सकता है।

ब्रिक्स (BRICS)

- **परिचय:**
  - ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम-समूह का संक्षिप्त रूप है (Brazil, Russia, India, China, and South Africa- BRICS)।
  - वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील (Jim O'Neill) ने चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की का वर्णन करने के लिये 'BRIC' शब्द गढ़ा था।
  - वर्ष 2006 में BRIC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया।
  - दिसंबर 2010 में BRIC में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ समूह के लिये 'BRICS' संक्षिप्त नाम का चयन किया गया।
- **ब्रिक्स की हिस्सेदारी:**
  - ब्रिक्स विश्व के पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को शामिल करता है; इस प्रकार, वैश्विक आबादी में 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 24% तथा वैश्विक व्यापार में 16% की हिस्सेदारी रखता है।
- **ब्रिक्स की अध्यक्षता:**
  - मंच की अध्यक्षता B-R-I-C-S अनुक्रम में बारी-बारी से प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक वर्ष के लिये की जाती है।
  - भारत ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और मेज़बानी की थी।
- **ब्रिक्स की प्रमुख पहलें:**
  - न्यू डेवलपमेंट बैंक:
    - वर्ष 2014 में फोर्टालेज़ा (ब्राज़ील) में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB – मुख्यालय: शंघाई, चीन) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था:
    - वर्ष 2014 में ब्रिक्स देशों की सरकारों ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement) की स्थापना के लिये एक संधि पर हस्ताक्षर किये।

- इस व्यवस्था का उद्देश्य अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबाव को रोकना, पारस्परिक समर्थन प्रदान करना तथा ब्रिक्स देशों की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना है।
- ब्रिक्स भुगतान प्रणाली:
  - ब्रिक्स देश स्विफ्ट (SWIFT) भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में एक भुगतान प्रणाली के सृजन का प्रयास कर रहे हैं।
- सीमा शुल्क समझौते:
  - ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन के समन्वय तथा सुगमता के लिये सीमा शुल्क समझौतों (Customs Agreements) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- सुदूर संवेदन उपग्रहों की डेटा साझेदारी पर समझौता:
  - समझौते के तहत ब्रिक्स देशों के विशिष्ट सुदूर संवेदन उपग्रहों का एक वर्चुअल नक्षत्रमंडल बनाया गया है, जिसमें अभी 6 उपग्रह शामिल हैं (2-2 भारत एवं चीन के, 1 रूस का और 1 ब्राज़ील-चीन सहयोग से प्रक्षेपित उपग्रह)।

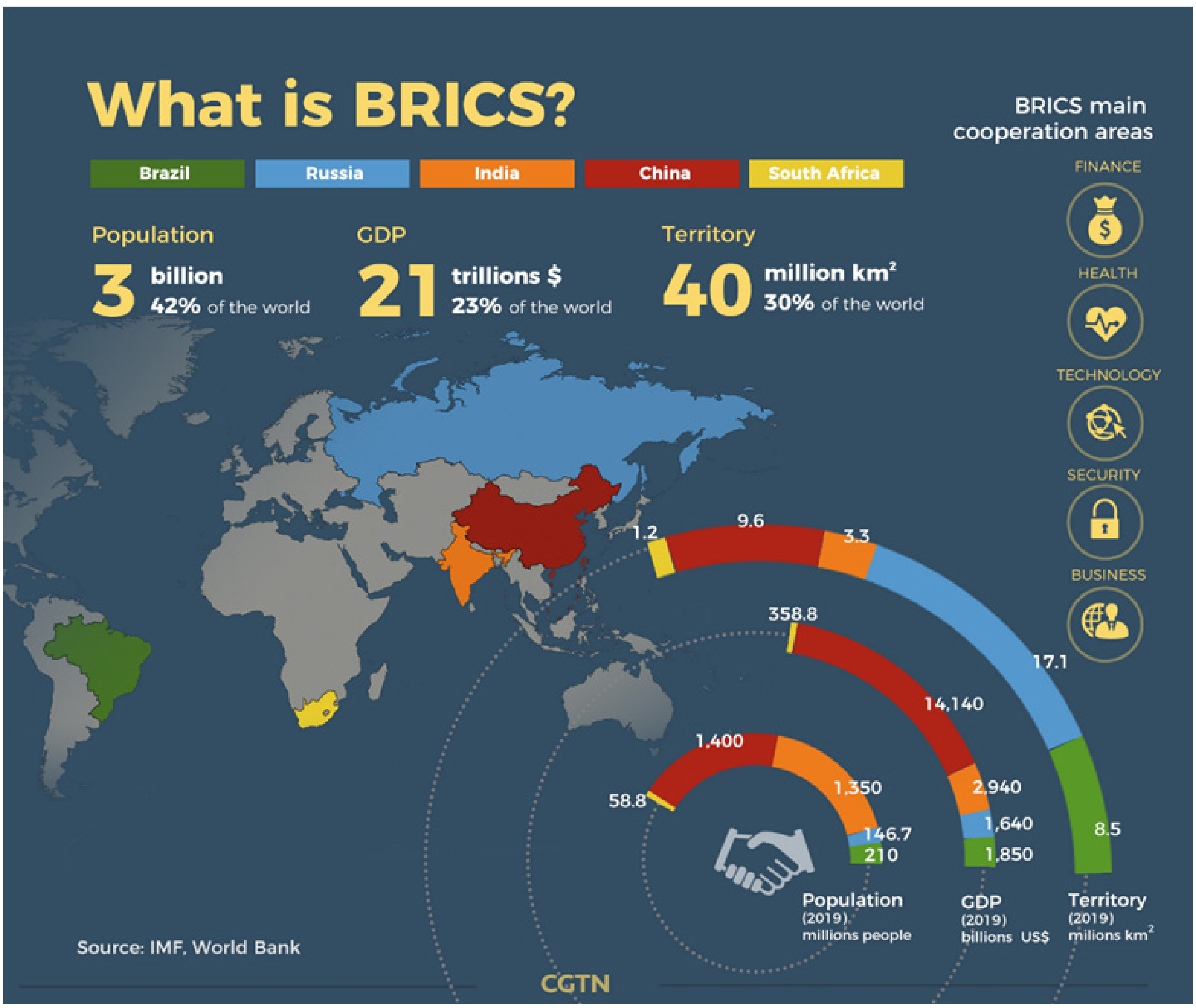

ब्रिक्स के अंदर सहयोग के संभावित:

- **समूह के भीतर सहयोग:** ब्रिक्स को चीन की केंद्रीयता समाप्त करने और विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता से प्रेरित एक बेहतर आंतरिक संतुलन का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- ब्रिक्स के आने वाले दशकों में प्रासंगिक बने रहने के लिये, इसके प्रत्येक सदस्य को अवसरों और अंतर्निहित सीमाओं का यथार्थवादी मूल्यांकन करना होगा।
- समूह को वृहत स्तरों पर और व्यापक दायरे में 'ब्रिक्स प्लस' सहयोग की तलाश करनी होगी।
  - इससे ब्रिक्स देशों का प्रतिनिधित्व और प्रभाव बढ़ेगा तथा वे विश्व शांति और विकास में अधिक योगदान कर सकेंगे।
- **सार्वभौमिक सुरक्षा को बनाये रखना:** ब्रिक्स देशों को सार्वभौमिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उठानी होगी। दूसरों की कीमत पर अपनी सुरक्षा की तलाश केवल नए तनाव और जोखिम ही पैदा करेगी।
  - प्रत्येक देश की सुरक्षा का सम्मान करना और उसकी गारंटी देना, टकराव/संघर्ष को संवाद एवं साझेदारी से सुलझाना तथा एक संतुलित, प्रभावी एवं संवहनीय क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के निर्माण को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।
  - इसके साथ ही, राजनीतिक परस्पर विश्वास एवं सुरक्षा सहयोग को सशक्त करना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर संचार एवं समन्वय बनाए रखना और एक-दूसरे के मूल हितों एवं प्रमुख चिंताओं को समायोजित करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।
- **आर्थिक हितों की सुरक्षा:** ब्रिक्स देशों को साझा विकास में योगदानकर्ता की भूमिका स्वीकार करनी चाहिये।
  - विवैश्वीकरण (de-globalisation) की बढ़ती लहर और एकपक्षीय प्रतिबंधों की वृद्धि के परिदृश्य में ब्रिक्स देशों को आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा, खाद्य एवं वित्तीय प्रत्यास्थता के मामले में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बेहतर बनाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स के लिये OECD की तर्ज पर एक संस्थागत अनुसंधान विंग विकसित करना उपयोगी होगा, जो ऐसे समाधान पेश करेगा जो विकासशील विश्व के लिये बेहतर अनुकूलित हों।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन:** ब्रिक्स देशों को अपनी-अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठाना चाहिये और ऐसी दिशा में सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन के विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना चाहिये जो विकासशील देशों के पक्ष में हो।
  - भारत का 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' (One Earth, One Health) का दृष्टिकोण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बहुपक्षीय सहयोग में उल्लेखनीय योगदान करता है
  - सदस्य देशों को 'ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर' का समुचित उपयोग करना चाहिये, बड़े पैमाने के संक्रामक रोगों पर रोक के लिये ब्रिक्स पूर्व-चेतावनी तंत्र स्थापित करना चाहिये और वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन सहयोग के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त सार्वजनिक भलाई प्रदान करनी चाहिये।
- **एक वैश्विक शासन दर्शन (Global Governance Philosophy):** वैश्विक चुनौतियाँ एक के बाद एक उभर रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिये वैश्विक कार्यकरणों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा करना आवश्यक है, जहाँ सुनिश्चित किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सभी की भागीदारी हो, अंतर्राष्ट्रीय नियम सभी द्वारा बनाए जाएँ और विकास के परिणाम सभी द्वारा साझा किये जाएँ।
  - ब्रिक्स को एक ऐसा वैश्विक शासन दर्शन अपनाना चाहिये जो व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान एवं साझा लाभों पर बल देता हो; उभरते बाज़ारों एवं विकासशील देशों के साथ एकजुटता एवं सहयोग को बढ़ाता हो; और वैश्विक शासन में अभिव्यक्ति को प्रबल करता हो।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिये समग्र योजनाओं की आवश्यकता

एक वैश्विक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में वाष्पों का हानिकारक मिश्रण (noxious mix of vapors) यहाँ के निवासियों की जीवन प्रत्याशा से लगभग 12 वर्ष की कटौती कर रहा है। यह प्रशासनिक उदासीनता की एक भयावह तस्वीर पेश करता है जिसके कारण साल दर साल वायु की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है और स्टॉप-गैप उपायों के साथ केवल तभी हस्तक्षेप किया जाता है जब साँस लेना सचमुच अत्यंत कठिन हो जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (Energy Policy Institute- EPIC) की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (Air Quality Life Index) 2023 रिपोर्ट में पाया गया कि दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर सबसे बदतर रहा। भारत में, उत्तरी मैदान—जहाँ देश की लगभग 40% आबादी निवास करती है—का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया, जहाँ प्रदूषण के कारण औसत निवासी की जीवन प्रत्याशा लगभग आठ वर्ष कम हो जाती है।

वायु प्रदूषण क्या है?

वायु प्रदूषण (Air Pollution) वायुमंडल में ऐसे पदार्थों की उपस्थिति के कारण घटित वायु दूषण या संक्रमण (contamination of air) की स्थिति है जो मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों के

स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है अथवा जलवायु या अन्य पदार्थों को क्षति पहुँचाता है। कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक हैं:

- **पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5):** ये छोटे ठोस या तरल कण होते हैं जो वायु में निलंबित स्थिति में पाए जाते हैं। वे धूल, परागकण और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक स्रोतों से अथवा जीवाश्म ईंधन, लकड़ी एवं अपशिष्ट के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से अथवा खनन, निर्माण एवं कृषि जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं।
  - PM2.5, PM10 से अधिक खतरनाक है क्योंकि यह फेफड़ों एवं रक्तप्रवाह में गहराई तक प्रवेश कर सकता है और कहीं अधिक स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकता है।
- **ओज़ोन (O_3):** यह एक गैस है जो तब बनती है जब सूर्य की किरणें वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के साथ प्रतिक्रिया करती हैं।
  - ओज़ोन लाभदायक या हानिकारक हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि यह वायुमंडल में कहाँ मौजूद है।
    - समताप मंडल (stratosphere) में उपस्थित ओज़ोन पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों से बचाती है।
    - हालाँकि, क्षोभमंडल (troposphere) में यह एक प्रदूषक है जो आँख, नाक एवं गले में जलन पैदा कर सकता है, फेफड़ों को क्षति पहुँचा सकता है और श्वसन संबंधी रोगों का कारण बन सकता है।
- **नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2):** यह एक गैस है जिसका निर्माण तब होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है।
  - NOX मोटर वाहनों, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक बॉयलरों जैसी दहन प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होती है।
  - NO_2 श्वसन संबंधी समस्याएँ—जैसे खांसी, घरघराहट और साँस लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है और संक्रमण एवं एलर्जी का खतरा बढ़ा सकती है।
  - NO_2 हवा में ओज़ोन और पार्टिकुलेट मैटर के निर्माण में भी योगदान देती है।
- **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO):** यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस है जो गैसोलीन, डीजल, कोयला, लकड़ी और चारकोल जैसे कार्बन-युक्त ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है।
  - CO शरीर के अंगों और ऊतकों, विशेषकर हृदय एवं मस्तिष्क तक पहुँचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकती है।
  - CO के उच्च स्तर से संपर्क सिरदर्द, चक्कर आना, मतली, थकान, भ्रम और यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकता है।
- **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2):** यह एक गैस है जो कोयला और तेल जैसे सल्फर युक्त ईंधन के दहन से उत्पन्न होती है।
  - SO_2 आँख, नाक एवं गले में जलन, खाँसी, साँस लेने में कठिनाई और अस्थमा के दौरे का कारण बन सकती है।
  - SO_2 वायु में उपस्थित जल वाष्प और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया कर अम्लीय वर्षा (acid rain) का निर्माण करती है, जो पौधों, मृदा, जल और इमारतों को हानि पहुँचा सकती है।
- **जल वाष्प:** जल वाष्प वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित ग्रीनहाउस गैस है और यह पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - हालाँकि, जल वाष्प प्रत्यक्ष प्रदूषक नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक जल चक्र का अंग है।
    - जलवाष्प एक प्रदूषक बन जाता है जब यह कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन जैसी अन्य ग्रीनहाउस गैसों के साथ अंत:क्रिया करता है और उनके वार्मिंग प्रभाव को बढ़ा देता है।
  - इसे 'वाटर वैपर फीडबैक लूप' कहा जाता है।

भारत में वायु प्रदूषण के प्राथमिक कारण

- **वाहन उत्सर्जन:** वाहन भारत में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के एक अध्ययन के अनुसार, वाहन PM2.5 उत्सर्जन के मामले में दिल्ली में 40%, मुंबई में 30%, कोलकाता में 28% और बेंगलुरु में 20% योगदान करते हैं।
- **औद्योगिक चिमनी अपशिष्ट:** भारत में वायु प्रदूषण में उद्योग एक अन्य प्रमुख योगदानकर्ता हैं, विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में।
  - ग्रीनपीस इंडिया (Greenpeace India) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 287 कोयला-आधारित तापीय बिजली संयंत्रों में से 139 वर्ष 2019 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे।
    - ये संयंत्र सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, पारा और VOCs उत्सर्जित करते हैं, जो अम्लीय वर्षा, स्मॉग, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

- **जीवाश्म ईंधन का दहन:** कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले बिजली संयंत्र, कारखाने और घर भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं।
    - विश्व बैंक समूह के अनुसार, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व में CO_2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
- **कृषि संबंधी गतिविधियाँ:** फसल अवशेष या पराली दहन, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग और पशुधन पालन जैसी कृषि संबंधी गतिविधियाँ भी भारत में वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं।
    - IIT दिल्ली के एक अध्ययन के अनुसार, नवंबर 2019 में चरम प्रदूषण के दौरान दिल्ली के $PM_{2.5}$ सांद्रता में पराली दहन का योगदान 44% रहा था।
        - पराली दहन हवा में धुआँ, धूल, अमोनिया, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्सर्जित करता है।
        - ये प्रदूषक मृदा की गुणवत्ता, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।
- **घर के अंदर वायु प्रदूषण (Indoor Air Pollution):** लकड़ी, उपले या चारकोल जैसे बायोमास ईंधन के साथ खाना पकाना भारत में वायु प्रदूषण का एक अन्य स्रोत है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 800 मिलियन से अधिक लोग रसोई के लिये ठोस ईंधन पर निर्भर हैं।
        - ये ईंधन कोयले की तुलना में पाँच गुना अधिक सांद्रता में धुआँ और इनडोर वायु प्रदूषक पैदा करते हैं।
        - ये प्रदूषक आँखों में जलन, फेफड़ों में संक्रमण, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) और समयपूर्व मौत का कारण बन सकते हैं।
- **कूड़ा-कचरा जलाना:** भारत में बहुत से लोग अपने घरेलू कूड़े-कचरे को खुली जगहों पर जलाकर उसका निपटान करते हैं। यह अभ्यास हवा में जहरीले रसायन और डाइऑक्सिन छोड़ता है, जो कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है।
    - 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट' (TERI) के एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2018 में सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली के PM_{10} सांद्रता में अपशिष्ट दहन का योगदान 29% था।
        - अपशिष्ट दहन से ब्लैक कार्बन भी उत्सर्जित होता है, जो एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है और यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है।
- **बूचड़ उद्योग:** गाय और भैंस जैसे जुगाली करने वाले पशुओं की पाचन प्रक्रियाओं से मीथेन का उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक उल्लेखनीय योगदानकर्ता है। 100 वर्ष की अवधि में मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 28 गुना अधिक होती है।
    - इसके अतिरिक्त, पशुओं के अपशिष्ट और शवों के अपघटन से अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे प्रदूषक निकलते हैं।
    - चिंता का एक अन्य विषय निपटान विधि के रूप में पशुओं के अपशिष्ट और शवों को जलाना है, जो हवा में कणिका पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं।
    - सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का बूचड़ उद्योग प्रति वर्ष लगभग 2.7 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट और 3.6 बिलियन लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न करता है।
        - रिपोर्ट से यह भी उजागर हुआ है कि अधिकांश बूचड़खानों में उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली या प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं होते हैं और वे प्राय: पर्यावरणीय मानदंडों एवं विनियमों का उल्लंघन करते हैं।

वायु प्रदूषण से निपटने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ

- प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाने और प्रदूषणकारी गतिविधियों को दंडित करने में सक्षम मौजूदा विनियमों और मानकों का कमजोर प्रवर्तन एवं अनुपालन।
- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और अभ्यासों के अंगीकरण के लिये अपर्याप्त वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन जो विभिन्न क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
- वायु प्रदूषण के कारणों, प्रभावों और समाधानों के संबंध में आम लोगों और अन्य हितधारकों की कम जागरूकता एवं भागीदारी।
- प्रासंगिक संस्थानों और हितधारकों के बीच क्षमता एवं विशेषज्ञता का अभाव जो प्रभावी वायु प्रदूषण नीतियों एवं कार्यक्रमों का डिज़ाइन निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन कर सके।
- बदलती जलवायु परिस्थितियों और चरम मौसमी घटनाओं के लिये अनुकूलन एवं प्रत्यास्थता की कमी जो वायु प्रदूषण के स्तर और प्रभावों को बढ़ा सकती है।
- अनुसंधान और नवाचार का अभाव जो वायु प्रदूषण शमन और अनुकूलन के लिये साक्ष्य-आधारित समाधान एवं प्रौद्योगिकियाँ उत्पन्न कर सकता है।

- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का तेज़ी से उभार हुआ है, लेकिन वित्तपोषण और विनियमन के मामले में पिछड़ापन बना हुआ है।
- अकुशल परिवहन प्रणालियाँ और खराब भूमि उपयोग पैटर्न।
- ईंट भट्टे, धातु गलाई, फाउंड्री, टेनरी जैसे विभिन्न अनियमित लघु उद्योगों की उपस्थिति, जो उचित पर्यावरण परमिट या नियंत्रण के बिना संचालित होते हैं।

आगे की राह

- **ऊर्ध्वाधर वन (Vertical forests):** वनस्पति से आच्छादित गगनचुंबी इमारतों का निर्माण न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में मदद करता है बल्कि जैव विविधता के लिये पर्यावास भी प्रदान करता है। वे प्राकृतिक वायु शोधक (air purifiers) के रूप में कार्य कर सकते हैं और शहर के समग्र सौंदर्य में योगदान कर सकते हैं।
- **एयर प्यूरीफायर और स्मॉग टावर स्थापित करना:** वे वायुजनित कणों को फिल्टर कर सकते हैं और वायु की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। ये उपकरण हवा से प्रदूषकों को जब्त करने और उन्हें हटाने के लिये विभिन्न प्रौद्योगिकियों, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्षा (electrostatic precipitation), सक्रिय कार्बन (activated carbon), या उच्च दक्षता कण वायु (High Efficiency Particulate Air- HEPA) फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं।
- **निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रचार:** सोलर पैनल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल या जैव ईंधन, विंड टरबाइन, बायोगैस संयंत्र और इलेक्ट्रिक वाहन जैसी प्रौद्योगिकियाँ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकती हैं।
  - ये प्रौद्योगिकियाँ स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकती हैं, हरित रोज़गार सृजित कर सकती हैं और जलवायु परिवर्तन को कम कर सकती हैं।
- **शहरी हरित स्थान:** पार्क, उद्यान और रूफटॉप जैसे शहरी हरित स्थान (Urban Green Spaces) का निर्माण करना जो वायु की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, 'हीट आइलैंड इफेक्ट' (heat island effect) को कम कर सकते हैं और मनोरंजक लाभ प्रदान कर सकते हैं। शहरी हरित स्थान जैव विविधता की भी संवृद्धि कर सकते हैं, कार्बन पृथक्करण में मदद कर सकते हैं और शहर के सौंदर्य में सुधार कर सकते हैं।
- **'कंजेशन प्राइसिंग' और 'लो एमिशन ज़ोन':** 'कंजेशन प्राइसिंग' (Congestion Pricing) और 'लो एमिशन ज़ोन' (Low Emission Zones) का प्रवर्तन करना जहाँ शहर के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश के लिये वाहनों से शुल्क वसूल किया जा सकता है या उच्च प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  - ये नीतियाँ वाहन चालकों को स्वच्छ वाहनों को अपनाने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे शहरी केंद्रों में यातायात की भीड़ और उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
- **बायोमास ब्रिकेट्स/पेलेट्स (Biomass Briquettes/ Pellets):** बायोमास पेलेट्स कृषि या वन अवशेषों, जैसे चावल की भूसी, चूरा या खोई से बनाए जाते हैं और ये ग्रामीण परिवारों के लिये एक सस्ता और कुशल ईंधन स्रोत प्रदान कर सकते हैं।
- **बायोमिमिक्री (Biomimicry):** इमारतों और सामग्रियों को डिज़ाइन करने के लिये बायोमिमिक्री का उपयोग करना जो वायु शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अनुकरण कर सकते हैं, जैसे कि ज़िम्बाब्वे में ईस्टगेट सेंटर जो दीमक के टीले से प्रेरित निष्क्रिय शीतलन (passive cooling) का उपयोग करता है।
  - बायोमिमिक्री सेल्फ-क्लीनिंग पेंट, स्मोग-ईटिंग कंक्रीट या कृत्रिम पत्तियों (artificial leaves) जैसे नवाचारों को भी प्रेरित कर सकता है।
  - बायोमिमिक्री एक अभ्यास है जो मानव डिज़ाइन चुनौतियों को हल करने के लिये प्रकृति में पाई जाने वाली रणनीतियों से सीखता है और उनका अनुकरण करता है।
- **नवोन्मेषी समाधानों का समर्थन करना:** सामाजिक उद्यमों या स्टार्ट-अप का समर्थन करना जो वायु प्रदूषण के लिये नवोन्वेषी समाधान प्रदान कर सकते हैं, जैसे ग्रेविकी लैब्स (Graviky Labs), चक्र इनोवेशन (Chakr Innovation), हेल्प-अस-ग्रीन (HelpUsGreen) आदि।
  - ग्रेविकी लैब्स ने कालिंक (Kaalink) का निर्माण किया है। इसे जनरेटर और ईंधन टैंक से जोड़े जाने पर यह प्रदूषण को जब्त करता है और इसे प्रयोग योग्य स्याही में बदल देता है।
- **प्रदूषण शमन के लिये स्ट्रीट फर्नीचर:** प्रदूषण को दूर भगाने के लिये स्ट्रीट फर्नीचर (Street Furniture) स्थापित करना। शहरीकरण की वृद्धि के साथ और अधिक पेड़ लगाने के लिये जगह की कमी हो गई है।
  - ग्रीन सिटी सॉल्यूशंस (Green City Solutions) ने यूरोप के कई शहरों में महत्त्वपूर्ण स्थलों पर काई से ढके पेड़ बेंच स्थापित किये हैं जो प्रदूषकों को सोख सकते हैं।

नोट :

- **वायु शोधक हेलमेट:** ये ऐसे हेलमेट हैं जिनमें एक अंतर्निहित वायु शोधक मौजूद होता है जो वायु से हानिकारक प्रदूषकों को फिल्टर कर सकता है। यह हेलमेट उन बाइक चालकों के लिये डिज़ाइन किया गया है जो सड़कों पर उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क में आते हैं। हेलमेट में सेंसर भी लगे होते हैं जो हवा की गुणवत्ता की निगरानी कर सकते हैं और असुरक्षित होने पर उपयोगकर्ता को सचेत कर सकते हैं।
  - दिल्ली में अवस्थित शेलिओस (Shellios) नामक स्टार्ट-अप ऐसे हेलमेट के प्रोटोटाइप का परीक्षण कर रहा है।
- **विभेदक टोल उपचार:** यह एक ऐसी नीति है जो उन वाहनों के लिये अधिक टोल शुल्क वसूल करती है जो अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि डीजल ट्रक और पुरानी कारें। विभेदक टोल उपचार ड्राइवरों को स्वच्छ वाहनों को अपनाने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे सड़कों पर यातायात की भीड़ और उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
- **'हॉट लेन':** ये सड़कों की ऐसी लेन हैं जो उच्च अधिभोग वाले वाहनों के लिये आरक्षित होती हैं, जैसे कारपूलिंग या सार्वजनिक बस। हॉट लेन लोगों को सवारी साझा करने या बड़े सवारी वाहनों का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या और उनके द्वारा उत्पादित उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। हॉट लेन उपयोगकर्ताओं के लिये यात्रा के समय और ईंधन की खपत को भी कम कर सकती है।

निष्कर्ष

भारत में बुनियादी आजीविका से जुड़े मुद्दे प्राय: चुनावी आख्यान पर हावी रहते हैं, जिससे कार्यकारी को प्रदूषण के मोर्चे पर संवीक्षा से बचने का अवसर मिल जाता है। लेकिन कोई भी देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता किये बिना आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर पाया है। सरकार को प्रदूषण से प्रेरित स्वास्थ्य खतरों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इस क्रम में पहला कदम यह होगा कि वायु संबंधी कार्रवाइयों को महज शीतकालीन कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जाए और समग्र वार्षिक रणनीतियाँ विकसित की जाएँ।

उर्वरक सब्सिडी में कमी लाना

केंद्रीय बजट 2023-24 ने रासायनिक एवं वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture- RA) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये पीएम-प्रणाम (PM-PRANAM) लॉन्च किया है।

RA एक परिणाम-आधारित खाद्य उत्पादन प्रणाली है जो मृदा के स्वास्थ्य का पोषण एवं पुनर्स्थापन करती है, जलवायु, जल संसाधनों एवं जैव विविधता की रक्षा करती है और खेतों की उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाती है।

PM PRANAM योजना:

- पीएम प्रणाम 'धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम' (PM PRANAM –PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth) को इंगित करता है
- यह रासायनिक उर्वरकों में कमी लाने और वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने पर लक्षित है।
- यह रासायनिक उर्वरकों पर प्रदत्त सब्सिडी के बोझ को कम करेगा, जिसके वर्ष 2022-2023 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।
- यह भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक प्रत्यास्थी (resilient) बनाएगा।
- यह उन राज्यों को प्रोत्साहन (incentives) प्रदान करेगा जो पिछले तीन वर्षों में अपनी औसत खपत से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं।
  - राज्यों को सब्सिडी बचत का 50% अनुदान के रूप में प्राप्त होगा, जिसका उपयोग वे वैकल्पिक उर्वरकों से संबंधित आस्ति निर्माण, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और जागरूकता सृजन हेतु कर सकते हैं।
- इसमें किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और स्व-सहायता समूहों (SHGs) की भागीदारी शामिल होगी जो उर्वरक उपयोग में कमी लाने के प्रयासों से संलग्न हैं।
- यह पर्यावरण संबंधी चिंता के संबंध में हरित कृषि और सतत/संवहनीय कृषि अभ्यासों को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस के अनुरूप है।
  - यह राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture- NMSA), जलवायु-प्रत्यास्थी कृषि पर राष्ट्रीय पहल (National Initiative on Climate Resilient Agriculture- NICRA) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी पहले से क्रियान्वित पहलों का समर्थन करेगा।

नोट :

भारत में उर्वरक के उपयोग से संबद्ध प्रमुख समस्याएँ:

- **उर्वरक उपयोग में असंतुलन:** भारत में नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटैशियम (K) उर्वरकों के लिये अनुशंसित अनुपात 4:2:1 है, लेकिन वास्तविक अनुपात नाइट्रोजन के लिये अत्यंत उच्च और फॉस्फोरस एवं पोटैशियम के लिये निम्न है। इससे पोषक तत्वों की कमी, मृदा के क्षरण और निम्न फसल पैदावार की स्थिति बनती है।
    - नीति आयोग (NITI Aayog) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत में औसत NPK अनुपात 8:3:1 था, जो 4:2:1 के अनुशंसित अनुपात से बहुत दूर था।
- **नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग:** भारत विश्व में यूरिया (एक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक) का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालाँकि, यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा स्वास्थ्य, जल गुणवत्ता और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यूरिया अन्य उर्वरकों के उत्पादन को भी प्रभावित करता है, जिससे उर्वरक बाज़ार में विकृतियाँ पैदा होती हैं।
- **घरेलू उत्पादन का अभाव और आयात पर निर्भरता:** भारत के पास P एवं K उर्वरकों के घरेलू संसाधन सीमित हैं और यह अन्य देशों से आयात पर अत्यधिक निर्भर है। इससे भारत वैश्विक कीमतों और इन उर्वरकों की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा, भारत ने 1990 के दशक के बाद से अपनी घरेलू उर्वरक उत्पादन क्षमता का विस्तार करने में कोई उल्लेखनीय निवेश नहीं किया है।
    - उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, P&K उर्वरक की भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता 24.66 मिलियन मीट्रिक टन है, जो घरेलू मांग के केवल 50% भाग की ही पूर्ति कर पाती है।
        - शेष आवश्यकता की पूर्ति चीन, रूस, मोरक्को, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों से आयात के माध्यम से की जाती है।
- **अकुशल वितरण और सब्सिडी प्रणाली:** भारत में किसानों को उर्वरकों पर सब्सिडी देने की एक जटिल और महंगी प्रणाली मौजूद है, जिसमें कई एजेंसियाँ, मध्यस्थ और लीकेज की समस्या संलग्न है। सब्सिडी प्रणाली किसानों को उर्वरकों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने या जैविक या जैव-उर्वरक अपनाने के लिये पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित नहीं कर पाई है।
    - केंद्रीय बजट की व्यय सूची में उर्वरक सब्सिडी एक 'स्टिकी आइटम' बन गई है। सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिये 1.75 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किये हैं, जो लगातार चौथे वर्ष एक ट्रिलियन रुपए से अधिक है।
    - उर्वरक उत्पादन के लिये LNG पर निर्भरता भारत को उच्च और अस्थिर वैश्विक गैस कीमतों के संपर्क में लाती है और देश को बढ़ते उर्वरक सब्सिडी बिल का सामना करना पड़ता है।
        - वित्त वर्ष 2020-21 में उर्वरक क्षेत्र में एलएनजी का उपयोग कुल गैस खपत का 63% तक था।

उर्वरकों के अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव:

- **पर्यावरण प्रदूषण:** उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है क्योंकि उनका अवशिष्ट और उनकी अप्रयुक्त मात्रा वायु, जल एवं मृदा के लिये प्रदूषक बन जाते हैं।
    - सुपोषण/यूट्रोफिकेशन (Eutrophication): उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जल निकायों में सुपोषण की स्थिति बन सकती है, जिसमें शैवाल और अन्य जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि होती है जो फिर जल में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देते हैं और जलीय जीवन को हानि पहुँचाते हैं।
- **मृदा क्षरण (Soil degradation):** केवल नाइट्रोजन उर्वरक के लगातार उपयोग से मृदा की उर्वरता घट सकती है और अन्य मैक्रो एवं माइक्रो पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। यह मृदा के सूक्ष्म वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को भी प्रभावित कर सकता है जो मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिये आवश्यक होते हैं।
- **फसल गुणवत्ता में कमी:** उर्वरकों के अनुपयुक्त उपयोग के परिणामस्वरूप प्रजनन संरचनाओं (जैसे फल और अनाज) की कीमत पर पौधे के दूसरे हिस्सों (जैसे पत्तियाँ और तने) की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज में कमी आ सकती है।

भूजल संदूषण: अत्यधिक उपयोग किये गए उर्वरकों से निकलने वाला नाइट्रेट भूजल को दूषित कर सकता है, जिससे उन लोगों के लिये स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है जो पेयजल के लिये इन स्रोतों पर निर्भर होते हैं। पेयजल में नाइट्रेट का स्तर बढ़ने से मेथेमोग्लोबिनीमिया (methemoglobinemia) या 'ब्लू बेबी सिंड्रोम' (blue baby syndrome) की स्थिति बन सकती है।

- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** उर्वरकों के साथ संयोजन में प्राय: उपयोग किये जाने वाले कीटनाशक एवं शाकनाशक अनुचित या अत्यधिक मात्रा में उपयोग किये जाने पर किसानों और उपभोक्ताओं के लिये स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
- **आर्थिक बोझ:** उर्वरक का अत्यधिक उपयोग किसानों के लिये आर्थिक रूप से असंवहनीय सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे फसल की पैदावार में वृद्धि के बिना इनपुट लागत में वृद्धि हो सकती है। इससे छोटे और सीमांत किसानों में कर्जदारी बढ़ सकती है।

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** सिंथेटिक उर्वरकों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O), में योगदान देता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करने वाला एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।
- **फसल द्वारा पोषक तत्व ग्रहण में असंतुलन:** उर्वरक के अनुचित अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप मृदा में पोषक तत्वों के असंतुलन की स्थिति बन सकती है, जो फसलों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण को प्रभावित कर सकता है और आगे के फसल मौसमों में सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पड़ सकती है।

पीएम प्रणाम कार्यक्रम की उर्वरक व्यवस्था के सुधार में भूमिका:

- **सब्सिडी बिल में कमी:** पीएम प्रणाम वैकल्पिक उर्वरकों या जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देकर सरकार के सब्सिडी बिल को कम करने में योगदान दे सकता है। इसके तहत सरकार राष्ट्र-स्तरीय सूक्ष्म-उर्वरक एवं कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क का निर्माण करने के साथ 10,000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।
  - पीएम प्रणाम इन जैव-उर्वरकों के उत्पादन और अंगीकरण का समर्थन कर रासायनिक उर्वरक सब्सिडी के मामले में सरकार पर वित्तीय बोझ को धीरे-धीरे कम करने में योगदान दे सकता है।
- **राजकोषीय घाटे का नियंत्रण:** पीएम प्रणाम के प्रसार के माध्यम से सब्सिडी बिल कम करने से भारत के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। राजकोषीय घाटा देश के लिये एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक चुनौती सिद्ध हो सकता है और सब्सिडी को कम करना इस समस्या के समाधान का एक उपाय है।

उर्वरक सब्सिडी को क्रमिक रूप से समाप्त करना: पीएम प्रणाम रासायनिक उर्वरकों पर प्रदत्त सब्सिडी को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। सरकार वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिये समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान कर रासायनिक उर्वरक सब्सिडी के प्रति अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को कम कर सकती है।

- **उर्वरक सहकारी समितियों के लिये समर्थन:** पीएम प्रणाम किसान उर्वरक सहकारी समितियों (Farmer Fertiliser Cooperatives) को जैव उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस समर्थन से आकारिक मितव्ययिता (economies of scale) की वृद्धि हो सकती है और वैकल्पिक उर्वरकों के लिये अधिक व्यापक वितरण नेटवर्क का निर्माण हो सकता है।

बिक्री और वितरण नेटवर्क को प्रोत्साहित करना: बिक्री और वितरण नेटवर्क को प्रोत्साहित (incentivize) करने के लिये जैव उर्वरकों के लिये मूल्य निर्धारण और मार्जिन रणनीतियों पर कार्य करना महत्त्वपूर्ण है। पीएम प्रणाम जैव-उर्वरक उत्पादन एवं वितरण से संलग्न सहकारी समितियों और व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान कर इसे सुविधाजनक बना सकता है।

- **प्रदर्शन और प्रमाणन:** पीएम प्रणाम किसानों के खेतों पर वैकल्पिक उर्वरकों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने की पहल का समर्थन कर सकते हैं। यह विश्वास-निर्माण और किसानों को इन उत्पादों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है। इन जैव-उर्वरकों का प्रमाणीकरण गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर सकता है और किसानों या किसान संगठनों को उनकी उपज के लिये बेहतर कीमत दिलाने में मदद कर सकता है।

अन्य सरकारी पहलें:

- **एक राष्ट्र - एक उर्वरक (One Nation One Fertilizer- ONOF):** इस योजना को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (PMBJP) के रूप में भी जाना जाता है जिसे वर्ष 2022 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत आने सभी उर्वरक निर्माताओं द्वारा उर्वरकों के लिये एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग करना आवश्यक है। ब्रांड का नाम भारत (Bharat) रखा गया है और इसमें यूरिया, DAP, NPK और MOP सहित सभी प्रकार के उर्वरक शामिल हैं।
  - इस योजना का उद्देश्य देश भर में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण करना, उर्वरकों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के बारे में किसानों के भ्रम को दूर करना, लागत को कम करना एवं उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाना और उर्वरकों की देश भर में आवाजाही को कम करके माल ढुलाई सब्सिडी की बचत करना है।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer- DBT):** यह प्रणाली उर्वरक विभाग द्वारा किसानों को उर्वरक खरीद हेतु सब्सिडी राशि प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत खुदरा दुकानों पर स्थापित पॉइंट ऑफ सेल (PoS) उपकरणों के माध्यम से किसानों को उर्वरक की बिक्री के बाद उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी हस्तांतरित की जाती है।
  - इस प्रणाली का उद्देश्य उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, सब्सिडी के विचलन एवं लीकेज को रोकना, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और सब्सिडी भुगतान के लिये एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली का निर्माण करना है।

नोट :

- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy- NBS):** यह योजना वर्ष 2010 में उर्वरक विभाग द्वारा उत्पादों के बजाय पोषक तत्वों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी। इस योजना के तहत नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटैशियम (K) और सल्फर (S) जैसे पोषक तत्वों
- लिये सब्सिडी दरें सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये पहले से तय कर दी जाती हैं। निर्माता और आयातक बाज़ार की स्थितियों के आधार पर अपने उत्पादों की खुदरा कीमत तय करने के लिये स्वतंत्र हैं।
  - इस योजना का उद्देश्य जटिल उर्वरकों के उत्पादन एवं खपत को प्रोत्साहित करना, NPKS पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, सरकार पर सब्सिडी के बोझ को कम करना और उर्वरक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को प्रेरित करना है।
- **नीम-लेपित यूरिया (Neem Coated Urea-NCU):** यह योजना सरकार द्वारा मृदा के स्वास्थ्य को संरक्षित करने और बेहतर फसल पैदा करने के लिये जैविक यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसान बचत में लगभग 10% की कटौती करने के लिये केवल नीम लेपित जैविक यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। जिस यूरिया को नीम के बीज के तेल से लेपित किया जाता है उसे नीम-लेपित यूरिया कहा जाता है।
  - सरकार ने सभी स्वदेशी और आयातित यूरिया को नीम-लेपित करना अनिवार्य कर दिया है ताकि मृदा में यूरिया की धीरे-धीरे रिहाई सुनिश्चित हो और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये इसका उपयोग करना कठिन हो जाए।
  - इस योजना का उद्देश्य यूरिया के उपयोग को विनियमित करना, फसल के लिये नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाना, उर्वरक अनुप्रयोग की लागत को कम करना, सब्सिडी की बर्बादी एवं विचलन को रोकना और यूरिया के कारण होने वाले मृदा एवं जल प्रदूषण को कम करना है।

खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत की भूमिका

चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग और इस तिमाही (Q1FY24) 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर, एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की छवि को सुदृढ़ करेगी। भारत न केवल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में अपने वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का भी प्रदर्शन कर सकता है, जो लगातार दो वर्षों से G20 देशों के बीच उच्चतम विकास दर प्राप्त करने के लिये तैयार है। इसकी निश्चित रूप से कई लोगों द्वारा सराहना की जाएगी और प्रधानमंत्री वर्ष 2047 तक के 'अमृत काल' के दौरान वैश्विक मंच पर भारत के उद्भव की घोषणा कर सकते हैं, जहाँ 'वसुधैव कुटुंबकम' - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य (One Earth, One Family, One Future) के दर्शन के तहत विज्ञान एवं अर्थव्यवस्था के लाभ को वृहत स्तर पर मानव जाति के लिये उपलब्ध कराने की महत्त्वाकांक्षा रखी गई है।

वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

विश्व बैंक (World Bank) के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया की लगभग 9.2% आबादी भूखमरी का सामना कर रही थी, जबकि वर्ष 2019 में यह आबादी 7.9% रही थी। वर्ष 2022 में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा वैश्विक आबादी के 29.6% (2.4 बिलियन लोगों) को प्रभावित कर रही थी, जिसमें से 11.3% आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा की शिकार थी।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme-WFP) का अनुमान है कि वर्ष 2023 में 345 मिलियन से अधिक लोग उच्च स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे होंगे। यह वर्ष 2020 में उनकी संख्या की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।

खाद्य असुरक्षा के कुछ प्रमुख कारण:

- **रूस-यूक्रेन युद्ध:** रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है। इसके अलावा, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद विभिन्न देशों द्वारा अधिरोपित व्यापार-संबंधी नीतियों की वृद्धि हुई है। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतें कम करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए खाद्य व्यापार प्रतिबंधों की बढ़ती संख्या से वैश्विक खाद्य संकट आंशिक रूप से और गंभीर हो गया है।
  - जून 2023 तक की स्थिति के अनुसार 20 देशों द्वारा 27 खाद्य निर्यात प्रतिबंध लागू किये गए हैं, जबकि 10 देशों ने 14 निर्यात-सीमाकारी उपाय (export-limiting measures) लागू किये हैं।
- **घरेलू मुद्रास्फीति:** कई देशों में घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति ने आग में घी डालने का काम किया है तथा विश्व में खाद्य असुरक्षा की समस्या को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिये, भारत ने अपनी घरेलू आबादी का समर्थन करने के लिये गेहूँ और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **जलवायु परिवर्तनशीलता और चरमताएँ:** जलवायु परिवर्तन ने जल, भूमि और जैव विविधता की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को प्रभावित किया है, जो खाद्य उत्पादन के लिये आवश्यक होते हैं। इसने कीटों, बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं के पैटर्न एवं

तीव्रता को भी बदल दिया है, जिससे फसल की पैदावार और पशुधन उत्पादकता कम हो गई है। जलवायु परिवर्तन ने खाद्य कीमतों में अस्थिरता की भी वृद्धि की है और कमज़ोर परिवारों की क्रय शक्ति कम कर दी है।

- खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Food Crises) के अनुसार, मौसम और जलवायु की चरमताएँ (weather and climate extremes) वर्ष 2021 में 12 देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा की प्रमुख चालक थीं, जिससे लगभग 57 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे।

- **आर्थिक मंदी और गिरावट:** इन्होंने गरीब और हाशिये पर स्थित लोगों के लिये आय एवं रोज़गार के अवसरों को कम कर दिया है, जिनकी आय का एक बड़ा हिस्सा खाद्य पर खर्च होता है। आर्थिक झटकों (Economic shocks) ने खाद्य की आपूर्ति एवं मांग को भी प्रभावित किया है, जिससे खाद्य की कीमतें बढ़ गई हैं और उनकी गुणवत्ता कम हो गई है। आर्थिक संकटों ने सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान को भी महत्त्वहीन कर दिया है, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती हैं।
  - यूरोपीय संघ साइंस हब (EU Science Hub report) रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक झटके वर्ष 2023 में 22 देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण सिद्ध हो सकते हैं। इन झटकों से 153.3 मिलियन लोगों के प्रभावित होने की आशंका है।

खाद्य सुरक्षा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **स्वास्थ्य और पोषण:** खाद्य सुरक्षा कुपोषण और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं (जैसे स्टंटिंग, संज्ञानात्मक विकलांगता और रोग संवेदनशीलता) पर नियंत्रण कर व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करती है।
  - कुपोषण (Malnutrition) प्रति वर्ष 3.1 मिलियन बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों का लगभग आधा भाग है।
- **आर्थिक स्थिरता:** खाद्य सुरक्षा व्यक्तियों और राष्ट्रों को अधिक उत्पादक बनने, आय उत्पन्न करने तथा व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाकर उनकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ाती है। दूसरी ओर, खाद्य असुरक्षा उत्पादकता को कम कर सकती है और आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती है।
  - विश्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि खोई हुई उत्पादकता और मानव पूंजी के संदर्भ में कुपोषण की वैश्विक लागत प्रति वर्ष 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- **सामाजिक स्थिरता:** खाद्य सुरक्षा खाद्य संबंधी संघर्षों, हिंसा और प्रवासन को रोककर सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। खाद्य की कमी, कीमतों में बढ़ोतरी और असमान पहुँच के कारण खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशांति एवं अस्थिरता को जन्म दे सकती है।
  - संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की एक रिपोर्ट में पाया गया कि वर्ष 2017 और 2019 के बीच हुए 58% संघर्षों में खाद्य असुरक्षा एक प्रमुख कारक थी।
- **गरीबी में कमी:** खाद्य सुरक्षा लोगों के लिये पौष्टिक भोजन की वहनीयता और उस तक पहुँच सुनिश्चित कर तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसी अन्य आवश्यक आवश्यकताओं में निवेश करने का अवसर प्रदान गरीबी को कम करने में योगदान देती है। इससे लोगों को गरीबी के चक्र से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है।
- **पर्यावरणीय संवहनीयता:** खाद्य सुरक्षा जलवायु-कुशल कृषि (climate-smart agricultural) अभ्यासों—जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं, जैव विविधता की रक्षा करते हैं और जलवायु परिवर्तन का शमन करते हैं—के अंगीकरण को प्रोत्साहित कर पर्यावरणीय संवहनीयता (Environmental Sustainability) का समर्थन करती है। असंवहनीय कृषि अभ्यास पद्धतियां पर्यावरण को क्षति पहुँचा सकते हैं और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** खाद्य सुरक्षा एक विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित कर, जो बाह्य कारकों (जैसे वैश्विक खाद्य कीमतें या आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान) पर निर्भर नहीं होती, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करती है। खाद्य असुरक्षा राष्ट्रों को इन कारकों के प्रति संवेदनशील बना सकती है और उनकी संप्रभुता को कमज़ोर कर सकती है।
- **मानवीय गरिमा और समानता:** खाद्य सुरक्षा खाद्य को एक बुनियादी मानव अधिकार—जो सभी लोगों के लिये उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति की परवाह किये बिना सुलभ होना चाहिये, के रूप में चिह्नित कर मानवीय गरिमा और समानता का सम्मान करती है। खाद्य असुरक्षा इस अधिकार का उल्लंघन कर सकती है और लोगों के बीच असमानता उत्पन्न कर सकती है।
  - भोजन का अधिकार या खाद्य अधिकार (right to food) एक कानूनी अधिकार है जो मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration on Human Rights) तथा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (Interna-

tional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

- **संकट के प्रति प्रत्यास्थता:** खाद्य सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक मंदी और महामारी जैसे विभिन्न संकटों के प्रति प्रत्यास्थता का निर्माण करती है, जहाँ यह इन चुनौतियों का सामना कर सकने के लिये पर्याप्त खाद्य भंडार और वितरण प्रणालियाँ प्रदान करती है। खाद्य असुरक्षा इन संकटों के प्रभाव को बढ़ा सकती है और पुनर्प्राप्ति या रिकवरी में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
  - कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा गरीबों और कमज़ोर लोगों के बीच मुफ़्त खाद्यान्न वितरण इसका एक अच्छा उदाहरण है।
- **सतत् विकास:** खाद्य सुरक्षा सतत् विकास के प्रमुख लक्ष्यों में से एक (लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी) की प्राप्ति करने और गरीबी में कमी, बेहतर स्वास्थ्य, लैंगिक समानता एवं पर्यावरणीय संवहनीयता जैसे अन्य संबंधित लक्ष्यों का समर्थन करने के रूप में सतत विकास को आगे बढ़ाती है। ये लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को आगे बढ़ाते हैं।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत विश्व की किस प्रकार मदद कर सकता है?

- **लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास करना:** भारत ने चंद्रयान-3 की सफलता के साथ अत्यंत निम्न लागत पर प्रौद्योगिकीय चमत्कार (technological marvels) प्राप्त कर सकने की क्षमता प्रदर्शित की है। भारत इसी तरह का प्रयास करते हुए किसानों को चरम मौसमी घटनाओं की चुनौतियों से निपटने में मदद करने हेतु भी प्रौद्योगिकियों का विकास कर सकता है। इनके सफल अनुप्रयोग बाद वह इन प्रौद्योगिकियों को 'ग्लोबल साउथ' के अन्य देशों के साथ साझा कर सकता है।
  - ऐसा करना संभव है और इसे लागत-प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, बशर्ते यह सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल हो और समयबद्ध कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जाए।
- **कृषि रूपांतरण के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** कृषि-मूल्य शृंखलाओं की दक्षता एवं प्रत्यास्थता को बढ़ाना और कृषि रूपांतरण के लिये उत्प्रेरक के रूप में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना हमारा परम लक्ष्य है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure- DPI) के रूप में मानकीकृत कृषि डेटा प्लेटफॉर्मों की स्थापना और कृषि-खाद्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिये नवीन डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के माध्यम से इसे साकार किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, सेंसर से सुसज्जित ड्रिप, ड्रोन और LEO (लो अर्थ ऑर्बिट्स) का उपयोग कृषि में 'कम से अधिक' की प्राप्ति के लिये किया जा सकता है और इस तरह ग्रह के दुर्लभ संसाधनों को बचाया भी जा सकता है।
- **निवेश की वृद्धि करना:** भारत कृषि अनुसंधान एवं विकास (agri-R&D) पर एग्री-जीडीपी का मात्र 0.48% खर्च करता है। यदि देश को विश्व में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी है तो इस स्तर को दोगुना करना होगा। agri-R&D, विशेषकर बायोफोर्टिफिकेशन (biofortification) में उच्च निवेश किया जाना चाहिये। बायोफोर्टिफिकेशन में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और किसानों तक फोर्टिफाइड फसल किस्मों के बारे में जानकारी का प्रसार करना पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - ICAR के वैज्ञानिकों ने पहले ही प्रदर्शित कर दिया है कि गेहूँ, चावल, मक्का और मोटे अनाज जैसी बुनियादी फसलों को भी उन्नत लौह, ज़िंक और यहाँ तक कि एंटी-ऑक्सीडेंट के साथ बायो-फोर्टिफाइड किया जा सकता है।
  - ICAR ने जलवायु प्रतिरोधी और पौष्टिक फसलों की 87 किस्मों का विकास किया है। उदाहरण के लिये, भारत ने जिंक समृद्ध चावल और गेहूँ जारी किये हैं, जिन्हें ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा किया जा सकता है।
- **एक सतत् बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना करना:** एक नियम-आधारित, खुले, पूर्वानुमानित, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण, समावेशी, समतामूलक और संवहनीय बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ बनाना समय की मांग है। भारत को स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि-खाद्य मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ कर अपनी खाद्य प्रणालियों में भी सुधार लाना चाहिये। इससे वहनीय एवं सुलभ खाद्य, कृषि इनपुट और उत्पाद की राह प्रशस्त होगी।
  - एक सतत् बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना (जहाँ WTO की केंद्रीय भूमिका हो) बाज़ार पूर्वानुमेयता की वृद्धि कर सकती है और व्यापार आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है।
- **मोटे अनाजों को बढ़ावा देना:** भारत वैश्विक स्तर पर, यहाँ तक कि G20 सदस्यों के बीच भी, मोटे अनाज (Millets) को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, लेकिन इसके लिये उत्पाद नवाचार और प्रसार के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है ताकि मोटे अनाजों को क्विनोवा (quinoa) जैसा बुनियादी या मुख्य खाद्य बनाया जा सके।
- **कृषि-नीतियों पर पुनर्विचार करना:** भारत को पर्यावरणीय रूप से अधिक संवहनीय और पौष्टिक खाद्य प्रणाली के लिये कृषि-

नीतियों को नया रूप देने की आवश्यकता है। धान और गेहूँ जैसी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ खुली एवं सुनिश्चित खरीद की मौजूदा नीतियों के साथ-साथ उर्वरक, बिजली और सिंचाई पर भारी सब्सिडी की व्यवस्था ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से मृदा, जल, वायु और जैव विविधता को क्षति पहुँचाई है।

- **एक सतत् कृषि मॉडल का विकास करना:** अभी तक, भारत इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठा सका है, न ही अमेरिका या चीन द्वारा कोई बड़ी पहल की गई है। G20 देश कृषि को पृथ्वी के लिये कम हानिकारक बनाने हेतु एक मॉडल और समयसीमा के साथ आगे आने की पहल कर सकते हैं।
  - समय बीतता जा रहा है और यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि G20 समूह विश्व का पेट भरने के लिये और साथ ही ग्रह को हरा एवं स्वच्छ बनाकर इसकी रक्षा करने के लिये वर्ष 2030 तक स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु परस्पर निकटता से, द्रुत गति से और कुशल तरीके से कार्य करें।

एक देश, एक चुनाव के मायने

'एक देश, एक चुनाव' (One nation, One election-ONOE) निवर्तमान केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल महत्त्वपूर्ण सुधारों में से एक है। वस्तुत: भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2018 में संसद के अपने संबोधन में सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों में से एक के रूप में इसकी चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था कि नागरिक देश के किसी न किसी हिस्से में बार-बार आयोजित होते रहने वाले चुनावों को लेकर एक चिंता रखते हैं क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संपूर्ण देश में एक चुनाव कराये जाने की वांछनीयता पर मुखरता से बात करते रहे हैं। इस प्रकार, यह अचानक से प्रकट हुआ कोई विचार नहीं है, बल्कि इसके बारे में बात होती रही है।

'एक देश, एक चुनाव' के पीछे केंद्रीय विचार क्या है?

- 'एक देश, एक चुनाव' के पीछे का केंद्रीय विचार यह है कि लोकसभा चुनावों के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को समक्रमिक या सिंक्रनाइज़ (synchronize) किया जाए ताकि देश भर में चुनावों की आवृत्ति को कम किया जा सके।
- यह अवधारणा वर्ष 1967 तक देश में प्रचलित भी रही थी, लेकिन दल-बदल (defections), बर्खास्तगी (dismissals) और सरकार के विघटन (dissolutions) जैसे विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था बाधित हो गई।
  - यह चक्र पहली बार वर्ष 1959 में टूटा जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिये अनुच्छेद 356 लागू किया।
  - वर्ष 1960 के बाद राजनीतिक दलों के बीच दल-बदल और प्रति-दल-बदल (defections and counter-defections) के कारण कई विधानसभाओं के विघटन की स्थिति बनी, जिसके कारण अंतत: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये अलग-अलग चुनाव आयोजित कराने पड़े।
  - वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किये जाते हैं।
- एक साथ चुनाव कराने के विचार का पक्ष समर्थन वर्ष 1999 में बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी किया था।

'एक देश, एक चुनाव' के क्या लाभ हैं?

- **केंद्रित शासन:** यह सरकार को एक बार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में कम से कम हर तीसरे माह में कोई न कोई चुनाव आयोजित होता ही रहता है। देश का पूरा ध्यान इन चुनावों पर केंद्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक, मुख्यमंत्रियों से लेकर राज्य के मंत्रियों तक और सांसदों, विधायकों से लेकर पंचायत सदस्यों तक – हर कोई इन चुनावों में गहनता से संलग्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता।
  - प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग स्तर की प्रशासनिक अपंगता की स्थिति बन जाती है। यह भारत की विकास संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- **नीतिगत निर्णयों की निरंतरता:** निर्वाचन आयोग (EC) द्वारा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो जाती है। MCC के कारण चुनाव अवधि के दौरान कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इससे केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों – सभी स्तरों पर प्रमुख नीतिगत निर्णयों में देरी की स्थिति बनती है।
  - यहाँ तक कि जब कोई नया नीतिगत निर्णय आवश्यक नहीं होता है, तब भी चुनाव अवधि के दौरान क्रियान्वित परियोजनाओं का कार्यान्वयन पटरी से उतर जाता है क्योंकि राजनीतिक कार्यकारी के साथ-साथ सरकारी अधिकारी भी नियमित प्रशासन की अनदेखी करते हुए चुनाव संबंधी कर्तव्यों में व्यस्त हो जाते हैं।
- **चुनावों की लागत में कमी:** राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बार-बार होने वाला चुनाव भी है। प्रत्येक चुनाव में भारी

मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च पर्याप्त रूप से कम हो सकता है। इससे धन उगाही का दोहराव नहीं होगा। इससे जनता और व्यापारिक समुदाय को चुनावी चंदे के बारंबार दबाव से भी मुक्ति मिलेगी।

- एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए।
- इसके अलावा, यदि चुनाव एक साथ आयोजित होते हैं तो निर्वाचन आयोग द्वारा किये जाने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है।
    - नि:संदेह 'एक देश, एक चुनाव' अवधारणा पर चुनाव आयोजित कराने हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिये चुनाव आयोग को आरंभ में व्यापक धनराशि का निवेश करना होगा।
- इसके साथ ही, सभी चुनावों के लिये एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जा सकता है। इससे मतदाता सूची को अद्यतन करने में लगने वाले समय और धन की भारी बचत होगी।
    - इससे नागरिकों के लिये भी आसानी हो जाएगी क्योंकि उन्हें एक बार सूचीबद्ध हो जाने के बाद मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने की चिंता से मुक्ति मिलेगी।

- **सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी:** चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिये बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अर्द्धसैनिक बल तैनात किये जाते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर पुन: तैनाती किया जाना शामिल है, जिसमें भारी लागत आती है। यह कानून प्रवर्तन से संलग्न प्रमुख कर्मियों को उनके महत्त्वपूर्ण कार्यों से भी विचलित करता है। एक साथ चुनाव आयोजित होने से इस तरह की तैनाती की आवश्यकता कम की जा सकती है।
- **खरीद-फरोख्त का अंत:** विशिष्ट अवधि पर चुनाव कराने से संभावित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा खरीद-फरोख्त या हॉर्स-ट्रेडिंग (horse-trading) में कमी आ सकती है, जो दल-बदल विरोधी कानून (anti-defection law) के प्रवर्तन के बावजूद चिंता का विषय बना हुआ है। निश्चित अंतराल पर चुनाव कराने से उनके लिये व्यक्तिगत लाभ के लिये दल बदलना या गठबंधन बनाना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- **'फ्रीबीज़' में कमी और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार:** बार-बार चुनावों के कारण सरकारें हर चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिये कुछ नीतिगत निर्णय लेती हैं। हालाँकि इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सरकारों द्वारा मुफ़्त उपहारों या फ्रीबीज़ (Freebies) की घोषणा करने की आवृत्ति में कमी आएगी। बार-बार चुनावों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कई राज्य सरकारें वित्तीय बदहाली की शिकार हैं। चुनावों की संख्या कम होने से उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर बन सकती है।

ONOE से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- **व्यवहार्यता की समस्या:** संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172 क्रमशः उपबंध करते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पाँच वर्ष के होंगे, यदि उन्हें इससे पूर्व विघटित नहीं कर दिया जाता। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं (अनुच्छेद 356 में वर्णित परिस्थितियाँ) जहाँ विधानसभाओं को उनके कार्यकाल से पूर्व ही विघटित कर दिया जाए। इस प्रकार, ONOE से कुछ गंभीर प्रश्न संलग्न हैं, जैसे:
    - यदि केंद्र या राज्य की सरकार कार्यकाल के मध्य में ही गिर जाती है तो क्या होगा?
    - इस परिदृश्य में प्रत्येक राज्य में दोबारा चुनाव कराया जाएगा या राष्ट्रपति शासन अधिरोपित होगा?
- **लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियाँ:** यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, कर्मियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता और सुरक्षा के संदर्भ में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ पेश करेगा। निर्वाचन आयोग को इतनी बड़ी कवायद के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- **संघवाद के विचार के विरुद्ध:** ONOE का विचार 'संघवाद' (Federalism) की अवधारणा और भावना से मेल नहीं खाता है क्योंकि यह इस धारणा पर स्थापित है कि संपूर्ण राष्ट्र 'एक' (one) है, जो कि अनुच्छेद 1 के उपबंध का खंडन करता है जहाँ भारत को 'राज्यों के संघ' (Union of States) के रूप में देखा गया है।
- **विधिक चुनौतियाँ:** न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के मौजूदा ढाँचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं हैं।
    - इसमें कहा गया कि एक साथ चुनाव कराने के लिये संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं विधानसभाओं के प्रक्रिया नियम (Rules of Procedure) में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता होगी।
    - आयोग ने इसके लिये कम-से-कम 50% राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करने की भी अनुशंसा की थी, जो सरल कार्य नहीं है।
- **क्षेत्रीय हितों पर ग्रहण:** बार-बार होने वाले चुनावों के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में लाभप्रद स्थिति के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह मतदाताओं को उनकी आवाज़ को बारंबार सुने जाने

का अवसर देता है। चूँकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अंतर्निहित मुद्दे अलग-अलग होते हैं, इसलिये वर्तमान ढाँचा मुद्दों के मिश्रण को रोकता है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

- ◆ आईडीएफसी इंस्टिट्यूट (IDFC Institute) द्वारा वर्ष 2015 में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि एक साथ चुनाव कराने पर इस बात की 77% संभावना बनेगी कि विजित राजनीतिक दल या गठबंधन लोकसभा और किसी राज्य की विधानसभा दोनों में जीत दर्ज करेंगे। यह प्रत्येक राज्य की विशिष्ट मांग और आवश्यकताओं को क्षीण करेगी।

- **लागत-प्रभावी नहीं होने की संभावना:** निर्वाचन आयोग, नीति आयोग आदि के विभिन्न अनुमान बताते हैं कि पाँच वर्ष के चक्र में सभी राज्य और संसदीय चुनाव आयोजित करने की लागत 10 रुपए प्रति मतदाता प्रति वर्ष आती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराये जाने पर यह लागत 5 रुपए प्रति मतदाता प्रति वर्ष होगी।
  - ◆ एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लिये बड़ी संख्या में EVMs और VVPATs की तैनाती की आवश्यकता होगी जिससे अल्पावधि में आरंभिक लागत बढ़ जाएगी। इस प्रकार, प्रति वर्ष में प्रति मतदाता 5 रुपए की बचत करने के लिये संविधान में संशोधन करना बहुत अच्छा विचार नहीं माना जा सकता है।
- **चुनावी व्यय अनिवार्य रूप से नकारात्मक स्थिति नहीं:** आर्थिक शोध से पता चलता है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किया जाने वाला चुनावी खर्च वास्तव में निजी खपत को बढ़ावा देकर और उत्प्रेरक/प्रोत्साहक के रूप में कार्य कर अर्थव्यवस्था और सरकार के कर राजस्व को लाभ पहुँचाता है।

आगे की राह

- एक साथ चुनाव की आवश्यकता एवं व्यवहार्यता पर सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण किया जाना चाहिये। यह विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद, परामर्श और विचार-विमर्श के माध्यम से किया जा सकता है।
- एक साथ चुनाव आयोजन को संभव करने के लिये संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियम में संशोधन करना होगा।
  - ◆ इसके लिये संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- एक साथ चुनाव कराने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs), मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीन, मतदान केंद्र, सुरक्षा कर्मी आदि में निवेश करना होगा।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावी चक्रों को संरेखित करने के लिये एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल या तो बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा।
- अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभाओं का समयपूर्व विघटन, त्रिशंकु संसद आदि स्थितियों से निपटने के लिये एक विधिक ढाँचा स्थापित करना होगा।
  - ◆ इसे वर्ष में दो बार आयोजित किया जा सकता है ताकि यदि किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो अगले चक्र में उस राज्य के लिये पुन: चुनाव कराया जा सके।
- एक साथ चुनाव कराने के लाभों और चुनौतियों के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वे भ्रम या असुविधा के बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हों।

निष्कर्ष

सरकार को ONOE को लागू करने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिये। उसे अतिरिक्त अध्ययन, डेटा के मूल्यांकन और इस अवधारणा को लागू करने के तरीके पर मतदाताओं, विपक्षी दल के नेताओं एवं स्थानीय दलों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करनी चाहिये। इस प्रकार, पूरे देश को यह तय करने का अवसर दिया जाना चाहिये कि 'एक देश, एक चुनाव' लागू करने की आवश्यकता है या नहीं।

भारत और नई विश्व व्यवस्था

शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की अवधि को संदर्भित करती है, जब विश्व भर के कई देश व्यापार, सुरक्षा, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर विभिन्न प्रकार के सहयोग एवं समन्वय में संलग्न हुए थे। यह दो महाशक्तियों- संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ तथा उनके अपने-अपने सहयोगियों के बीच बड़े संघर्षों की अनुपस्थिति से सुगम हुआ। शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता लोकतंत्र, विधि का शासन और मुक्त बाज़ार जैसे उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित थी तथा इसे संयुक्त राष्ट्र (United Nations), यूरोपीय संघ (EU), आसियान ASEAN) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था।

नई विश्व व्यवस्था (New World Order) क्या है?

नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था (new multilateral world order) पद 21वीं सदी में विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं संवाद के नए रूपों के उद्भव को संदर्भित करता है। यह

नोट :

वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और अन्य मुद्दों से उत्पन्न चुनौतियों एवं अवसरों पर एक प्रतिक्रिया है जिसके लिये सामूहिक कार्रवाई और साझा समाधान की आवश्यकता होती है।

नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की कुछ प्रमुख बातें:

- विकासशील विश्व और 'वैश्विक दक्षिण' (Global South) से वृहत अभिव्यक्तियों और दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र , IMF और विश्व बैंक जैसे मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों का विस्तार एवं विविधीकरण।
- ब्रिक्स (BRICS), अफ्रीकी संघ(AU), आसियान (ASEAN) और यूरोपीय संघ (EU) जैसे नए क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण, विकास, सुरक्षा एवं सहयोग को बढ़ावा देना है।
- अनौपचारिक नेटवर्कों और पहलों का उद्भव—जैसे अलायंस फॉर मल्टीलैट्रलिज़्म (Alliance for Multilateralism), G20 और क्वाड (QUAD), जो ऐसे विशिष्ट मुद्दों या चुनौतियों के समाधान पर लक्षित हैं, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे असर रखता हैं और समन्वित कार्रवाई की मांग करते हैं।
- विश्व की बहुध्रुवीय वास्तविकता को चिह्नित करना, जहाँ कोई भी एक देश या गुट वैश्विक एजेंडे पर हावी नहीं हो सकता या उसे निर्देशित नहीं कर सकता और जहाँ विभिन्न अभिकर्ताओं को सहमति और पारस्परिक लाभ की खोज में संवाद एवं समझौता वार्ता में शामिल होना पड़ता है।

मौज़ूदा बहुपक्षीयता के पतन के पीछे के प्रमुख कारण:

- **चीन का उदय और उसका विस्तारवाद:** मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन के पीछे के प्राथमिक कारणों में से एक है वैश्विक आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के रूप में चीन का उदय। एशिया में और वैश्विक स्तर पर चीन की विस्तारवादी नीतियाँ मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था को चुनौती देती हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को बदलने के इसके एकतरफा प्रयासों और इसके मुखर क्षेत्रीय विस्तारवाद ने तनाव उत्पन्न किये हैं तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक संस्थाओं को अस्थिर कर दिया है।
- **चीन की ओर से आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरे:** चीन द्वारा उत्पन्न आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत जैसे देशों को चीन के साथ अपने संबंधों के पुनर्मूल्यांकन के लिये विवश किया है। इस क्रम में चीन के ऊपर व्यापक आर्थिक अंतर निर्भरता को जोखिम-मुक्त करने के प्रयास शुरू हो गए हैं, जिसका मौजूदा बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों पर प्रभाव पड़ रहा है।
- **रूस की कार्रवाई:** वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के आक्रमण एवं अधिग्रहण ने शीत युद्धोत्तर सुरक्षा व्यवस्था के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती को चिह्नित किया, विशेष रूप से यूरोप में। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दरार और संघर्ष पैदा कर बहुपक्षीयता को बाधित कर दिया।
- **बहुपक्षीय प्रणाली के भीतर मौजूद विरोधाभास:** बहुपक्षीय प्रणाली को स्वयं आंतरिक विरोधाभासों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सदस्य देशों के बीच इन आंतरिक असहमतियों और परस्पर-विरोधी हितों ने बहुपक्षीय संगठनों की प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया है तथा सर्वसम्मति निर्माण में बाधा उत्पन्न की है।
- **वैकल्पिक सुरक्षा मंचों का उदय:** चीन के विस्तारवाद की प्रतिक्रिया में क्वाड (QUADS), AUKUS और ट्राईलैटेरल कॉम्पैक्ट्स (trilateral compacts) जैसे वैकल्पिक सुरक्षा मंच सामने आए हैं। ये मंच पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थानों से परे एक बदलाव को दर्शाते हैं, जिससे आसियान जैसे मौजूदा क्षेत्रीय संगठनों की निरंतर प्रासंगिकता एवं केंद्रीयता पर सवाल खड़े होते हैं।
- **प्रमुख खिलाड़ियों के बदलते परिप्रेक्ष्य:** भारत जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के बदलते दृष्टिकोण ने भी मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में भारत के उभरते दृष्टिकोण—जो चीन के प्रभुत्व वाले 'एकध्रुवीय एशिया' के बारे में चिंताओं से हटकर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगियों के साथ अधिक सक्रिय संलग्नता की ओर बढ़ा है—ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीयता की गतिशीलता को बदल दिया है।
- **वैश्विक वित्तीय संकट और G7 का विस्तार:** वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने G7(Group of Seven) का विस्तार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि इसमें मध्य शक्तियों को शामिल करते हुए वैश्विक आर्थिक स्थिरता को पुनर्बहाल किया जा सके। हालाँकि यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक सकारात्मक कदम था, इसने मौजूदा बहुपक्षीय ढाँचे की सीमाओं को भी उजागर किया।

भारत नई विश्व व्यवस्था को किस प्रकार आकार दे सकता है?

- भारत विधि के शासन, संप्रभुता के लिये सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रसार के लिये क्वाड और आसियान के साथ-साथ विभिन्न अन्य क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय मंचों में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

- भारत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से उत्पन्न चुनौतियों का मुक़ाबला करने के लिये समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ा सकता है।
- भारत अपने व्यापार एवं निवेश साझेदारों में (विशेष रूप से 'वैश्विक दक्षिण' के देशों के साथ) विविधता लाकर और विनिर्माण, सेवाओं एवं नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी घरेलू क्षमताओं का विकास कर पुन:वैश्वीकरण की प्रक्रिया (re-globalisation process) में योगदान दे सकता है।
  - भारत एक अधिक लोकतांत्रिक और न्यायसंगत वैश्विक शासन प्रणाली का भी वकालत कर सकता है जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविकताओं एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करें।
- भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का उपयोग एक वैश्विक नेता के रूप में अपने विज़न और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति का निर्माण करने के एक अवसर के रूप में कर सकता है।
- भारत साझा हितों एवं चुनौतियों को उजागर करके और समावेशी एवं व्यावहारिक समाधान प्रस्तावित करके विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कुपोषण के अंतराल को भरना

भारत के 'अमृत काल' (इंडिया@100 की ओर 25 वर्ष की सुदीर्घ यात्रा) में प्रवेश के साथ कई बातें हैं जिनके लिये गर्व किया जा सकता है; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे देश के प्राचीन, पारंपरिक और सभ्यतागत ज्ञान आधार, विवेक एवं समृद्धि में वृद्धि हुई है।

इन प्रगतियों के बावजूद यह चिंताजनक है कि स्वतंत्रता के सात दशक बाद भी भारत कुपोषण जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। खराब पोषण न केवल स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि सीखने (लर्निंग) की क्षमता में कमी और स्कूल में खराब प्रदर्शन का कारण भी बनता है। वयस्क जीवन में यह आय अर्जन की सीमित क्षमता और मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं मोटापे जैसी गंभीर बीमारियों के अधिक जोखिम का कारण बनता है।

कुपोषण क्या है ?

- कुपोषण (Malnutrition) का तात्पर्य है पोषक तत्वों के सेवन में कमी या अधिकता; आवश्यक पोषक तत्वों का असंतुलन या पोषक तत्वों का अक्षम उपयोग।
- कुपोषण के दोहरे बोझ में अल्पपोषण (undernutrition) और अधिक वजन (overweight) व मोटापा (obesity) दोनों शामिल हैं; इसके साथ ही, इसमें आहार संबंधी गैर-संचारी रोग (non-communicable diseases) भी शामिल हैं।
- अल्पपोषण चार व्यापक रूपों में प्रकट होता है: वेस्टिंग, स्टंटिंग, अल्प वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।
  - वेस्टिंग (Wasting): इसे कद के अनुरूप कम वजन (low weight-for-height) के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - यह प्राय: वजन में हालिया और गंभीर कमी का संकेत देती है, हालाँकि यह दीर्घावधिक समस्या के रूप में भी मौजूद हो सकती है।
    - यह आमतौर पर तब उत्पन्न होती है जब बच्चे को पर्याप्त गुणवत्ता एवं मात्रा का भोजन प्राप्त नहीं होता है और/अथवा वे लगातार या लंबे समय तक रोगों की चपेट में बने रहते हैं।
    - यदि इसका उपयुक्त रूप से उपचार नहीं किया जाए तो बच्चों में वेस्टिंग से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
  - स्टंटिंग (Stunting): इसे आयु के अनुरूप निम्न कद या लंबाई (low height-for-age) के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - यह गंभीर या लगातार बने रहे अल्पपोषण का परिणाम है, जो आमतौर पर गरीबी, मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण की ख़राब दशा, लगातार बीमार बने रहना और/या आरंभिक बाल्यावस्था में आहार एवं देखभाल की अनुपयुक्त दशा से संबंधित है।
    - स्टंटिंग बच्चों को उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमता तक पहुँचने से रोकती है।
  - अल्प वजन (Underweight): इसे आयु के अनुरूप कम वजन (low weight-for-age) के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - अल्प वजन वाला कोई बच्चा स्टंटिंग या वेस्टिंग का अथवा दोनों का शिकार हो सकता है।

कुपोषण की समस्या से भारत किस हद तक प्रभावित है ?

- वर्ल्डोमीटर (Worldometer) के अनुसार, भारत वैश्विक आबादी में में कुपोषित लोगों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जहाँ इसकी लगभग 14.37% आबादी को पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं होता है।

नोट :

- सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (NFHS 5) के अनुसार:
  - पाँच वर्ष से कम आयु के 36% बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं
  - 19% बच्चे वेस्टिंग के शिकार हैं
  - 32% बच्चे अल्प वजन के शिकार हैं
  - 3% बच्चे अति वजन (overweight) के शिकार हैं
- एनीमिया (Anemia), जिसे हीमोग्लोबिन की कमी भी कहा जाता है; 5 वर्ष से कम आयु के 67% बच्चों को प्रभावित कर रहा है।
- एनीमिया महिलाओं में अधिक व्यापक रूप से पाया जाता है, जहाँ भारत में 25% पुरुषों (50 वर्ष से कम आयु) की तुलना में 57% महिलाएँ इससे पीड़ित हैं।
- इसके अलावा, 50 वर्ष से कम आयु की 19% महिलाएँ और 16% पुरुष अल्पपोषित (undernourished) हैं, जबकि 24% महिलाएँ और 23% पुरुष मोटापे (obesity) के शिकार हैं।
  - भारत की 1.4 बिलियन विशाल आबादी का लगभग 40% भाग कुपोषण से ग्रस्त है।

भारत में व्याप्त कुपोषण के पीछे के प्राथमिक कारण

- **आर्थिक असमानता:** जनसंख्या के कुछ भागों की निम्न आर्थिक स्थिति के कारण, उनके आहार में प्रायः गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों का अभाव होता है। गरीब लोग प्रायः पौष्टिक भोजन पा सकने का सामर्थ्य नहीं रखते या उस तक उनकी पहुँच सीमित होती है। प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों या कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भी उन्हें खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी:** भारत में आबादी का एक हिस्सा टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल या संक्रमण के उपचार जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अभाव रखता है। इससे बीमारियों और अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है जो कुपोषण की समस्या को और बदतर कर सकता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रति 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर और 3 आदर्श नर्स घनत्व की अनुशंसा करता है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर 0.73 डॉक्टर और 1.74 नर्स ही उपलब्ध हैं।
- **जागरूकता की कमी और निरक्षरता:** भारत में बहुत से लोग पोषण के महत्त्व या इसे सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जागरूक नहीं हैं। वे प्रायः अवगत नहीं होते कि संतुलित आहार कैसे तैयार किया जाए, गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान किन खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाए या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कैसे रोका जाए। व्याप्त निरक्षरता भी पोषण संबंधी जानकारी और शिक्षा तक पहुँच की उनकी क्षमता को सीमित करती है।
- **अक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System (PDS) एक सरकारी कार्यक्रम है जो गरीब परिवारों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करता है। हालाँकि, PDS भ्रष्टाचार, लीकेज, डायवर्जन, खराब गुणवत्ता और अपर्याप्त कवरेज जैसी विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। इसके परिणामस्वरूप, खाद्य सहायता की आवश्यकता रखने वाले बहुत से लोग इससे वंचित रह जाते हैं या उन्हें अपर्याप्त मात्रा में ही खाद्य प्राप्त हो पाता है।
  - CAG की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012-13 में PDS के तहत आवंटित खाद्यान्न का केवल 49% ही इच्छित लाभार्थियों तक पहुँच सका।
- **एकीकृत बाल विकास योजना का अक्षम कार्यान्वयन:** एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme- ICDS) एक अन्य सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छह वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना है। ICDS आँगनबाड़ी केंद्रों (समुदाय-आधारित मातृ एवं शिशु देखभाल केंद्र) के माध्यम से पूरक खाद्य, स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, विकास निगरानी और प्री-स्कूल शिक्षा जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
  - हालाँकि, ICDS को अपर्याप्त धन, कर्मचारियों की कमी, सेवाओं की निम्न गुणवत्ता और निम्न भागीदारी दर जैसी कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
  - NFHS-5 के अनुसार, किसी आँगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पिछले 6 माह में छह वर्ष से कम आयु के केवल 50.3% बच्चों को ही कोई सेवा प्राप्त हो सकी।
- **स्वच्छता की बदतर स्थिति:** स्वच्छता और साफ-सफाई के बदतर अभ्यासों से रोगजनकों और परजीवियों का जोखिम बढ़ सकता है जो संक्रमण एवं बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण एवं उपयोगिता को प्रभावित कर सकते हैं और कुपोषण का कारण बन सकते हैं।
  - NFHS-5 में पाया गया कि केवल 69% घर ही बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **मिशन पोषण 2.0 (POSHAN 2.0):** यह एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य एवं कल्याण का संपोषण करने वाले और रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले अभ्यासों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पोषण संबंधी सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को सुदृढ़ करना है। इसमें मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में पोषण गुणवत्ता में सुधार लाना एवं परीक्षण करना, वितरण तंत्र को सुदृढ़ करना और प्रशासन में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना भी शामिल है।
- **एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS):** यह एक व्यापक योजना है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं जैसे कमज़ोर समूहों के लिये लक्षित विशिष्ट हस्तक्षेप प्रदान करती है। इसमें पूरक पोषण, स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, प्री-स्कूल शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी विभिन्न सेवाएँ शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के लिये नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना है।
- **मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme):** यह एक स्कूल-आधारित कार्यक्रम है जो सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना है।
- **किशोर बालिकाओं के लिये योजना (Scheme for Adolescent Girls- SAG):** यह योजना 11-18 आयु की ऐसी किशोर बालिकाओं को लक्षित करती है जो स्कूल से बाहर हैं। यह उन्हें पूरक पोषण, जीवन कौशल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जाँच आदि प्रदान करती है।
- **माँ/मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन (Mother's Absolute Affection- MAA):** यह कार्यक्रम नवजातों के लिये माताओं द्वारा स्तनपान को बढ़ावा देने पर लक्षित है। यह इष्टतम स्तनपान अभ्यासों को सुनिश्चित करने के लिये जागरूकता, परामर्श, सहायता और निगरानी प्रदान करता है।
- **पोषण वाटिका:** यह कार्यक्रम पोषण संबंधी अभ्यासों में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार विविधता अंतराल को भरने के लिये आँगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका (nutrition gardens) के विकास को समर्थन प्रदान करता है।

और क्या किया जाना चाहिये?

- **एक केंद्रित SBCC कार्ययोजना का विकास करना:** राज्यों को एक सुसंरचित एवं केंद्रित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and Behavior Change Communication- SBCC) कार्ययोजना—जो कुपोषण को संबोधित करने के लिये विशेष रूप से तैयार किया गया हो, का विकास करने के लिये सहयोग करना चाहिये। इस योजना को प्रभावी संचार के लिये उद्देश्यों, लक्षित दर्शकों, मुख्य संदेशों और रणनीतियों की रूपरेखा प्रदान करनी चाहिये।
- **पोषण संबंधी परामर्श को संस्थागत बनाना:** पोषण संबंधी परामर्श को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के एक मूलभूत घटक के रूप में संस्थागत बनाया जाना चाहिये। इसका अभिप्राय यह है कि इसे मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना (जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों) में एकीकृत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह स्वास्थ्य सेवाओं का एक नियमित हिस्सा बन जाए।
- **एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग (Exclusive Breastfeeding- EBF) पर जागरूकता बढ़ाना:** बच्चे के जीवन के प्रथम छह माह के दौरान केवल स्तनपान या EBF के महत्त्व पर बल दिया जाए। जागरूकता अभियान चलाये जाएँ जो माताओं और परिवारों को EBF के लाभों के बारे में शिक्षित करें। इसमें बेहतर दूध हस्तांतरण के लिये होल्डिंग, लैचिंग और मैन्युअल रूप से स्तन से दूध प्राप्त करने की इष्टतम तकनीकों के बारे में शिक्षित करना शामिल है।
- **प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर स्तनपान परामर्श:** प्रसवपूर्व जाँच के दौरान गर्भवती महिलाओं को स्तनपान संबंधी परामर्श प्रदान करने के लिये एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू करें और प्रसव के बाद लगातार घरेलू दौरों के माध्यम से इस सहयोग को बनाये रखें। साक्ष्य पुष्टि करते हैं कि इस तरह के परामर्श से स्तनपान अभ्यासों में व्यापक सुधार होता है और अल्पपोषण में कमी आती है।
- **पूरक आहार अभ्यास:** पूरक आहार शुरू करने के समय (लगभग छह से आठ माह के दौरान), आहार सामग्री एवं उसे प्रदान करने के तरीके, आवृत्ति और आहार की उपयुक्त मात्रा के बारे में माता-पिता एवं देखभालकर्ताओं को शिक्षित कर पूरक आहार अभ्यासों में विद्यमान अंतराल को दूर किया जाए। इस सूचना को सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों तक पहुँचाया जाए।
- **प्रधानमंत्री की संलग्नता:** 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी पहलों की तरह, 'मन की बात' जैसे मंचों के माध्यम से, पोषण कार्यक्रमों को प्रबल समर्थन और दृश्यता प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री को संलग्न किया जाए। इससे संसाधन जुटाने और जन जागरूकता पैदा करने में मदद मिल सकती है।

नोट :

- **पोषण 2.0 को संशोधित और रूपांतरित करना:** किसी भी कमी की पहचान करने और उसे दूर करने के लिये पोषण 2.0 कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पुनर्मूल्यांकन करें। सुनिश्चित करें कि नियोजित प्रणाली जीवन के महत्त्वपूर्ण प्रथम 1,000 दिनों के दौरान माताओं और बच्चों तक प्रभावी ढंग से पहुँच रख रही है।
- **वैकल्पिक वितरण चैनलों का पता लगाना:** आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परामर्श कार्य के लिये मुक्त करने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से टेक-होम राशन पैकेट जैसे पूरक पोषण वितरित करने पर विचार करें। इससे लाभार्थियों तक आवश्यक पोषण की आपूर्ति को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- **मानव संसाधनों को संयोजित करना:** एक ऐसी नई प्रणाली का विकास एवं परीक्षण करें जो एकीकृत बाल विकास योजना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के मानव संसाधनों को ग्राम से लेकर ज़िला और राज्य स्तर तक एकीकृत करे। इससे बाल जीवन के प्रथम 1,000 दिनों के दौरान सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक अधिक कुशल एवं जवाबदेह प्रणाली का निर्माण होगा।
- **मास-मीडिया का उपयोग करना:** प्रथम 1,000 दिनों के दौरान नवजातों और शिशुओं की देखभाल पर जानकारीपूर्ण चर्चा एवं विमर्श आयोजित करने के लिये मास मीडिया और टेलीविजन शो का लाभ उठाएँ। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से परे भी माताओं और देखभालकर्ताओं तक पहुँच बना सकता है।
- **सतत् निगरानी और मूल्यांकन:** इन हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिये एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करें, जहाँ बाल कुपोषण में निरंतर कमी सुनिश्चित करने के लिये परिणामों के आधार पर आवश्यक समायोजन किया जाए।

'बेमेतरा' से क्या सबक सीखा जा सकता है?

- बेमेतरा (Bemetara) छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है जहाँ दिसंबर 2022 में गंभीर तीव्र कुपोषण (Severe Acute Malnutrition- SAM) से ग्रस्त बच्चों की संख्या 3,299 के उच्च स्तर पर थी।
    - वहाँ आहार अभ्यासों के बारे में उचित जानकारी का अभाव पाया गया। इस कारण इस क्षेत्र के लिये ठोस निगरानी के साथ पोषण परामर्श को कार्यप्रणाली के रूप में चुना गया।
- पोट्ठ लइका अभियान (Potth Laika Abhiyaan/ Healthy Child Mission) एक पोषण परामर्श कार्यक्रम है जिसे 72 सबसे अधिक प्रभावित आँगनवाड़ी केंद्रों में लागू किया जा रहा है।
    - स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभागों के ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों को क्षेत्र में पोषण परामर्श प्रदान करने के तरीके के बारे में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है।
    - प्रत्येक शुक्रवार को लक्षित SAM और MAM (Medium Acute Malnutritioned) बच्चों के माता-पिता को बुलाया जाता है और उनकी काउंसलिंग की जाती है।
        - उन्हें स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा में 'तिरंगा भोजन' (संतुलित आहार) के महत्त्व एवं घटकों, स्वस्थ जीवन शैली के लिये नियमित रूप से हाथ धोने की आवश्यकता और अन्य युक्तियों के बारे में जागरूक किया जाता है।
        - लक्षित बच्चों की प्रगति पर नज़र रखी जा रही है।
    - सरपंच जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों और धार्मिक प्रमुखों ने भी ऐसे परामर्श सत्रों में भागीदारी की है।
    - लक्षित बच्चों की प्रगति की निगरानी के लिये घर-घर जाकर भी उन्हें देखा जाता है।
    - नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन के साथ-साथ पोषण परामर्श के सरल मंत्र के परिणामस्वरूप नौ माह की अवधि में 53.77% लक्षित बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया है।
        - जब इसकी तुलना 20 आँगनवाड़ी केंद्रों के एक यादृच्छिक नियंत्रण समूह से की गई, जहाँ यह मिशन लागू नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ केवल 30.6% बच्चों को ही कुपोषण से बाहर निकाला गया था।
    - यह एक शून्य लागत मिशन है, जिसके लिये महज कुछ प्रशिक्षण सत्रों और नियमित निगरानी से अधिक की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, इसने स्वयं को लागत-प्रभावी भी सिद्ध किया है।

ब्रिक्स का विस्तार: पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती

हाल ही में, जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (15th BRICS summit) के दौरान यह घोषणा की गई कि मौजूदा पाँच सदस्यीय ब्रिक्स समूह (जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं) ने छह नए देशों को इसमें शामिल होने के लिये आमंत्रित करने की इच्छा ज़ाहिर की है। इन नए आमंत्रित सदस्यों में पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात; अफ्रीका से मिस्र एवं इथियोपिया; एवं लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल हैं।

ब्रिक्स (BRICS) बहुध्रुवीयता का पक्षसमर्थन करने, रणनीतिक स्वायत्तता पर बल देने और अपने विविधतापूर्ण सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को आकार दे रहा है। ब्रिक्स पश्चिमी टिप्पणीकारों की ओर से आलोचना झेलने के बीच वैश्विक राजनीति में एक अनूठा रास्ता बना रहा है और हाल में संपन्न हुआ इसका शिखर सम्मेलन आधुनिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण क्षण बन गया है।

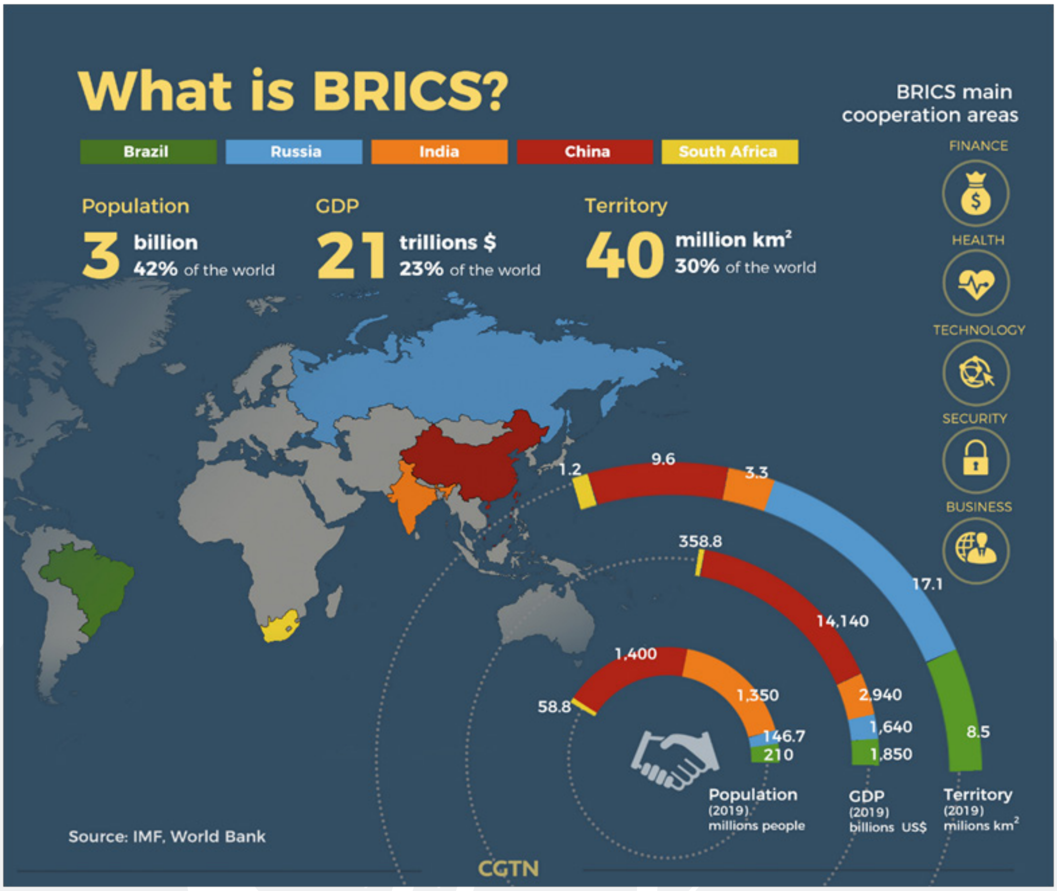

ब्रिक्स के उद्देश्य (Objectives of BRICS)

- **उभरते वैश्विक द्विपक्षीय विभाजन की अस्वीकृति:** भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देश उभरते वैश्विक द्विपक्षीय विभाजन (Emerging Global Binary Divide) को अस्वीकृत करते हैं, जो दो विपक्षी एवं प्रभुत्वशाली शक्तियों के अस्तित्व वाले विश्व की विशेषता रखता है, जिसकी तुलना प्राय: एक नए शीत युद्ध (Cold War) से की जाती है। वे इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और इसे अदूरदर्शितापूर्ण मानते हैं।
- **रणनीतिक स्वायत्तता का दावा:** भारत सहित ब्रिक्स के सभी सदस्य देश अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिये मुखर रहने की प्रतिबद्धता पर बल दे रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे किसी विशेष महाशक्ति या गुट के साथ गठबंधन करने के बजाय वैश्विक मंच पर स्वतंत्र निर्णय और नीति निर्माण में सक्षमता चाहते हैं।
- **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था:** ब्रिक्स देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था (Multipolar World Order) की वकालत कर रहे हैं। वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ सत्ता और प्रभाव कुछ प्रमुख देशों के हाथों में केंद्रित होने के बजाय कई प्रमुख हितधारकों के बीच वितरित हो।
- **मतों और हितों के सम्मान की मांग:** ब्रिक्स सदस्य देश मांग कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनके हितों का सम्मान किया जाए। यह एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक शासन प्रणाली की इच्छा का सुझाव देता है जहाँ उभरती अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है।

पश्चिमी नेतृत्व वाले संगठनों के प्रति ब्रिक्स के क्या विचार हैं?

- **असमान वोटिंग शक्ति:** ब्रिक्स देशों की प्राथमिक चिंताओं में से एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB) जैसी संस्थाओं के भीतर वोटिंग शक्ति का असमान वितरण।
    - ये संगठन पश्चिमी देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों को उनके वित्तीय योगदान के कारण अधिक शक्तियाँ या प्रभाव सौंपते हैं। ब्रिक्स सदस्यों का तर्क है कि यह असमानता नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आकार देने की उनकी क्षमता को कम कर देती है।

नोट :

- **प्रतिनिधित्व का अभाव:** ब्रिक्स देशों का तर्क है कि इन संस्थानों का नेतृत्व और इनके निर्णय लेने वाले निकाय वैश्विक अर्थव्यवस्था की विविधता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उनका मानना है कि इन संस्थानों को ब्रिक्स सदस्यों जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक प्रभाव और योगदान को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करना चाहिये।

ब्रिक्स की आलोचनाएँ

- **साझा दृष्टिकोण का अभाव:** पश्चिमी टिप्पणीकार इस आधार पर ब्रिक्स की आलोचना करते हैं कि इसके पास स्पष्ट और ससंजक साझा दृष्टिकोण का अभाव है। इसका तात्पर्य यह है कि संभव है कि इसके पाँच सदस्यों के पास वैश्विक मुद्दों पर एकीकृत और सुसंगत दृष्टिकोण का अभाव हो या वे साझा उद्देश्यों की दिशा में कार्यशील नहीं हों।
- **महज एक 'टॉक-शॉप' होना:** ब्रिक्स पर ठोस कार्रवाई करने या सार्थक परिणाम प्राप्त करने वाले संगठन के बजाय चर्चा और संवाद करने वाले एक मंच होने का आरोप लगाया जाता है।
    - दूसरे शब्दों में, इसे एक ऐसे मंच के रूप में देखा जाता है जहाँ इन देशों के नेता चर्चा में तो शामिल होते हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम या समाधान नहीं निकाल पाते।
- **कोई सार्थक उपलब्धि नहीं:** आलोचकों का तर्क है कि ब्रिक्स ने अभी तक कोई ठोस या महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की है जो एक ब्लॉक/मंच के रूप में इसके अस्तित्व को उचित ठहरा सके। वे तर्क दे सकते हैं कि समूह की गतिविधियों का वैश्विक मामलों पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा है या प्रमुख चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रहा है

ब्रिक्स पश्चिम के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को किस प्रकार चुनौती दे रहा है?

- **ब्रिक्स संवाद की सतत् और व्यापक प्रकृति:** वर्ष 2009 से ही ब्रिक्स सदस्य देश वार्षिक शिखर बैठकें आयोजित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स के ढाँचे को विभिन्न मंत्रिस्तरीय और विशेषज्ञ सम्मेलनों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह केवल एक शिखर सम्मेलन नहीं है बल्कि निरंतर जुड़ाव के लिये एक मंच भी है।
- **वैकल्पिक संस्थाएँ:** पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाओं के प्रति अपने असंतोष की प्रतिक्रिया ब्रिक्स देशों ने वैकल्पिक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना के लिये कदम उठाये हैं। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना है, जिसे ब्रिक्स बैंक और आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement-CRA) के रूप में भी जाना जाता है।
    - NDB का लक्ष्य सदस्य देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत संरचना और सतत् विकास परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण प्रदान करना है। इस पहल को पश्चिमी संस्थानों पर निर्भरता कम करने के एक उपाय के रूप में देखा जाता है।
    - CRA अल्पकालिक भुगतान संतुलन (balance-of-payments) दबाव का सामना कर रहे सदस्य देशों की सहायता करने का लक्ष्य रखता है।
- **स्थानीय मुद्राओं का उपयोग:** ब्रिक्स सदस्य आपस में और अन्य व्यापारिक भागीदारों के साथ आंतरिक व्यापार और वित्तीय लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए हैं।
- यह अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख वैश्विक मुद्राओं पर निर्भरता कम करने और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अपनी मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की उनकी इच्छा को दर्शाता है।
- **सुधार की वकालत:** ब्रिक्स देश मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधारों की वकालत कर रहे हैं। वे एक अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और निष्पक्ष वैश्विक प्रणाली की मांग रखते हैं जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों और आवाज़ों को ध्यान में रखे।
    - इस सुधार एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक शासन संरचनाओं में बदलाव का आह्वान शामिल है।
- **संवृद्ध आर्थिक प्रभाव:** ब्रिक्स समूह के पास सामूहिक रूप से व्यापक आर्थिक शक्ति है। ब्रिक्स सदस्यता के विस्तार ने इसके प्रभाव को और बढ़ा दिया है। यह समूह विश्व की जनसंख्या, सकल घरेलू उत्पाद (GDP), वैश्विक व्यापार और ऊर्जा उत्पादन के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- **ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव:** ऊर्जा क्षेत्र पर ब्रिक्स के विस्तार का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ना तय है। नए सदस्यों को शामिल करने के साथ, ब्रिक्स देश सामूहिक रूप से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा उत्पादित करते हैं, जिससे वे वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक बन जाते हैं। यह ऊर्जा नीतियों और बाज़ारों को आकार देने की उनकी क्षमता को रेखांकित करता है।

नए ब्रिक्स सदस्यों का भू-रणनीतिक महत्त्व

- **ऊर्जा संसाधन:** सऊदी अरब और ईरान जैसे पश्चिम एशियाई देशों का नए सदस्यों के रूप में शामिल होना उनके पर्याप्त ऊर्जा संसाधनों के कारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सऊदी अरब एक प्रमुख तेल उत्पादक है और इसके तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा चीन और भारत जैसे ब्रिक्स देशों को जाता है।

- प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद ईरान ने अपने तेल उत्पादन और निर्यात में वृद्धि की है, जो मुख्य रूप से चीन की ओर निर्देशित है। यह ब्रिक्स सदस्यों के बीच ऊर्जा सहयोग और व्यापार के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- **ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण:** रूस चीन और भारत के लिये तेल का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता रहा है। नए सदस्यों के शामिल होने के साथ रूस अपने ऊर्जा निर्यात के लिये अतिरिक्त बाज़ार की तलाश कर रहा है, जो ब्रिक्स के भीतर विविधिकृत ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को दर्शाता है।
- **रणनीतिक भौगोलिक उपस्थिति:** मिस्र और इथियोपिया 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' और लाल सागर में रणनीतिक अवस्थिति रखते हैं, जो महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के निकट होने के कारण अत्यधिक भू-रणनीतिक महत्त्व रखता है। उनकी उपस्थिति इस क्षेत्र में ब्रिक्स के भू-राजनीतिक महत्त्व को बढ़ाती है।
- **लैटिन अमेरिकी आर्थिक प्रभाव:** लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अर्जेंटीना के प्रवेश से ब्रिक्स समूह के आर्थिक प्रभाव की वृद्धि हुई है। लैटिन अमेरिका ऐतिहासिक रूप से वैश्विक शक्तियों के लिये रुचि का क्षेत्र रहा है और अर्जेंटीना का समावेश दुनिया के इस हिस्से में ब्रिक्स की उपस्थिति को सुदृढ़ करता है।

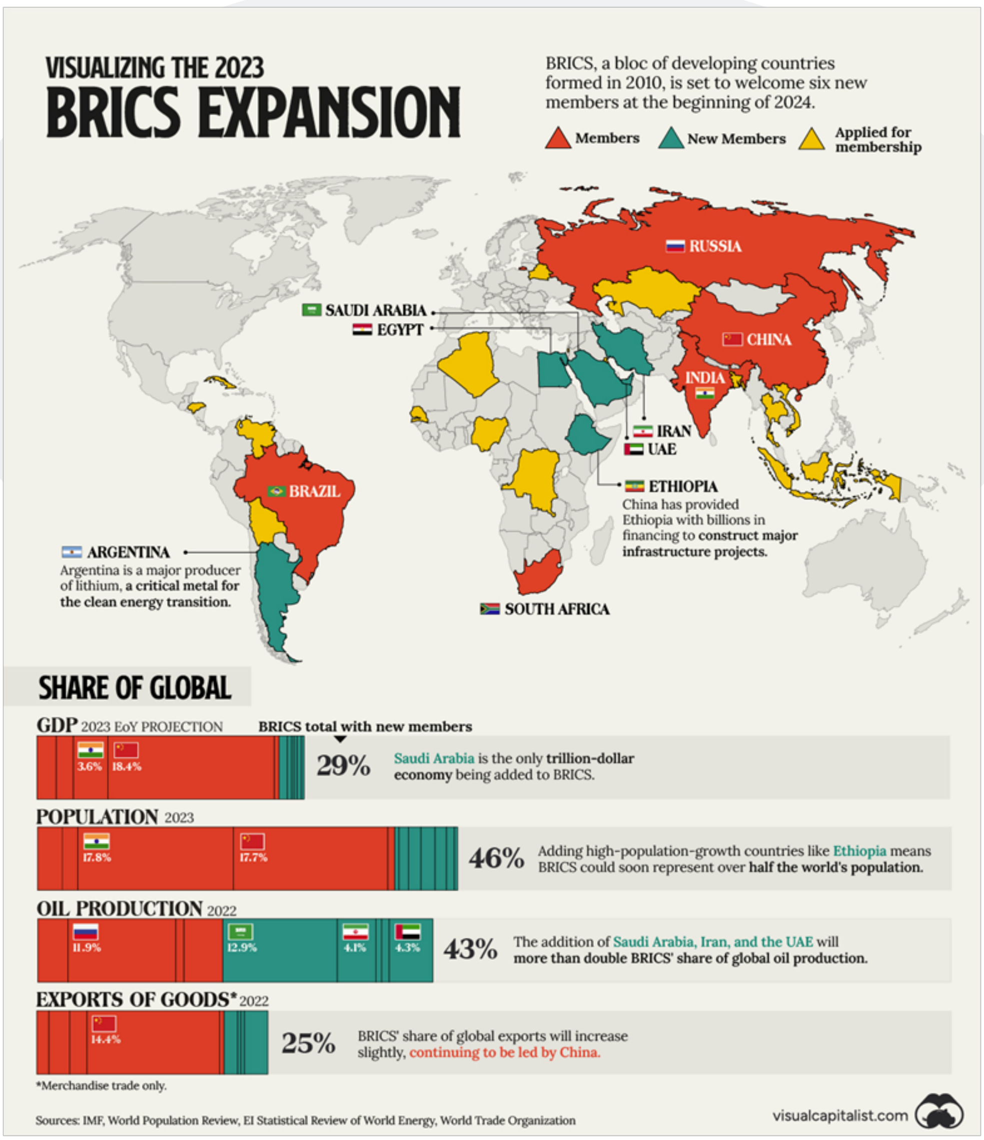

नोट :

ब्रिक्स सदस्यता विस्तार को आकार देने वाले क्षेत्रीय घटनाक्रम

- **स्वतंत्र विदेश नीति:** सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, दोनों ही स्वतंत्र विदेश नीति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं (विशेषकर वर्ष 2020 के बाद से)। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपनी संप्रभुता पर बल देने और ऐसे विदेश नीति निर्णयों पर आगे बढ़ने की राह चुनी है जो उनके अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी बाहरी शक्तियों द्वारा अत्यधिक प्रभावित हों।
- **कतर पर पाबंधियों की समाप्ति:** जनवरी 2021 में कतर पर पाबंधियों की समाप्ति करने का सऊदी अरब का निर्णय भी इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप खाड़ी क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया, जहाँ इसने क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार लाने की इच्छा का संकेत दिया।
- **ईरान-UAE संबंध:** संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया है और यह खाड़ी क्षेत्र, अदन की खाड़ी, लाल सागर और 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' में अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करने की इच्छा रखता है।
    - ब्रिक्स में ईरान के शामिल होने से क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और चाबहार बंदरगाह (जिससे भारत संबद्ध है) के माध्यम से कनेक्टिविटी परियोजनाओं के पुनरुद्धार के अवसर मिल रहे हैं।

निष्कर्ष

ब्रिक्स समूह के विस्तार से इसके भू-रणनीतिक महत्त्व की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ब्रिक्स ने हाल ही में संपन्न हुए अपने शिखर सम्मेलन के माध्यम से इस बात पर बल दिया है कि उनकी "रणनीतिक साझेदारी अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" के निर्माण की दिशा में प्रेरित होगी। ब्रिक्स की सदस्यता के हालिया विस्तार ने एक ऐसे समूह को आकार दिया है जो वैश्विक धारणाओं और हितों के अनुरूप है तथा सामूहिक रूप से विस्तारित समूह को व्यापक आर्थिक शक्ति प्रदान करता है। एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर बल देने के समूह के प्रयासों को "आधुनिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़" के रूप में वर्णित किया गया है।

जल की कमी का समाधान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, जून-अगस्त 2023 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून (South-West monsoon) देश के 42% ज़िलों में सामान्य से नीचे रहा है। अगस्त माह में देश में वर्षा सामान्य से 32% कम हुई, जबकि दक्षिणी राज्यों में यह 62% कम रही। इसे भारत में पिछले 122 वर्षों में (यानी वर्ष 1901 के बाद से अब तक) अगस्त माह में सबसे कम वर्षा के रूप में दर्ज किया गया। दक्षिण-पश्चिम मानसून के समाप्त होने में अब जबकि केवल एक माह शेष रह गया है, वर्षा की इस कमी से न केवल कृषि क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल की भारी कमी उत्पन्न हो सकती है।

संबंधित आँकड़े:

- भारत में एक वर्ष में उपयोग किये जा सकने वाले जल की शुद्ध मात्रा 1,121 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) अनुमानित है। हालाँकि, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आँकड़ों से पता चलता है कि जल की कुल माँग वर्ष 2025 में 1,093 bcm और वर्ष 2050 में 1,447 bcm तक पहुँच सकती है।
    - इसका अर्थ यह है कि अगले 10 वर्षों में भारत में जल की भारी कमी उत्पन्न होगी।
- फाल्कनमार्क जल सूचकांक (Falkenmark Water Index)—जो विश्व भर में जल की कमी के मापन के लिये उपयोग किया जाता है, के अनुसार जहाँ भी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्ध मात्रा 1,700 क्यूबिक मीटर से कम है, वहाँ जल की कमी की स्थिति है।
    - इस सूचकांक के अनुसार, भारत में लगभग 76% लोग पहले से ही जल की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं।

तमिलनाडु का मामला:

तमिलनाडु—जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता के मामले में जल की कमी वाले राज्यों में से एक है, में वर्ष 1990-91 के पहले से ही जल की मांग इसकी आपूर्ति से अधिक रही है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2004 में तमिलनाडु की जल की कुल आवश्यकता 31,458 मिलियन क्यूबिक मीटर (mcm) थी, लेकिन आपूर्ति केवल 28,643 mcm थी। इसका अर्थ यह है कि तमिलनाडु पिछले 30 वर्षों से जल की कमी का सामना कर रहा है।

भारत में जल की कमी के पीछे के प्राथमिक कारण:

- **वर्षा का असमान वितरण:** भारत में वर्षा के असमान वितरण की स्थिति पाई जाती है, जहाँ अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम (जून से सितंबर) में प्राप्त होती है। केरल और मेघालय जैसे राज्यों में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्रों में जल की लगातार कमी बनी रहती है।
    - 1 सितंबर, 2023 तक संचयी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 11% कम दर्ज की गई।

- **भूजल का अत्यधिक दोहन:** सिंचाई, औद्योगिक क्षेत्र और घरेलू उद्देश्यों के लिये भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण जलभृतों (aquifers) का ह्रास हुआ है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (Central Ground Water Board) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने भूजल संसाधनों का खतरनाक दर से अत्यधिक दोहन कर रहा है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में।
  - केंद्रीय भूजल बोर्ड ने जून 2022 में बताया कि पंजाब का ऊपरी 100 मीटर का भूजल वर्ष 2029 तक समाप्त हो जाएगा।
    - वर्ष 2039 तक 300 मीटर की पहुँच तक भूजल समाप्त हो जाएगा।
- **अकुशल जल प्रबंधन:** अकुशल जल प्रबंधन अभ्यास—जैसे सिंचाई प्रणालियों में जल की बर्बादी, जल भंडारण अवसंरचना की कमी और जल स्रोतों का अपर्याप्त रखरखाव—जल की कमी में योगदान करते हैं।
  - विश्व बैंक ने बताया है कि भारत अपने सिंचाई जल का 50% से अधिक अक्षमताओं के कारण गँवा देता है।
- **तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण:** शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण शहरों और औद्योगिक केंद्रों में जल की मांग बढ़ गई है। नीति आयोग (NITI Aayog) के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index- CWMI) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार के कारण कई भारतीय शहर जल की कमी से जूझ रहे हैं।
- **जल स्रोतों का प्रदूषण:** नदियों, झीलों और भूजल स्रोतों का प्रदूषण जल की कमी की समस्या को और बढ़ा देता है। जल प्रदूषण मानव और पर्यावरणीय उपयोग के लिये उपलब्ध जल की गुणवत्ता एवं मात्रा को प्रभावित करता है।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) ने पाया कि गंगा और यमुना सहित भारत की कई प्रमुख नदियाँ अत्यधिक प्रदूषित हैं, जिससे जल की गुणवत्ता और उपलब्धता प्रभावित हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन से प्रेरित बदलते मौसम पैटर्न और बढ़ते तापमान का जल संसाधनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनियमित मानसून, लंबे समय तक सूखे की स्थिति और वर्षा के बदलते पैटर्न ने विभिन्न भूभागों में जल की उपलब्धता को बाधित कर दिया है।
  - ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित अल-नीनो (El Nino), जो प्राय: भारत में वर्षा की मात्रा को कम कर देता है, हाल के वर्षों में 'न्यू नॉर्मल' बनता जा रहा है।
- **कृषि के लिये जल का अकुशल उपयोग:** भारत में कृषि क्षेत्र जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो कुल जल उपयोग में लगभग 85% हिस्सेदारी रखता है। अधिकांश सिंचाई विधियाँ पुरानी और बेकार हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप निम्न जल उत्पादकता और उच्च जल हानि की स्थिति बनती है। इसके अलावा, गन्ना, कपास और धान जैसी जल-गहन (water-intensive) फसलों की खेती गिरते जल स्तर वाले क्षेत्रों में अब भी लगातार जारी है।
  - इन फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बिजली सब्सिडी प्रदान करने की सरकारी नीतियाँ किसानों को जल के अत्यधिक उपयोग के लिये प्रोत्साहित करती हैं।
- **पर्याप्त जल अवसंरचना का अभाव:** भंडारण जलाशयों, नहरों और उपचार सुविधाओं सहित जल अवसंरचना में अपर्याप्त निवेश ने जल को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और वितरित करने की क्षमता को सीमित कर दिया है।
- **जनसंख्या वृद्धि:** लगभग 1.4 बिलियन आबादी के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है। वर्ष 2050 तक यह जनसंख्या बढ़कर 1.7 बिलियन तक पहुँच सकती है। इससे देश में उपलब्ध सीमित जल संसाधनों पर भारी दबाव का निर्माण हो सकता है।
- **अपर्याप्त नीति कार्यान्वयन:** जल संरक्षण उपायों, भूजल नियमों और पर्यावरण संबंधी कानूनों के कमज़ोर कार्यान्वयन ने जल की कमी को दूर करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है।

भारत में जल की कमी के संभावित प्रभाव:

- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** सुरक्षित पेयजल तक पहुँच की कमी से निर्जलीकरण, संक्रमण, बीमारियाँ और यहाँ तक कि मृत्यु जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण भारत में हर वर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है।
  - विश्व बैंक के अनुसार, भारत में विश्व की 18% आबादी निवास करती है, लेकिन इसके पास केवल 4% लोगों के लिये ही पर्याप्त जल संसाधन हैं। वर्ष 2023 में, लगभग 91 मिलियन भारतीय सुरक्षित जल तक पहुँच से वंचित होंगे।
- **पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा:** जल की कमी भारत में वन्यजीवों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिये भी खतरा पैदा करती है। कई वन्य पशुओं को जल की तलाश में मानव बस्तियों की ओर जाना पड़ता है, जिससे संघर्ष और संकट उत्पन्न हो सकता है। जल की कमी जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन को भी बाधित करती है।

- **कृषि उत्पादकता में कमी:** जल की कमी का कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो देश के 85% जल संसाधनों का उपभोग करता है। जल की कमी से फसल की पैदावार कम हो सकती है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और किसानों में गरीबी बढ़ सकती है।
- **आर्थिक हानि:** जल की कमी भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। जल की कमी औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर सकती है, ऊर्जा उत्पादन को कम कर सकती है और जल आपूर्ति एवं उपचार की लागत को बढ़ा सकती है। जल की कमी पर्यटन, व्यापार और सामाजिक कल्याण को भी प्रभावित कर सकती है।
    - विश्व बैंक (2016) की 'जलवायु परिवर्तन, जल और अर्थव्यवस्था' (Climate Change, Water and Economy) शीर्षक रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि जल की कमी वाले देशों को वर्ष 2050 तक आर्थिक विकास में बड़े आघात का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:

- राष्ट्रीय जल नीति, 2012
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- जल शक्ति अभियान – 'कैच द रेन' अभियान
- अटल भूजल योजना
- प्रति बूँद अधिक फसल (Per Drop More Crop)

जल की कमी को दूर करने के उपाय:

- **अति-उपभोग को कम करना:** जल की कमी का एक मुख्य कारण कृषि, उद्योग और घरों जैसे विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जल का अत्यधिक एवं अकुशल उपयोग है। IoT, AI और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर जल की खपत का अधिक प्रभावी ढंग से मापन और इसका प्रबंधन किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिये, रिमोट सेंसिंग और उपग्रह निगरानी किसानों को मौसम की स्थिति और स्थानीय स्थलाकृति के आधार पर सिंचाई प्रक्रियाओं की योजना तैयार करने में मदद कर सकती है। इससे जल की बचत की जा सकती है और फसल उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।
        - छत्तीसगढ़ के एक किसान प्रशांत मारू ने अपने खेत में IoT का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप फसल की उपज में 20% की वृद्धि हुई और जल की खपत में कमी आई।
    - इसके साथ ही, भारत को अपनी बिजली सब्सिडी नीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है।
- **जल दक्षता में सुधार लाना:** जल की कमी को दूर करने का एक अन्य तरीका जल प्रणालियों और अवसंरचना (जैसे वितरण नेटवर्क, उपचार संयंत्र और भंडारण सुविधा) के प्रदर्शन में सुधार लाना हो सकता है। जल रिसाव की मरम्मत करने, हानि को कम करने और उपकरणों को अपग्रेड करने के माध्यम से जल की बर्बादी को कम किया जा सकता है तथा जल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिये, यूनिसेफ (UNICEF) ने जल रिसाव (water leakage) और संदूषण (contamination) को कम करने के लिये कई देशों में शहरी जल वितरण नेटवर्कों और उपचार प्रणालियों का पुनरुद्धार किया किया है।
- **जल स्रोतों का विस्तार करना:** जल के वैकल्पिक या अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाया जाना चाहिये और इसके लिये वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting), जलसेतु (aqueducts), अलवणीकरण (desalination), जल का पुन: उपयोग (water reuse) एवं उपयुक्त भूजल निष्कर्षण की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिये। ये उपाय विभिन्न उद्देश्यों और स्थानों के लिये जल की उपलब्धता एवं पहुँच की वृद्धि कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, अलवणीकरण से तटीय क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के लिये समुद्री जल को मीठे जल में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **जल संसाधनों की रक्षा करना:** नदी, झील, आर्द्रभूमि, वन एवं मृदा जैसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और उन्हें पुनर्स्थापित करना, जो जल प्रदान करने और उनके विनियमन में योगदान करते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र जल चक्र (water cycle) को बनाए रखने, प्रदूषकों को फ़िल्टर करने, कटाव को रोकने और बाढ़ एवं सूखे को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - उदाहरण के लिये, आर्द्रभूमियों की पुनर्स्थापना से अपवाह के संग्रहण और भूजल के संभरण के रूप में जल की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार किया जा सकता है।
- **जल नीतियों में सुधार लाना:** जल प्रबंधन और आवंटन को नियंत्रित करने वाली नीतियों एवं संबद्ध संस्थानों में सुधार किया जाए। इसमें जल के उपयोग, मूल्य निर्धारण और संरक्षण के लिये स्पष्ट नियम एवं प्रोत्साहन तय करना; हितधारकों की भागीदारी एवं सहयोग को बढ़ावा देना; निगरानी एवं प्रवर्तन बढ़ाना; और जल संबंधी मुद्दों को व्यापक विकास योजनाओं में एकीकृत करना शामिल है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, निम्न जल-गहन फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन नीतियाँ शुरू करने से कृषि में जल के उपयोग पर दबाव कम हो सकता है।
- भारत को अपनी मौजूदा MSP व्यवस्था पर भी पुनर्विचार करने की ज़रूरत है जो धान और गन्ना जैसी उच्च जल-गहन फसलों की खेती को बढ़ावा देती है।

- **सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का प्रयोग करना:** ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे अभ्यासों का उपयोग कर न केवल जल की खपत को कम किया जा सकता है बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है।
  - एमएस स्वामीनाथन समिति की 'जल की प्रति बूँद अधिक फसल और आय' (More Crop and Income Per Drop of Water) शीर्षक रिपोर्ट (2006) के अनुसार, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से फसल की खेती में लगभग 50% जल की बचत की जा सकती है और इससे फसलों की उपज 40-60% तक बढ़ सकती है।
- **बरीड क्ले पॉट प्लांटेशन तकनीक' (Buried Clay Pot Plantation Technique) का उपयोग करना:** इस विधि की सफलता दर 90% है और इसकी दक्षता बहुत अधिक है, यहाँ तक कि इसे ड्रिप सिंचाई से भी बेहतर पाया गया है। चूँकि राजस्थान में वृक्षारोपण कठिन है और उत्तरजीविता चुनौतीपूर्ण है, यह विधि लवणीय मिट्टी और रेगिस्तानी परिस्थितियों में अत्यंत प्रभावी है। यह अत्यंत शुष्क वातावरण में भूमि पुनर्बहाली के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है।
  - मटका थिम्बक सिंचाई की एक प्राचीन विधि है जिसमें पौधों को जल देने के लिये सूक्ष्म छिद्रयुक्त मटकों का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में मटकों में जल भरकर इसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जहाँ केवल इसकी गर्दन मिट्टी के ऊपर उभरी रहती है।
    - मटके से जल रिसता रहता है और धीरे-धीरे आसपास के पौधों तक फैल जाता है। ये मटके पौधों को कम से कम पाँच दिनों तक नमी और जल प्रदान कर सकते हैं।

G20: विकासशील विश्व का मंच

नई दिल्ली द्वारा सितंबर 2023 में आयोजित 18वाँ G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी संघ (African Union- AU) के स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश के साथ इस समूह का के ऐतिहासिक विस्तार का साक्षी बना। अफ्रीकी संघ 55 सदस्य देशों का एक महाद्वीपीय निकाय है जो अब यूरोपीय संघ (EU) के समान दर्जा रखता है और पूर्ण सदस्यता वाला (अफ्रीका के सभी 55 देशों की सदस्यता के साथ) एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है।

अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भारत द्वारा जून 2023 में प्रस्तुत किया गया और AU के साथ ही सभी G20 सदस्यों ने इसका स्वागत किया था। G20 में AU को शामिल किया जाना भारत की अध्यक्षता की एक उपलब्धि है और यह वैश्विक दक्षिण या 'ग्लोबल साउथ' के विकासात्मक एजेंडे के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विकास सहयोग

- भारत ने G20 की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में ग्रहण की थी जहाँ इसका थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात 'एक पृथ्वी - एक परिवार - एक भविष्य' (One Earth • One Family • One Future) तय किया गया था। G20 अध्यक्षता के लिये भारत का दृष्टिकोण हरित विकास (green development), जलवायु वित्त (climate finance) एवं 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली' (Lifestyle for Environment- LiFE) को बढ़ावा देने; समावेशी एवं प्रत्यास्थी विकास को गति प्रदान करने; सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) की दिशा मंम प्रगति करने; प्रौद्योगिकीय रूपांतरण (technological transformation) एवं 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) को बढ़ावा देने; 21वीं सदी के लिये बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार लाने; और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का समर्थन करने पर केंद्रित रहा।
- भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह (Disaster Risk Reduction Working Group); स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप (Startup 20 Engagement Group); ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल (Global Sovereign Debt Roundtable) के शुभारंभ; और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuel Alliance) के निर्माण जैसे अभिनव पहल भी किये।
- भारत की G20 अध्यक्षता ने अफ्रीका और अन्य विकासशील भूभागों के साथ अपने विकास सहयोग को भी प्रदर्शित किया। भारत अफ्रीका का दीर्घकालिक भागीदार रहा है जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और शांति स्थापना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता को साझा करता है।
- भारत ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (Export-Import Bank of India) के माध्यम से अफ्रीका में 182 परियोजनाओं के लिये 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण सुविधा भी प्रदान की है। भारत ने पैन-अफ्रीकन

ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट (Pan-African e-Network Project), टीम-9 पहल (Team-9 Initiative), भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (India-Africa Forum Summit), भारत-अफ्रीका व्यापार परिषद (India-Africa Trade Council), भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान सहयोग मंच (India-Africa Health Sciences Platform) और भारत-अफ्रीका कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान (India-Africa Institute of Agriculture and Rural Development) जैसे कई प्रमुख कार्यक्रम भी शुरू किये हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA), आपदा-रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure- CDRI) और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अफ्रीका की भागीदारी का भी समर्थन किया है।

G20 सदस्यता के बाद अफ्रीका के लिये लाभ और अवसर

- G20 में AU को शामिल किया जाना अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक वैश्विक शासन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। AU 1.4 बिलियन लोगों और 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सामूहिक जीडीपी वाले महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है ।
- वर्ष 2023 में 4.1% की अनुमानित विकास दर के साथ अफ्रीका विश्व के सबसे तेज़ी से विकास करते क्षेत्रों में से एक है।
- गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल रूपांतरण, व्यापार सुविधा, ऋण संवहनीयता और शांति एवं सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये अफ्रीका की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को शामिल करना आवश्यक है।
- G20 में AU को शामिल करने से अफ्रीका और G20 सदस्यों, दोनों के लिये लाभ और अवसरों के द्वार खुलेंगे।
  - अफ्रीका के दृष्टिकोण से, यह वैश्विक मंच पर उसके साझा हितों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिये एक मंच प्रदान करेगा, जैसे कि:
    - एजेंडा 2063 और एजेंडा 2030 का कार्यान्वयन;
    - अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (African Continental Free Trade Area- AfCFTA) का क्रियान्वयन;
    - जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लामबंदी; और
    - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का सुधार।
  - G20 सदस्यों के दृष्टिकोण से, यह अवसंरचना विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीका के साथ सहयोग एवं साझेदारी के नए मार्ग खोलेगा।
    - यह G20 सदस्यों और अफ्रीकी देशों के बीच आपसी समझ एवं भरोसे को भी बढ़ावा देगा।

G20 के साथ AU की संलग्नता से अफ्रीका और विश्व के लिये कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी?

G20 में AU को शामिल किये जाने से कुछ चुनौतियाँ भी पैदा होंगी और इसकी प्रभावशीलता एवं संवहनीयता को सुनिश्चित करने के लिये कुछ कार्रवाइयों की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

- G20 के साथ अपनी संलग्नता में सुसंगतता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये AU को अपने सदस्य राज्यों एवं क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के साथ अपनी स्थिति और प्राथमिकताओं का समन्वय करना होगा।
- AU को विभिन्न ट्रैक्स एवं वर्क-स्ट्रीम में G20 प्रक्रियाओं और बैठकों में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिये अपनी संस्थागत क्षमता और मानव संसाधनों को सुदृढ़ करना होगा।
- AU को अफ्रीकन यूनियन कमीशन (AUC), अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी (AUDA-NEPAD), संयुक्त राष्ट्र (UN), यूरोपीय संघ (EU), राष्ट्रमंडल (Commonwealth), फ्रैंकोफ़ोनी (Francophonie) जैसे अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं एवं दायित्वों को संतुलित करना होगा।
- AU को ऐसे अन्य G20 सदस्यों के साथ अपनी अपेक्षाओं और हितों का प्रबंधन करना होगा जिनके पास विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग एजेंडे और दृष्टिकोण हो सकते हैं।
- AU को यह सुनिश्चित करना होगा कि G20 में उसकी भागीदारी से अफ्रीका के विकास के लिये ठोस परिणाम और लाभ प्राप्त हों।

आगे की राह

AU को G20 के साथ अपनी संलग्नता को समन्वित करने के लिये अपनी संरचनाओं के भीतर एक समर्पित तंत्र या इकाई स्थापित करनी चाहिये। इस तंत्र या इकाई को G20 एजेंडे पर अफ्रीका की स्थिति और प्राथमिकताओं को तैयार करने तथा संप्रेषित करने के लिये AUC, AUDA-NEPAD, क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों, सदस्य राज्यों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के साथ निकटता से संपर्क बनाना चाहिये।

- AU को G20 प्रक्रियाओं और बैठकों में प्रभावी ढंग से भागीदारी करने के लिये अपनी क्षमता और संसाधनों को बढ़ाने हेतु G20 सदस्यों और अन्य भागीदारों से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करनी चाहिये।
- AU को अपनी G20 भागीदारी हेतु समर्थन जुटाने के लिये भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, अफ्रीका-EU साझेदारी, अफ्रीका-चीन फोरम जैसी पहले से मौजूद साझेदारियों और मंचों का भी लाभ उठाना चाहिये।
- AU को अपनी G20 संलग्नता को एजेंडा 2063, एजेंडा 2030, AfCFTA जैसे अपने मौजूदा ढाँचे और रणनीतियों के साथ संरेखित करना चाहिये।
- AU को अपनी G20 संलग्नता और AUC, AUDA-NEPAD, UN, EU, कॉमनवेल्थ, फ्रैंकोफोनी जैसी अपनी अन्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक संलग्नताओं के बीच सुसंगतता एवं संपूरकता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- AU को अपनी G20 संलग्नता में रचनात्मक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, जहाँ विभिन्न मुद्दों पर अन्य G20 सदस्यों के साथ साझा आधार और आम सहमति की तलाश की जा सकती है। AU को बदलती परिस्थितियों और वैश्विक क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के प्रति लचीला और अनुकूलनीय भी बनना होगा।

AU को अपनी G20 भागीदारी की निगरानी और मूल्यांकन करना होगा, जहाँ अफ्रीका के विकास पर इसके प्रभाव एवं परिणामों की माप करनी होगी। AU को सदस्य राज्यों और अन्य हितधारकों के बीच अपनी G20 भागीदारी का प्रसार एवं संचार करना होगा, जहाँ यह अपनी उपलब्धियों और चुनौतियों को रेखांकित करे।

निष्कर्ष

G20 में AU को शामिल किया जाना भारत की अध्यक्षता की एक उपलब्धि है और यह 'ग्लोबल साउथ' के विकासात्मक एजेंडे के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और शासन में अफ्रीका के महत्त्व एवं क्षमता की मान्यता भी है। AU को वैश्विक सार्वजनिक कल्याण में योगदान करते हुए वैश्विक मंच पर अपने हितों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिये इस ऐतिहासिक अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिये।

सिंथेटिक मानव भ्रूण: सफलता या दुविधा

स्टेम कोशिकाओं (stem cells) का उपयोग कर सिंथेटिक मानव भ्रूण (Synthetic Human Embryos- SHE) का सृजन करने की हाल की घोषणा ने वैज्ञानिक और नैतिकतावादी समुदायों के बीच में अत्यंत रुचि उत्पन्न की है और एक बहस छेड़ दी है।

सिंथेटिक मानव भ्रूण या 'SHEEFs' (Synthetic Human Entities with Embryo-like Features) ऐसी संरचनाएँ हैं जो आरंभिक मानव भ्रूण के सदृश होती हैं, लेकिन इनका सृजन अंडाणु या शुक्राणु कोशिकाओं (egg or sperm cells) के प्रत्यक्ष योगदान के बिना स्टेम कोशिकाओं से किया जाता है।

इन संरचनाओं में मानव विकास, आनुवंशिक विकारों (genetic disorders) और गर्भावस्था हानि (pregnancy loss) के विषय में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता है, लेकिन इसके साथ ही उनकी स्थिति, उपयोग और विनियमन के बारे में गंभीर नैतिक एवं विधिक प्रश्न भी खड़े होते हैं।

सिंथेटिक मानव भ्रूण (SHE) क्या हैं और उनका निर्माण कैसे किया जाता है?

- **परिचय:** ये अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से नहीं बनते हैं, बल्कि प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं (pluripotent stem cells) से बनाये जाते हैं। स्टेम कोशिकाएँ ऐसी कोशिकाएँ हैं जो शरीर में लगभग किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित हो सकती हैं।
  - ये स्टेम कोशिकाएँ भ्रूण से प्राप्त की जा सकती हैं या त्वचा कोशिका या रक्त कोशिकाओं जैसी वयस्क कोशिकाओं से 'रि-प्रोग्राम' की जा सकती हैं।
- **SHE का निर्माण:** शोधकर्ता 'कल्चर' की दशाओं और कोशिका विभेदन (cell differentiation) का मार्गदर्शन करने वाले संकेतों में हेरफेर कर स्टेम कोशिकाओं को त्रि-आयामी संरचनाओं (three-dimensional structures) में स्व-व्यवस्थित होने के लिये प्रेरित कर सकते हैं जो आरंभिक भ्रूण विकास के कुछ पहलुओं की नकल करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, ये संरचनाएँ एक ब्लास्टोसिस्ट सदृश गुहा (blastocyst-like cavity), एक प्लेसेंटा सदृश ऊतक (placenta-like tissue) और एक आदिम स्ट्रीक सदृश संरचना (streak-like structure) का निर्माण कर सकती हैं, जो गैस्ट्रुलेशन (gastrulation) की शुरुआत को चिह्नित करती है। गैस्ट्रुलेशवह प्रक्रिया जिसके द्वारा तीन जर्म लेयर्स (एक्टोडर्म, मेज़ोडर्म और एंडोडर्म) का निर्माण होता है।
- **विश्व का पहला SHE:** विश्व का पहला सिंथेटिक मानव भ्रूण कथित तौर पर कैंब्रिज विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक टीम द्वारा बनाया गया तथा उनके इस शोध को जून 2023 में 'इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च' के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नोट :

- रिपोर्ट के अनुसार, इन सिंथेटिक मानव भ्रूणों को उस चरण तक विकसित किया गया जो लगभग 14 दिनों की अवधि के बराबर था, जो कि कई देशों में प्राकृतिक मानव भ्रूणों के अध्ययन के लिये आरोपित कानूनी सीमा है।

सिंथेटिक मानव भ्रूण के विकास से संबंधित नियम:

- सिंथेटिक मानव भ्रूण के विकास से संबंधित कानून और नियम दुनिया के विभिन्न देशों एवं भूभागों में व्यापक रूप से भिन्न हैं।
  - पूर्ण निषेध: कुछ देशों में सख़्त विनियमन लागू हैं जो किसी भी प्रकार के मानव भ्रूण अनुसंधान को प्रतिबंधित या निषिद्ध करते हैं, जैसे जर्मनी, इटली, आयरलैंड, पोलैंड और स्लोवाकिया।
  - अनुसंधान की अनुमति: कुछ अन्य देशों में अधिक अनुमेय विनियमन मौजूद हैं जो कुछ शर्तों और निरीक्षण के अधीन मानव भ्रूण अनुसंधान के कुछ रूपों की अनुमति प्रदान करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्राँस, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएस।
    - हालाँकि, इनमें से अधिकांश विनियमन स्पष्ट रूप से सिंथेटिक मानव भ्रूण या अन्य प्रकार के स्टेम सेल-आधारित भ्रूण मॉडल को संबोधित नहीं करते हैं।
- **भारतीय संदर्भ:** भारत में सिंथेटिक मानव भ्रूण अनुसंधान को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट विधान मौजूद नहीं है। हालाँकि, कुछ दिशानिर्देश मौजूद हैं जो सामान्य रूप से स्टेम सेल अनुसंधान पर लागू होते हैं।
  - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने वर्ष 2017 में स्टेम सेल अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किये, जो मनुष्यों या पशुओं से जुड़े स्टेम सेल अनुसंधान के संचालन के लिये नैतिक सिद्धांत एवं मानदंड प्रदान करते हैं।

SHE के विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते:

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई बाध्यकारी संधि या कन्वेंशन मौजूद नहीं है जो सिंथेटिक मानव भ्रूण अनुसंधान को नियंत्रित करते हों। हालाँकि, कुछ गैर-बाध्यकारी घोषणाएँ और अनुशंसाएँ मौजूद हैं जो इस क्षेत्र के लिये कुछ मार्गदर्शन एवं मानक प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिये:
  - यूनेस्को (UNESCO) की मानव जीनोम और मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights), 1997:
    - इसमें कहा गया है कि "ऐसे अभ्यास जो मानवीय गरिमा के विपरीत हैं, जैसे कि मानवों की प्रजनन क्लोनिंग, की अनुमति नहीं दी जाएगी" और यह कि "मानव जीनोम पर हस्तक्षेप केवल निवारक, नैदानिक या चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये और संबद्ध व्यक्ति की सूचित सहमति से किया जाना चाहिये"।
  - यूनेस्को की जैवनैतिकता और मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration on Bioethics and Human Rights), 2005:
    - इसमें कहा गया है कि मानव से जुड़े किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में "मानव गरिमा, मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रता का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिये" और यह भी कि "व्यक्ति के हितों और कल्याण को विज्ञान या समाज के एकमात्र हित के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिये"।
  - 'इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च' द्वारा जारी दिशानिर्देश:
    - इसे वर्ष 2021 में स्टेम सेल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रांसलेशन के लिये जारी किया गया जो मानव भ्रूण, स्टेम सेल, ऑर्गनॉइड और अन्य मॉडलों से जुड़े नैतिक एवं उत्तरदायी स्टेम सेल रिसर्च के संचालन के लिये विस्तृत अनुशंसाएँ प्रदान करता है।

सिंथेटिक मानव भ्रूण का महत्त्व:

- **मानव विकास का अध्ययन करना:** सिंथेटिक मानव भ्रूण (SHE) मानव विकास का अध्ययन करने के लिये (विशेष रूप से आरंभिक चरण का अध्ययन, जहाँ अभिगम्यता या प्राकृतिक भ्रूणों में अवलोकन कठिन होता है) एक प्रभावशाली उपस्कर प्रदान कर सकता है।
  - इससे शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिल सकती है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, जीन कैसे नियंत्रित होते हैं, बीमारियाँ कैसे होती हैं या उन्हें कैसे रोका जा सकता है और गर्भावस्था कैसे स्थापित होती है या किस तरह उसकी हानि होती है।
- **अनुसंधान के लिये मानव भ्रूण का विकल्प:** सिंथेटिक मानव भ्रूण अनुसंधान उद्देश्यों के लिये प्राकृतिक मानव भ्रूण का एक मूल्यवान विकल्प या पूरक प्रदान कर सकते हैं।
  - ये IVF भ्रूणों पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, जो प्राय: दुर्लभ या अनुपलब्ध होते हैं और यह उनके उपयोग या विनाश से जुड़ी कुछ नैतिक चिंताओं को टाल सकता है।

- **पुनर्योजी चिकित्सा में अनुप्रयोग:** सिंथेटिक मानव भ्रूण पुनर्योजी चिकित्सा (Regenerative Medicine) और जैव प्रौद्योगिकी के लिये नवीन अनुप्रयोगों को सक्षम कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, सिंथेटिक मानव भ्रूण का उपयोग प्रत्यारोपण या थेरेपी के लिये विशिष्ट कोशिका प्रकार या ऊतकों के सृजन के लिये किया जा सकता है, जैसे कि रक्त कोशिकाएँ, तंत्रिका कोशिकाएँ, हृदय कोशिकाएँ, यकृत कोशिकाएँ आदि।
  - सिंथेटिक मानव भ्रूण का उपयोग औषध टेस्टिंग या स्क्रीनिंग के लिये रोग या आघात के मॉडल निर्माण के लिये भी किया जा सकता है।

सिंथेटिक मानव भ्रूण के विकास से संबद्ध प्रमुख मुद्दे:

- **अस्पष्ट विनियमन:** सिंथेटिक मानव भ्रूण अपनी नैतिक स्थिति, उपयोग और विनियमन के संबंध में नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं।
  - जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सिंथेटिक मानव भ्रूण इस बारे में सवाल खड़े करते हैं कि क्या उनके कोई हित या अधिकार हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिये, उनका उपयोग एवं विनियमन कैसे किया जाना चाहिये, उन तक किन लोगों की पहुँच होनी चाहिये और उनके उपयोग की निगरानी किसे करनी होगी।
- **अवास्तविक अपेक्षाओं/झूठी धारणाओं की स्थापना:** सिंथेटिक मानव भ्रूण उनकी सार्वजनिक धारणा और स्वीकृति के संबंध में सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न कर सकते हैं।
  - वे समाज के कुछ वर्गों की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें अप्राकृतिक, अनैतिक या ख़तरनाक मान सकते हैं।
  - सिंथेटिक मानव भ्रूण कुछ रोगियों या उपभोक्ताओं के बीच अवास्तविक अपेक्षाएँ या झूठी उम्मीदें भी पैदा कर सकते हैं जो अप्रमाणित या अनुचित उद्देश्यों के लिये उनकी मांग कर सकते हैं।
- **क्लोनिंग और सिंथेटिक जीवन रूपों से संबंधित मुद्दे:** सिंथेटिक भ्रूण कुछ सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकते हैं।
  - स्टेम कोशिकाओं में हेरफेर करने और सिंथेटिक जीवन रूप या क्लोनिंग निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों एवं परिणामों के बारे में अभी भी व्यापक अनिश्चितता व्याप्त है।
  - इन प्रौद्योगिकियों को मानवों या पशुओं पर लागू करने से पहले वृहत एवं कठोर परीक्षण और निगरानी की आवश्यकता है।

SHE से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **व्यापक विमर्श की आवश्यकता:** SHE के विकास से संबंधित नैतिक प्रश्नों का कोई सरल या निश्चित उत्तर मौजूद नहीं है, क्योंकि उनसे जटिल और विविध दृष्टिकोण एवं हित संलग्न हैं।
  - इस प्रकार, शोधकर्ताओं, नैतिकतावादियों, नीति-निर्माताओं, नियामकों, चिकित्सकों, रोगियों, दाताओं, पक्ष-समर्थकों, मीडिया और जनता जैसे विभिन्न अभिकर्ताओं और क्षेत्रों के बीच वृहत संवाद एवं विमर्श की आवश्यकता है।
- **विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता:** विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच अधिक सहयोग एवं समन्वय की भी आवश्यकता है, क्योंकि इन प्रौद्योगिकियों से वैश्विक निहितार्थ और अनुप्रयोग संलग्न हैं।
  - अधिक सामंजस्यपूर्ण और मानकीकृत कानूनों एवं दिशानिर्देशों की आवश्यकता है, साथ ही इस क्षेत्र में क्रियान्वित अभ्यासों और परिणामों के संबंध में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।
- **जोखिमों को संतुलित करने की आवश्यकता:** इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के विषय में अधिक संतुलन और सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ अवसर और जोखिम दोनों ही मौजूद हैं। सृजित सिंथेटिक भ्रूणों के साथ-साथ इस क्षेत्र में उपयोग किये जाने वाले या इससे प्रभावित होने वाले प्राकृतिक भ्रूणों के प्रति अधिक सम्मान और दायित्व की आवश्यकता है।
  - इस क्षेत्र का उपयोग करने में अधिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मानवता के लिये लाभ और लागत दोनों निहित हैं।

निष्कर्ष

सिंथेटिक मानव भ्रूण विज्ञान का एक नया मोर्चा है जो अवसर और जोखिम दोनों प्रदान करता है। उनमें मानव विकास के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने और हमारे स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता है, लेकिन वे नैतिक दुविधाएँ और सामाजिक चुनौतियाँ भी रखते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि उनका उपयोग अच्छाई के लिये किया जाए न कि बुराई के लिये, उन पर सावधानीपूर्वक विचार और विनियमन की आवश्यकता है। समाज उन्हें स्वीकार करे और उनका सम्मान करे, इसके लिये उन पर वृहत संवाद एवं विमर्श किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, वे मानव जीवन पर हमारे दृष्टिकोण और मूल्यों पर पुनर्विचार करने की चुनौती भी पेश करते हैं।

नोट :

मतदान प्रतिशत में वृद्धि

पिछले कुछ महीनों से अगले आम चुनाव के कार्यक्रम को लेकर अटकलें लगाई गयीं लेकिन भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) द्वारा लाई गई महत्त्वाकांक्षी नई रणनीति में एक बात जो अपेक्षाकृत अनदेखी रह गई है, वह है मतदान कार्यान्वयन योजना (Turnout Implementation Plan- TIP)। यह निर्वाचन आयोग द्वारा किये जा रहे विभिन्न हस्तक्षेपों की कड़ी में नवीनतम है जिसका आरंभ वर्ष 2010 में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (Systematic Voter Education and Electoral Participation- SVEEP) कार्यक्रम के साथ हुआ था और जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड कुल मतदान या वोटर टर्नआउट (Voter Turnout) दर्ज किया गया।

वर्ष 2009 में मतदान प्रतिशत 58% रहा था, जो वर्ष 2014 में बढ़कर 66.4% और वर्ष 2019 में 67.6% हो गया। ECI अब इसे 70% से आगे ले जाने की उम्मीद कर रहा है।

निर्वाचन आयोग की टर्नआउट कार्यान्वयन योजना (TIP):

- यह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये एक लक्षित मतदाता पहुँच पहल (targeted voter outreach initiative) है। TIP का लक्ष्य चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर मतदान प्रतिशत को 70% से आगे ले जाना है:
  - मतदाता पंजीकरण: मतदाता सूची (electoral rolls) और दूरस्थ मतदान (remote voting) का एक कठोर पुनरीक्षण, जो लाखों आंतरिक प्रवासियों को सशक्त बना सकता है।
  - मतदाता जागरूकता: एक व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान जिसमें चुनावी भागीदारी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि पंजीकरण कैसे करें, सत्यापन कैसे करें, मतदान कैसे करें और किसी भी मुद्दे या शिकायत की रिपोर्ट कैसे करें।
  - मतदाता सुविधा: एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ ICT प्लेटफॉर्म जो मतदाताओं को विभिन्न सेवाएँ और सूचना प्रदान करता है, जैसे ऑनलाइन पंजीकरण, मतदान केंद्र का स्थान, मतदाता हेल्पलाइन आदि।
  - मतदाता प्रतिक्रिया: एक प्रतिक्रिया या फीडबैक तंत्र जो चुनावी प्रक्रियाओं और परिणामों के विभिन्न पहलुओं पर मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया से डेटा एवं अंतर्दृष्टि एकत्र करता है।
- यह 10 बड़े राज्यों और लगभग 250 निर्वाचन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहाँ कुल मतदान वर्ष 2019 के राष्ट्रीय औसत से कम या कुछ अधिक था।
- यह ज़िला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को संलग्न करता है जो कम कुल मतदान के कारणों पर विचार करते हैं और स्थानीय कारणों को संबोधित करते हैं।
- यह मतदाताओं की उदासीनता को संबोधित करने और युवा एवं शहरी मतदाताओं जैसे उदासीन समूहों को संलग्न करने के लिये विशिष्ट संचार प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल देता है।
- यह कम मतदान वाले बूथों की व्यापक प्रोफाइलिंग और प्रत्येक बूथ की अनूठी विशेषताओं के अनुरूप समाधान को संलग्न करता है।

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कुल मतदान की वृद्धि के लिये पूर्व में कार्यान्वित कार्यक्रम:

- **सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (SVEEP) कार्यक्रम:** यह मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता के प्रसार और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये ECI का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था।
  - SVEEP कार्यक्रम कई सामान्य और लक्षित हस्तक्षेपों पर आधारित है जो राज्य की सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ-साथ चुनावों के पिछले दौर में चुनावी सहभागिता के इतिहास और उससे प्राप्त अनुभव के अनुसार तैयार किया गया है।
- **मतदाता हेल्पलाइन ऐप:** इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो पूरे देश में मतदाताओं को एकल बिंदु सेवा और सूचना वितरण प्रदान करता है।
  - यह ऐप मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने, ऑनलाइन पंजीकरण करने, सुधार के लिये आवेदन करने, मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने, चुनाव से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, शिकायतें दर्ज करने और रियल-टाइम कुल मतदान डेटा प्राप्त करने की अनुमति देता है।

भारत में कुल मतदान बढ़ाने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **मतदाता उदासीनता:** मतदान योग्य भारतीय आबादी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा राजनीति और चुनावों के प्रति उदासीनता या अरुचि रखता है।
  - भारत के शहरी नागरिकों पर प्राय: यह आरोप लगाया जाता है कि वे चुनावी प्रक्रिया में तमाशबीन बने रहते हैं – वे इसमें दिलचस्पी तो रखते हैं, लेकिन इससे संलग्न नहीं होते।

- कथित भ्रष्टाचार, निर्वाचित अधिकारियों की ओर से जवाबदेही की कमी और राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग के कारण वे मतदान के प्रति उत्साह नहीं रखते।
- **लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियाँ:** भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार और विविध आबादी यह सुनिश्चित करने में लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियाँ पेश करती हैं कि सभी योग्य मतदाता आसानी से मतदान केंद्रों तक पहुँच सकें।
- **जागरूकता और साक्षरता की कमी:** कई योग्य मतदाताओं में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मतदान के महत्त्व, उनके अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी पाई जाती है।
  - कुछ क्षेत्रों में उच्च निरक्षरता दर के कारण मतदाताओं के लिये उम्मीदवारों, उनके घोषणापत्रों और सही तरीके से मत डालने के तरीके को समझना कठिन हो जाता है।
- **असुविधाजनक चुनाव तिथियाँ:** चुनाव प्रायः असुविधाजनक समय के दौरान आयोजित होते हैं, जैसे कि चरम मौसमी दशाएँ, त्यौहार या कृषि फसल का मौसम, जो मतदाता को मतदान के लिये हतोत्साहित कर सकता है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी मुद्दे मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से अवरुद्ध कर सकते हैं, विशेष रूप से तनावपूर्ण अवधि के दौरान अथवा संघर्ष या विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में।
  - इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में मतदाता दमन की घटनाएँ, जैसे धमकी देना और हिंसा, कुल मतदान को हतोत्साहित करती हैं।
- **प्रवासन:** भारत में लाखों आंतरिक प्रवासियों को अपनी अस्थायी प्रकृति और अपने मतदाता पंजीकरण को अद्यतन कराने में निहित कठिनाइयों के कारण मतदान में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **प्रौद्योगिकीय चुनौतियाँ:** जबकि प्रौद्योगिकी मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर सकती है और चुनावी प्रक्रिया में सुधार कर सकती है, प्रौद्योगिकी तक पहुँच से संबंधित चुनौतियाँ और डिजिटल सुरक्षा के बारे में व्याप्त चिंताएँ इसे अपनाने में बाधक बन सकती हैं।
- **राजनीतिक दल और उम्मीदवार:** राजनीतिक दल और उम्मीदवार हमेशा उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सफल नहीं होते जो मतदाताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप हों, जिससे मतदाताओं में अरुचि उत्पन्न होती है।
- **मतदाता पहचान:** जाली पहचान पत्र और धोखाधड़ी को रोकते हुए पात्र मतदाताओं की सटीक पहचान सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य है। योग्य मतदाताओं का सूची से अपवर्जन भी कम कुल मतदान का कारण बनता है।

उच्च कुल मतदान के लाभ:

- **सरकार की वैधता में वृद्धि:** जब अधिक लोग मतदान करते हैं, तो चुनाव परिणाम पूरी आबादी की इच्छा को बेहतर ढंग से प्रकट करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन करने का एक अधिक मज़बूत जनादेश प्राप्त होता है और इससे सरकार की वैधता बढ़ जाती है।
- **जवाबदेही की वृद्धि:** जब अधिक लोग मतदान करते हैं तो निर्वाचित अधिकारी मतदाताओं के प्रति अधिक जवाबदेह बनते हैं। राजनेताओं की अपने मतदाताओं की आवश्यकताओं और चिंताओं के प्रति उत्तरदायी बनने की अधिक संभावना उत्पन्न होती है जब उन्हें पता होता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा निर्वाचन प्रक्रिया से संलग्न है और उस पर नज़र रख रहा है।
- **राजनीतिक स्थिरता:** जब अधिक लोग मतदान करते हैं तो विवादास्पद या विवादित चुनावों की संभावना कम हो जाती है, जिससे राजनीतिक स्थिरता की वृद्धि होती है। जब चुनावों को निष्पक्ष और समावेशी के रूप में देखा जाता है तो इससे विरोध, अशांति या सरकार की वैधता को चुनौती देने की संभावना कम हो जाती है।
  - इसके अलावा, जब अधिक लोग मतदान करते हैं तो नीतियों में आबादी की व्यापक सहमति प्रतिबिंबित होने की संभावना बढ़ जाती है।
  - निर्वाचित अधिकारी विभिन्न हितों को संतुलित करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाने की अधिक संभावना रखते हैं, जब वे जानते हैं कि उन्हें बड़े और अधिक विविध मतदाताओं को आकर्षित करने की आवश्यकता है।
- **नागरिक संलग्नता:** जब अधिक लोग मतदान करते हैं तो नागरिक संलग्नता और नागरिक कर्तव्य की भावना को बढ़ावा मिलता है। जो लोग चुनाव में भाग लेते हैं, उनके नागरिक जीवन के अन्य पहलुओं, जैसे सामुदायिक संगठनों और स्थानीय सरकारी गतिविधियों में शामिल होने की भी अधिक संभावना होती है।
- **सूचित निर्णयन:** जब अधिक लोग मतदान करते हैं तो उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को सार्थक बहसों से संलग्न होने और स्पष्ट नीति प्रस्ताव प्रदान करने के लिये अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। जब मतदाताओं की गुणवत्तापूर्ण सूचना और सुदृढ़ बहस तक पहुँच होती है तो उनके द्वारा सूचित निर्णय लेने की संभावना भी बढ़ जाती है।
- **चरमपंथ में कमी:** जब अधिक लोग मतदान करते हैं तो चरमपंथी या सीमांत समूहों का प्रभाव कम हो जाता है। नरमपंथी उम्मीदवार और नीतियाँ आबादी के व्यापक वर्ग को आकर्षित करते हैं, इसलिये जब अधिक लोग मतदान करते हैं तो यह समग्र राजनीतिक आख्यान को नरमपंथी (moderate) बना सकता है।

- **विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व:** जब अधिक लोग मतदान करते हैं तो निर्वाचकों के बीच विविधता बढ़ जाती है, जिसमें अधिक महिलाएँ, जातीय अल्पसंख्यक और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते हैं। यह विविधता ऐसी नीतियों को आगे बढ़ा सकती है जो अधिक समावेशी होंगी और आबादी की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करेंगी।

भारत में कुल मतदान बढ़ाने के लिये उठाए गये कदम:

- **मतदाता शिक्षा:** यह देखते हुए कि भारत ने अपेक्षाकृत देरी से मतदाता शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, इस क्षेत्र में निरंतर और गहन प्रयास किया जाना महत्त्वपूर्ण है। मतदाता शिक्षा अभियानों को नागरिकों को मतदान के महत्त्व, चुनावी प्रक्रिया और शासन पर उनके मतों के प्रभाव के बारे में सूचित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - ये अभियान टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों सहित विभिन्न माध्यमों से चलाये जा सकते हैं।
- **मतदाता सूची का पुनरीक्षण:** मतदाता सूची का नियमित और कठोर पुनरीक्षण, विशेष रूप से चुनाव के आसपास, किया जाना आवश्यक है। मतदाता सूची से मृत, अनुपस्थित या डुप्लिकेट नामों को हटाना और योग्य नागरिकों को जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता आधार जनसंख्या को सटीक रूप से दर्शाता है। प्रौद्योगिकी इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **मतदान की अभिगम्यता और सुगमता:** मतदान केंद्रों की भौतिक पहुँच से संबंधित मुद्दों को संबोधित कर, प्रतीक्षा समय को कम कर और नागरिकों के लिये मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाकर मतदान की सुगमता में सुधार किया जाना चाहिये। प्रौद्योगिकी के उपयोग से भी मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।
- **दूरस्थ मतदान/रिमोट वोटिंग:** उन आंतरिक प्रवासियों को सशक्त बनाने के लिये रिमोट वोटिंग विकल्पों को लागू करना जो मतदान के लिये लॉजिस्टिक्स और वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं। यह भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध होगा।
  - इसे साकार करने के लिये राजनीतिक सहमति और सुरक्षित एवं अभिगम्य रिमोट वोटिंग प्रौद्योगिकी में निवेश करना आवश्यक है।
- **एक राष्ट्र-एक चुनाव:** एक राष्ट्र - एक चुनाव (One Nation One Election) के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि चुनावों की आवृत्ति को कम कर मतदाताओं की थकान को दूर करने से मतदाताओं के उत्साह को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। चुनावों को सुव्यवस्थित करने से मतदाताओं की अधिक केंद्रित और संलग्न भागीदारी प्राप्त हो सकती है।
- **अभियान की गुणवत्ता:** चुनाव अभियानों को अधिक आकर्षक और सूचनापूर्ण बनाने के लिये उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिये।
  - राजनीतिक दलों को मतदाताओं को प्रेरित करने के लिये आकर्षक एजेंडे और उम्मीदवार पेश करने चाहिये। इसमें वाद-विवाद, 'टाउन हॉल' (स्थानीय चुनावी बैठकें) और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना शामिल हो सकता है।
- **जवाबदेही को बढ़ावा देना:** निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाए रखने के लिये उच्च कुल मतदान के महत्त्व पर बल दिया जाए। नागरिकों को यह समझने के लिये प्रोत्साहित करें कि उनके मत निर्वाचित अधिकारियों के प्रदर्शन और देश के समग्र शासन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं।
- **युवा संलग्नता:** युवा संलग्नता को लक्षित करें और युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करें। छात्रों को उनके मतदान अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करने के लिये स्कूल-कॉलेजों को संलग्न करें।
- **सामुदायिक लामबंदी:** सामुदायिक नेताओं और संगठनों को अपने समुदायों के भीतर मतदाताओं को लामबंध करने में भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में ज़मीनी स्तर के प्रयास विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत सहित विश्व के लगभग आधे देश 60-79% कुल मतदान के दायरे में आते हैं। एक ऐसे समय में जब भारत ने स्वयं को एक प्रमुख आर्थिक एवं कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेज़ी से प्रगति की है, उसे उन देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल होने की भी आकांक्षा करनी चाहिये जहाँ लोकतांत्रिक चुनावों में 80% मतदान होता है।

16वें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संघवाद को नया आकार मिलना

जल्द ही गठित किये जा रहे 16वें वित्त आयोग (SFC) को भारत में राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) के बदले हुए परिदृश्य के मद्देनजर कर-साझाकरण सिद्धांतों (tax-sharing principles) का पुन: परीक्षण करने का कार्य-दायित्व सौंपा जाना चाहिये। विचारार्थ विषय (Terms of Reference- ToR)

संबंधित अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण और विलय करने के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अधिकारिता के संयोजन पर आधारित होने चाहिये।

101वाँ संविधान संशोधन:

- वर्ष 2016 का 101वाँ संविधान संशोधन राजकोषीय दृष्टिकोण से वर्ष 1951 में प्रथम वित्तीय आयोग के गठन के बाद से अब तक का सबसे दूरगामी परिवर्तन है जो अप्रत्यक्ष कराधान के मामले में केंद्र और राज्यों को समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है।
- इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया।
- GST अप्रत्यक्ष करों की समवर्ती प्रणाली पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक लेनदेन पर केंद्रीय और राज्य GST अधिरोपित होता है।
- अंतर-राज्य लेनदेन के साथ ही आयात पर एक एकीकृत GST लगाया जाता है।
- इसके साथ, एक उपभोग-आधारित कराधान प्रणाली ने उत्पादन-आधारित प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है।

इस संशोधन के प्रभाव:

- उस राज्य में अप्रत्यक्ष करों का संग्रह जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है, न कि उस राज्य में जहाँ उनका उत्पादन किया जाता है – यह संघवाद की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों गतिशीलताओं को बदल देता है।
- पूर्व में केंद्रीय बिक्री कर वस्तुओं की उत्पत्ति या स्रोत पर आधारित था, जिसका अर्थ यह था कि कर का बोझ समृद्ध और विनिर्माण राज्यों से उपभोक्ता राज्यों की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता था, जिससे क्षैतिज असंतुलन उत्पन्न हो गया था।
- हालाँकि अब सीमा-पार व्यापार के लिये गंतव्य सिद्धांत (destination principle) के साथ, अधिक समृद्ध और औद्योगिक राज्यों की कीमत पर गरीब और उपभोक्ता राज्यों को लाभ प्राप्त हो रहा है।
- उदाहरण के लिये, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर-राज्य आपूर्ति के दौरान वसूल किया जाने वाला IGST अब गंतव्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्रोत के सिद्धांत से गंतव्य के सिद्धांत की ओर यह कदम राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को पुन:सामंजित कर रहा है।

राजकोषीय संघवाद के लिये प्रमुख चुनौतियाँ:

- संघीय राजकोषीय हस्तांतरण प्रणाली (federal fiscal transfer system) अभी भी क्षेत्राधिकार पृथक्करण के सिद्धांतों के लिये डिज़ाइन की गई है (और उन पर आधारित है), जो स्रोत-आधारित कर युग के लिये प्रासंगिक है। इसका वितरण मानदंड भी पूर्व की व्यवस्था पर आधारित है।
- कार्यान्वित कर व्यवस्था और कर साझेदारी के सिद्धांतों एवं मानदंडों के बीच का संबंध-विच्छेद राजकोषीय संघीय प्रणाली के लिये हानिकारक है तथा संघवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में दोष रेखाएँ उत्पन्न कर सकता है।

बेहतर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिये 16वें वित्त आयोग का क्या कार्य-दायित्व :

- **कर-साझाकरण सिद्धांतों का पुन: परीक्षण करना:** 16वें वित्त आयोग (SFC) को भारत के बदलते राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में कर-साझाकरण सिद्धांतों की समीक्षा करने के लिये निर्देशित किये जाने की आवश्यकता है। इसके विचारार्थ विषय संघ और राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष कर आधार के समेकन पर आधारित होने चाहिये।
- **अप्रत्यक्ष करों की सांविधिक साझेदारी को रि-डिज़ाइन करना:** परिवर्तनों के लिये आवश्यक है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह के अप्रत्यक्ष करों की सांविधिक साझेदारी का पुन: परीक्षण किया जाए और उसे रि-डिज़ाइन किया जाए।
  - ऊर्ध्वाधर अंतरण: नई प्रणाली के साथ लंबवत साझाकरण के सिद्धांत को संरेखित करने के लिये, विभाज्य पूल को पुनर्परिभाषित करने के साथ शुरुआत करना महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिये SFC द्वारा एकल वस्तु एवं सेवा कर दर (IGST) को पूरी तरह से पूल का हिस्सा बनाने के तौर-तरीके निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी।
    - अभी तक केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट रहित IGST ही राज्यों के साथ साझा किया जाता है। क्रेडिट-इन-ट्रांज़िशन अनसेटल्ड IGST को विभाज्य पूल में शामिल किये जाने के लिये एक मानक आधार होना चाहिये।
    - यह निपटान की आवृत्ति पर भी लागू होता है, जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे राज्य सरकारों के लिये नकदी प्रवाह की बहुत-सी समस्याएँ पैदा हो गई हैं।
  - क्षैतिज अंतरण: राज्यों के बीच विभाज्य पूल के वितरण के मानदंडों पर पुनर्विचार करना होगा। मौजूदा मानदंड, विशेष रूप से अनुदान को समकारी करने के लिये, उत्पादन-आधारित कर प्रणाली में विकसित हो गए हैं। उपभोग-आधारित कर प्रणाली के लिये इसे फिर से डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।

- उत्पादन से उपभोग में परिवर्तन से कर राजस्व के वितरण के साथ-साथ समकारी अनुदान की आवश्यकता, प्रकृति और वितरण में महत्त्वपूर्ण अंतर आएगा।
- राज्यों के क्रम में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उनकी रैंकिंग प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर उनकी रैंकिंग से काफी भिन्न है।

- **संग्रहण लागत की गणना और आवंटन के लिये एक पद्धति की अनुशंसा करना:** GST की नई व्यवस्था—जहाँ संघ और राज्य दोनों समान कर एकत्र करते हैं, के परिणामस्वरूप कर संग्रह की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि और व्यापक भिन्नता उत्पन्न हुई है। यह लागत 7 से 10 प्रतिशत तक देखी गई है।
  - इसलिये, SFC को अप्रत्यक्ष करों को संग्रहित करने की लागत की गणना और आवंटन के लिये एक पद्धति की सिफ़ारिश करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, उन्हें इन करों को कम करने और उनकी संग्रह दक्षता में सुधार करने के तरीके भी सुझाने चाहिये।
- **अनुदान तंत्र को रि-डिज़ाइन करना:** वर्ष 1935 में ब्रिटिश बैंकर ओटो निमेयर (Otto Niemeyer) द्वारा परिकल्पित और अनुच्छेद 275 के तहत बनाए रखे गए 'अंतर-भरण' दृष्टिकोण (gap-filling approach) को GST परिषद द्वारा लाये गए मुआवजा कानून के आलोक में रि-डिज़ाइन किया जाना चाहिये।
  - GST मुआवजा अनुदान 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाए जाने के साथ, उसके बाद का वित्तीय वर्ष SFC अवार्ड के लिये आधार वर्ष होगा जो वर्ष 2027 से 2032 तक प्रभावी रहेगा।
  - यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य मुआवजा योजना के विस्तार की मांग करेगा। इसलिये, मुआवजे की आवश्यकता की जाँच करने के लिये SFC को निर्देश देना या आदेश देना उचित होगा, यह देखते हुए कि इसका मूल उद्देश्य 'GST की ओर संक्रमण से हुई हानि की भरपाई करना' था।
  - पिछले छह वर्षों के दौरान GST के राजस्व प्रदर्शन के आलोक में मुआवजा योजना की आवश्यकता, व्यवहार्यता और वांछनीयता की समीक्षा करना महत्त्वपूर्ण है।
  - राज्यों को पहले से जारी किये गए मुआवजे के अलावा GST मुआवजा उपकर संग्रह के शेष को करों के विभाज्य पूल में आवंटित करने के लिये स्पष्ट सिद्धांत स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **संघीय वित्त की नई संस्थागत संरचना:** संघीय वित्त की नई संस्थागत संरचना में, GST परिषद और वित्त आयोग के बीच एक औपचारिक संबंध होना चाहिये क्योंकि वे विभाज्य का आकार तय करते हैं और इसे वितरित करते हैं। SFC को इस बात की जाँच करनी चाहिये कि GST परिषद उस अवधि के दौरान अपने अवार्ड के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये राजकोषीय परिषद के रूप में कैसे कार्य कर सकती है जब यह परिचालन में नहीं हो।

निष्कर्ष:

ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि SFC को वैचारिक, पद्धतिगत और परिचालनात्मक रूप से अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिये, इसके विचारार्थ विषय ऐसे हों जो न केवल उसे ऐसा करने की अनुमति दें और इसमें उसकी सहायता करें, बल्कि इसे इस उद्देश्य के लिये प्रोत्साहित और निर्देशित भी करें।

भारत बनाम इंडिया

'भारत' देश के लिये एक ऐतिहासिक और वैचारिक नाम है, जबकि 'इंडिया' एक संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय नाम है। INDIA (Indian National Development Inclusive Alliance) नामक विपक्षी गठबंधन के गठन के कारण इन नामों के उपयोग का राजनीतिकरण हो गया है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने G-20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण कार्ड पर 'President of India' के बजाय 'President of Bharat' शब्द का इस्तेमाल किया। शब्दावली में इस बदलाव पर प्रतिक्रिया आई और इन नामों के उपयोग के राजनीतिक आयाम प्रकट हुए।

'भारत' और 'इंडिया' से संबद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **नामों की उत्पत्ति:** 'इंडिया' शब्द और इसके अन्य भिन्न रूप (जैसे अरबी-फरसी में 'हिंद' या तुर्की में हिंदुस्तान) विदेशी मूल के हैं। ये नाम ऐतिहासिक रूप से बाहरी लोगों द्वारा सिंधु या सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व की भूमि को संदर्भित करने के लिये उपयोग किये जाते थे।
- **ऐतिहासिक उपयोग:** अफगान और मुगल शासन के दौरान 'हिंदुस्तान' शब्द का प्रयोग प्राय: भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिये किया जाता था।
  - बाद में, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटिश ने न केवल उत्तरी क्षेत्र बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिये 'इंडिया' शब्द का उपयोग किया। उनके लिये, यह मुख्य रूप से एक भौगोलिक पदनाम था।

- **भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद:** भारतीय पुनर्जागरण ने इस चेतना को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग एक ही राष्ट्र का गठन करते हैं। इस आंदोलन के कुछ प्रवर्तकों ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्राचीन जड़ें खोजने की कोशिश की और उनका मानना था कि विदेशियों द्वारा दिये गए नाम का उपयोग करना अस्वीकार्य था।
  - उन्होंने 'भारत' शब्द और विभिन्न भाषाओं में इसके अन्य रूपों को प्राथमिकता दी।
- **नाम को लेकर विवाद:** मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिये 'इंडिया' नाम के इस्तेमाल पर चिंता जताई। उनका तर्क था कि 'इंडिया' शब्द को हिंदू-बहुल क्षेत्रों से संबद्ध किया जाना चाहिये, जबकि मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को एक अलग राष्ट्र- 'पाकिस्तान' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये।
  - नाम का यह विवाद विभाजन के दौरान गहराई से मौजूद धार्मिक और राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है।
- **समन्वयात्मक शब्द 'हिंद':** नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने एक समन्वयात्मक शब्द 'हिंद' की वकालत की, जो विभिन्न धर्मों के लोगों सहित व्यापक आबादी के लिये स्वीकार्य हो सकता था।
  - 'हिंद' शब्द आज भी प्रयोग में है और 'जय हिंद' जैसी अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति में इसके स्थायी महत्त्व को प्रकट करती है।

'भारत' और 'इंडिया' के बीच संतुलन

- **संविधान का अंगीकरण:** संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को मूल रूप से अंग्रेज़ी में अंगीकृत किया गया था। यह संविधान के मूलभूत पाठ के रूप में अंग्रेज़ी संस्करण के ऐतिहासिक और विधिक महत्त्व को रेखांकित करता है।

- **हिंदी अनुवाद का प्रकाशन:** अंग्रेज़ी संस्करण के अलावा, भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद वर्ष 1950 में प्रकाशित किया गया। इस अनुवाद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गए और यह संविधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार किया गया।
- **दोनों संस्करणों की आधिकारिक स्थिति:** संविधान के अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों संस्करणों की उपस्थिति भारतीय विधिक ढाँचे के भीतर उनकी आधिकारिक स्थिति को रेखांकित करती है।
  - यह भारत की दोनों आधिकारिक भाषाओं— अंग्रेज़ी और हिंदी में संविधान तक पहुँच प्रदान करने के महत्त्व को प्रकट करती है।
- **संवैधानिक संशोधन:** वर्ष 1987 में संविधान के 58वें संशोधन द्वारा आधिकारिक दस्तावेज़ों, विधिक कार्यवाही और सरकारी संचार में हिंदी एवं अंग्रेज़ी के उपयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया।
  - 58वें संशोधन ने राष्ट्रपति को संविधान के आधिकारिक पाठ को हिंदी में प्रकाशित करने की शक्ति दी, जिसका उपयोग विधिक कार्यवाही में भी किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 1(1): संविधान का अनुच्छेद 1(1) देश के नाम और स्वरूप को परिभाषित करता है। अंग्रेज़ी संस्करण में कहा गया है- "India, that is Bharat, shall be a Union of States"; यहाँ प्राथमिक नाम के रूप में 'इंडिया' शब्द पर बल दिया गया है।
  - हिंदी संस्करण में लिखा है- "भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा"; यहाँ 'भारत' नाम को प्रमुखता दी गई है।
- नामों के उदाहरण: अंग्रेज़ी में 'गज़ट ऑफ इंडिया' और हिंदी में 'भारत का राजपत्र' जैसे उदाहरण यह प्रकट करते हैं कि यह नामकरण परंपरा विभिन्न आधिकारिक प्रकाशनों पर किस प्रकार लागू होती है।
  - नामों का यह चयन भारत के आधिकारिक दस्तावेज़ों और प्रकाशनों की दोहरी भाषा प्रकृति को दर्शाता है।

कुछ अन्य देश जिन्होंने अपना नाम बदला है

- **सियाम से थाईलैंड (1939):**
  - दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी औपनिवेशिक प्रभाव के विरुद्ध अपनी एकता और पहचान का दावा करने के लिये इस देश ने अपना नाम बदल लिया था। नए नाम 'थाईलैंड' का अर्थ है 'स्वतंत्र लोगों की भूमि' और यह देश की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय गौरव पर बल देता है।
- **ज़ैरे से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (1997):**
  - तीन दशकों से अधिक समय तक शासन करने वाले तानाशाह मोबुतु सेसे सेको (Mobutu Sese Seko) के सत्तावादी शासन से दूरी बनाने के लिये देश ने अपना नाम बदल लिया। नए नाम ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली की वापसी पर बल दिया।
- **पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश (1971):**
  - वर्ष 1971 में एक हिंसक युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश के रूप में नया देश बना। इसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के अंत को चिह्नित किया और दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई एवं राजनीतिक मतभेदों का प्रतिनिधित्व किया।
- वर्ष 2022 में तुर्की/टर्की (Turkey) ने अपना नाम बदलकर तुर्किये (Türkiye) कर लिया, क्योंकि यह नाम तुर्की के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व एवं अभिव्यक्ति का प्रतीक है।

नोट :

वर्तमान परिदृश्य क्या है?

- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया' नाम का उपयोग:** भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर नियमित रूप से 'इंडिया' नाम का उपयोग किया है। यह दर्शाता है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मान्यता 'इंडिया' नाम के साथ संबद्ध है।
    - यह वैश्विक कूटनीति और संचार में अंग्रेज़ी नाम 'इंडिया' के उपयोग की व्यावहारिकता और मानकीकरण को रेखांकित करता है।
- **ग्रीस का हालिया उदाहरण:** हाल ही में प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य का संदर्भ एक समसामयिक उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। दस्तावेज़ का शीर्षक 'इंडिया-ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट' था, जो आधिकारिक द्विपक्षीय संबंधों में 'इंडिया' के उपयोग पर बल देता है।
- **दोहरी भाषा का दृष्टिकोण:** यह देखा गया है कि भारत आधिकारिक दस्तावेजों और राजनयिक संदर्भों में दोहरी भाषा के दृष्टिकोण (Dual-Language Approach) का पालन करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित राजदूतों को सौंपे जाते प्रत्यय पत्र (letters of credence) में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे 'राष्ट्रपति' और 'भारत गणतंत्र' शब्द हिंदी में लिखे होते हैं, जबकि उसके नीचे अंग्रेज़ी में 'प्रेसिडेंट' और 'रिपब्लिक ऑफ इंडिया' लिखे होते हैं।
    - यह दृष्टिकोण बहुभाषावाद (multilingualism) और अपनी विविध भाषाई विरासत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- आधुनिक उपयोग: समकालीन भारत में 'जय हिंद' और 'जय भारत' दोनों का उपयोग देखा जाता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई परंपराओं के सह-अस्तित्व को दर्शाता है। उदाहरण के लिये, अधिकांश प्रमुख संभाषणों (जैसे कि स्वतंत्रता दिवस का संबोधन) में इन दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, जो राष्ट्र के ताने-बाने का निर्माण करने वाले विविध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तंतुओं की मान्यता को दर्शाता है।

नोट:

- वर्ष 2015 में केंद्र ने यह कहते हुए किसी भी नाम परिवर्तन का विरोध किया था कि संविधान के प्रारूपण के दौरान इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा चुका है।
    - भारत का सर्वोच्च न्यायालय 'इंडिया' का नाम बदलकर 'भारत' करने संबंधी याचिका को दो बार खारिज कर चुका है (वर्ष 2016 में और फिर वर्ष 2020 में), जहाँ यह पुष्टि की कि 'भारत' और 'इंडिया' दोनों का संविधान में उल्लेख है।

नोट :

निष्कर्ष

इस तरह का नाम परिवर्तन देश के उन हिस्सों को अलग-थलग कर सकता है जो 'भारत' के बजाय 'इंडिया' नाम को प्राथमिकता देते हैं। देश के नाम के संबंध में सार्वजनिक भावनाएँ और क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ विविध हैं तथा किसी भी निर्णय में इस पर विचार किया जाना चाहिये। इस परंपरा से किसी भी विचलन के सांस्कृतिक और अस्मिता संबंधी निहितार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। अंग्रेज़ी में 'इंडिया' और हिंदी में 'भारत' का उपयोग, भारत की भाषाई विविधता को दर्शाता है और इसे विवेकपूर्ण एवं संवैधानिक रूप से सही माना जाता है। सवाल यह उठता है कि एक ऐसे समय जब देश अन्य चुनौतियों (बेरोज़गारी, पर्यावरणीय गिरावट, गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, असमानता, लिंग भेदभाव आदि) का सामना कर रहा है, तब देश के एक नाम पर दूसरे नाम को प्राथमिकता देने और इससे संबद्ध राजनीति क्या यथोचित है।

भारत का कार्बन बाज़ार: हरित संवृद्धि का उत्प्रेरक

जैसे-जैसे भारत अपनी आबादी की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये अपनी अर्थव्यवस्था विकसित कर रहा है, देश को जलवायु परिवर्तन के परिणामों और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की संबद्ध आवश्यकता के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

ग्लोबल वार्मिंग (global warming) के प्रभाव की गंभीरता में वृद्धि के साथ ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम कर सकने वाले अभ्यासों को अपनाने की त्वरित आवश्यकता भी उत्पन्न हुई है।

एक जीवंत कार्बन ट्रेडिंग नेटवर्क (carbon trading network) उन विभिन्न समाधानों में से एक है जिन्हें इस आपात स्थिति से निपटने के लिये अपनाया जा रहा है या जिन पर विचार किया जा रहा है।

कार्बन बाज़ार (Carbon Markets):

- **परिचय:** कार्बन बाज़ार कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य आरोपित करने का एक साधन है; वे ऐसी व्यापार प्रणालियाँ स्थापित करते हैं जहाँ कार्बन क्रेडिट या अलाउंस (carbon credits or allowances) की खरीद-बिक्री की जा सकती है।
  - कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है, जो संयुक्त राष्ट्र (UN) के मानकों के अनुसार, वायुमंडल से हटाये गए, कम किये गए या पृथक किये गए एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है।
  - कार्बन अलाउंस या सीमाएँ विभिन्न देशों या सरकारों द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्य के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।
  - कार्बन व्यापार औपचारिक रूप से वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के तहत शुरू हुआ।
- **बाज़ार के प्रकार:** वर्तमान में मोटे तौर पर दो प्रकार के कार्बन बाज़ार मौजूद हैं, यथा:
  - स्वैच्छिक बाज़ार (Voluntary Markets): ऐसे बाज़ार जिनमें उत्सर्जक (emitters) एक टन CO_2 या समकक्ष ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की भरपाई के लिये कार्बन क्रेडिट की खरीद करते हैं।
    - ऐसे कार्बन क्रेडिट उन गतिविधियों द्वारा सृजित होते हैं जो वायु से CO_2 को कम करते हैं, जैसे वनीकरण (afforestation)।
    - स्वैच्छिक बाज़ार में, कोई कॉर्पोरेशन जो अपने अपरिहार्य ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की भरपाई करना चाहता है, वह उत्सर्जन को कम करने, उसकी निर्मुक्ति, जब्ती या कैप्चरिंग या उत्सर्जन से परहेज करने वाली परियोजनाओं से संलग्न इकाई से कार्बन क्रेडिट की खरीद करता है।
  - उदाहरण के लिये, विमानन क्षेत्र में विभिन्न एयरलाइंस अपने द्वारा संचालित उड़ानों के कार्बन फुटप्रिंट की भरपाई के लिये कार्बन क्रेडिट की खरीद कर सकते हैं।
    - स्वैच्छिक बाज़ारों में, लोकप्रिय मानकों के अनुसार निजी फर्मों द्वारा क्रेडिट को सत्यापित किया जाता है।
  - अनुपालन बाज़ार (Compliance Markets): वे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित नीतियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और आधिकारिक तौर पर विनियमित होते हैं।
    - वर्तमान में अनुपालन बाज़ार मुख्यत: 'कैप-एंड-ट्रेड' (cap-and-trade) सिद्धांत के तहत संचालित हैं और ये यूरोपीय संघ (EU) में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं।

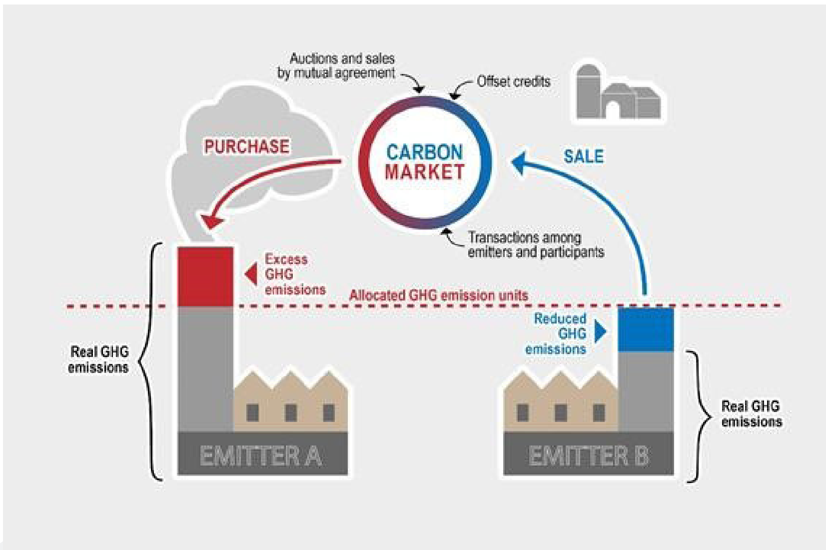

भारत में कार्बन बाज़ार की स्थिति

- भारत में, केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित कर भारतीय कार्बन बाज़ार (Indian Carbon Market-ICM) स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है जो घरेलू अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज़ (decarbonise) करने में मदद करेगा।
  - केंद्र सरकार द्वारा भारतीय कार्बन क्रेडिट योजना (Indian Carbon Credit Scheme), 2023 के लिये मसौदा रूपरेखा हाल ही में अधिसूचित की गई है।
  - ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर कार्बन व्यापार योजना (Carbon Trading Scheme) विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।
- **ICM के निम्नलिखित लाभ होंगे:**
  - यह भारत को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने में मदद करेगा, जिससे इसकी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDC) लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
    - ICM वाणिज्यिक एवं औद्योगिक खंडों को डीकार्बोनाइज़ करने में मदद करेगा (वर्ष 2070 तक 'शुद्ध शून्य' के भारत के लक्ष्य के अनुरूप)।
  - देश के संभावित ऊर्जा क्षेत्रों को कवर कर सकने की वृहत गुंजाइश के कारण यह ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देगा।
    - GHG उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य और बेंचमार्क फिर जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप घरेलू उत्सर्जन प्रक्षेपवक्र के साथ समन्वित रूप से विकसित किये जाएँगे।
  - यद्यपि ICM विनियमित होगा, यह कार्बन बाज़ार क्रेडिट के माध्यम से अपने GHG उत्सर्जन प्रयासों को बढ़ाने के लिये कंपनियों को 'हार्ड-टू-अबेट' खंडों (hard-to-abate segments) में लचीलापन प्रदान करेगा। यह हार्ड-टू-अबेट उद्योगों में अधिक जागरूकता, परिवर्तन और नवाचार भी उत्पन्न करेगा।
    - हार्ड-टू-अबेट क्षेत्र में इस्पात, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं जो अपनी प्रक्रिया में कार्बन का अभिन्न रूप से इस्तेमाल करते हैं और कुल GHG उत्सर्जन में 30% का योगदान करते हैं।
  - यह सतत परियोजनाओं के लिये वित्त और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने में भी मदद कर सकता है जो कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर सकते हैं।

कार्बन बाज़ार के प्रमुख लाभ:

- **वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives):** कार्बन बाज़ार एक वित्तीय प्रोत्साहन प्रणाली स्थापित करते हैं जहाँ निकायों को उत्सर्जन सीमाएँ (emission limits) आवंटित की जाती हैं और वे उत्सर्जन परमिट का व्यापार कर सकते हैं। यह कंपनियों को अपनी सीमा से नीचे उत्सर्जन कम करने के लिये प्रोत्साहित करता है और अतिरिक्त उत्सर्जन के लिये उन पर अर्थदंड लगाता है।
- **लागत-प्रभावी कटौती (Cost-Effective Reductions):** कार्बन बाज़ार लागत-प्रभावी उत्सर्जन कटौती को

प्राथमिकता देते हैं। जो कंपनियाँ उत्सर्जन को अधिक आसानी से और निम्न लागत पर कम कर सकती हैं, उन्हें ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे निम्न आर्थिक लागत पर समग्र उत्सर्जन में कमी आती है।

- **कारोबारी लचीलापन (Business Flexibility):** कार्बन बाज़ार व्यवसायों को उत्सर्जन को कम करने का तरीका चुनने में लचीलापन प्रदान करते हैं। वे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकते हैं, ऊर्जा दक्षता में सुधार कर सकते हैं या कहीं और क्रियान्वित उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट की खरीद कर सकते हैं, जिससे रणनीतियों की एक विविध शृंखला को अवसर मिलता है।
- **स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा (Clean Tech Promotion):** ये बाज़ार स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और अभ्यास के विकास एवं अंगीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। कंपनियाँ कार्बन बाज़ार में अपनी अनुपालन लागत को कम करने के लिये उत्सर्जन को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों में नवाचार और निवेश करने के लिये प्रेरित होती हैं।
- **संवहनीयता के लिये समर्थन (Support for Sustainability):** कार्बन बाज़ार ऐसी सतत/संवहनीय परियोजनाओं के लिये धन का सृजन करते हैं जो उत्सर्जन को कम करते हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण, पुनर्वनीकरण और ऊर्जा दक्षता परियोजनाएँ। ये परियोजनाएँ कार्बन क्रेडिट अर्जित करती हैं जिन्हें निवेश आकर्षित करते हुए बाज़ार में बेचा जा सकता है।
- **जलवायु लक्ष्य से संरेखण (Climate Goal Alignment):** कार्बन बाज़ारों को देश के जलवायु लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप तैयार किया जा सकता है, जिससे उत्सर्जन पर नज़र बनाये रखने और उन्हें कम करने के लिये एक तंत्र का निर्माण कर राष्ट्रों को उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों (जैसे पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्य) को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency & Accountability):** कार्बन बाज़ारों में भागीदारी के लिये उत्सर्जन के सटीक मापन और रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर नज़र रखने और उसे कम करने में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही आएगी।
- **राजस्व सृजन (Revenue Generation):** सरकारें उत्सर्जन परमिट की नीलामी कर या कार्बन टैक्स अधिरोपित कर कार्बन बाज़ारों के माध्यम से राजस्व सृजित कर सकती हैं। इस राजस्व को संवहनीय पहलों में पुनर्निवेशित किया जा सकता है या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनियाँ कार्बन क्रेडिट की बिक्री कर भी राजस्व अर्जित कर सकती हैं।
    - उदाहरण के लिये, इलेक्ट्रिक कार निर्माता 'टेस्ला' ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही में पुराने कार निर्माताओं को कार्बन क्रेडिट की बिक्री कर 518 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया।

कार्बन बाज़ारों के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **उत्सर्जन कटौती की दोहरी गणना:** यह स्थिति तब बनती है जब एक ही उत्सर्जन में कमी का दावा एक से अधिक निकायों या एक से अधिक प्रणालियों के तहत किया जाता है। यह कार्बन बाज़ारों की पर्यावरणीय अखंडता और विश्वसनीयता को कमज़ोर कर सकता है।
- **जलवायु परियोजनाओं की गुणवत्ता और प्रामाणिकता:** जलवायु परियोजनाओं की विश्वसनीयता और वास्तविकता सुनिश्चित करना उनकी अतिरिक्तता, मापनीयता, सत्यापनीयता, स्थायित्व और उत्सर्जन स्थानांतरण की रोकथाम के स्तर को निर्धारित करने की चुनौती पेश करता है।
- **कमज़ोर बाज़ार पारदर्शिता:** यह कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट की आपूर्ति और मांग के साथ-साथ उनकी कीमतों, लेनदेन एवं प्रभावों पर जानकारी की उपलब्धता और पहुँच के बारे में अस्पष्टता से संबंधित है।
- **ग्रीनवॉशिंग (Greenwashing):** यह वास्तव में उत्सर्जन को कम करने या व्यावसायिक अभ्यासों में परिवर्तन लाने के बजाय पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की गलत या भ्रामक धारणा का निर्माण करने के लिये कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट का उपयोग करने का अभ्यास है। यह जनता के भरोसे को समाप्त कर सकता है और अधिक प्रभावी जलवायु कार्रवाइयों से संसाधनों का विचलन कर सकता है।
- **विनियामक अनिश्चितता:** इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कार्बन बाज़ारों को नियंत्रित करने वाली नीतियों एवं विनियमनों की स्पष्टता या स्थिरता की कमी शामिल है। यह बाज़ार सहभागियों और निवेशकों के लिये जोखिम एवं बाधाएँ पैदा कर सकता है।
    - उदाहरण के लिये, भारत में यह दुविधा मौजूद है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को विनियमित करने के ऊर्जा मंत्रालय उपयुक्त मंत्रालय है या इसे पर्यावरण मंत्रालय के अधीन होना चाहिये।

कार्बन बाज़ार की चुनौतियों पर काबू पाने के लिये कदम उठाये जाने वाले कदम :

- कार्बन क्रेडिट और ऑफसेट के लिये एक सामान्य वर्गीकरण और शब्दावली विकसित करना, साथ ही उत्सर्जन में कटौती की दोहरी गणना से बचने के लिये एक सुसंगत लेखांकन ढाँचा विकसित करना।
- अतिरिक्तता, मापनीयता, स्थायित्व और रिसाव से बचाव जैसे सिद्धांतों के आधार पर कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट उत्पन्न करने वाली जलवायु परियोजनाओं के लिये स्पष्ट एवं विश्वसनीय गुणवत्ता मानदंड और सत्यापन तंत्र स्थापित करना।
- कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट की आपूर्ति एवं मांग, साथ ही उनकी कीमतों, लेनदेन और प्रभावों पर विश्वसनीय एवं समयबद्धर डेटा और रिपोर्टिंग प्रदान कर बाजार में पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण की वृद्धि करना।
- कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट के बारे में दावे और संचार के लिये स्पष्ट और प्रवर्तनीय नियम एवं दिशानिर्देश के माध्यम से 'ग्रीनवाशिंग' पर रोक लगाना और इसके लिये दंडित करना; इसके साथ ही सार्वजनिक जागरूकता एवं संवीक्षा सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्बन बाज़ार प्रणालियों को सुसंगत एवं एकीकृत करना, साथ ही अन्य नीति उपकरणों और पहलों के साथ संबंध एवं तालमेल बनाना।

निष्कर्ष

- चूँकि भारत शुद्ध शून्य (net-zero) विश्व की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, औद्योगिक गतिविधियों की डीकार्बोनाइज़िंग महत्त्वपूर्ण होगी। इस क्रम में कार्बन प्रबंधन समाधान और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में उद्योग क्षेत्र के नेता देश को जीवाश्म ईंधन या विरासत प्रौद्योगिकियों से स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर आगे ले जाने में मदद कर शुद्ध-शून्य भविष्य की ओर संक्रमण को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- चूँकि भारत आर्थिक आवश्यकताओं और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, एक जीवंत कार्बन व्यापार तंत्र अधिक संवहनीय भविष्य के निर्माण में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

डिजिटल पब्लिक गुड्स: सार्वजनिक सेवा वितरण में अंतराल को कम करना

देश के समावेशी आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructures-DPIs) और डिजिटल पब्लिक गुड्स (Digital Public Goods (DPGs) का विचार गति पकड़ रहा है, जिसकी पुष्टि G20 ढाँचे के भीतर DPIs पर भारत के ज़ोर से भी प्रकट हुआ। DPIs मोटे तौर पर दो तरीकों से सक्षम किया जा सकता है — या तो DPGs के माध्यम से या प्रोपराइटरी समाधानों (proprietary solutions) के माध्यम से।

सरकारों द्वारा नियोजित डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई हैं जो कई लाभ प्रदान करती हैं। इनमें विश्वसनीय ब्रांडों द्वारा पेश किये गए समाधान, अल्पकालिक बचत और आउटसोर्स किये गए विकास एवं रखरखाव शामिल हैं – जो त्वरित सुधार और रिटर्न को सक्षम करते हैं।

डिजिटल पब्लिक गुड्स:

- डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs) उन डिजिटल संसाधनों एवं सॉफ्टवेयर को संदर्भित करते हैं जो सार्वजनिक उपयोग के लिये उपलब्ध कराये जाते हैं और जो आमतौर पर उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ पहुँचाने और सार्वजनिक भलाई/हित (public good) को बढ़ावा देने पर लक्षित होते हैं।
- ये संसाधन प्राय: 'ओपन-सोर्स' (open-source) होते हैं और इनमें सॉफ्टवेयर, डेटा, कंटेंट और मानक जैसी विभिन्न प्रकार की डिजिटल आस्तियाँ शामिल हो सकती हैं।
- DPGs का उपयोग नई और उन्नत सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये किया जा सकता है, जैसे:
  - पहचान प्रणाली
  - स्वास्थ्य देखभाल
  - सरकारी योजनाएँ
  - डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे बैंकिंग और भुगतान)
- भारत में DPGs के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:
  - आधार (Aadhar)
  - यूपीआई (UPI)
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
  - ओएनडीसी (ONDC)

सार्वजनिक सेवा वितरण के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **'वेंडर लॉक-इन':** वेंडर लॉक-इन (Vendor lock-in) तब घटित होता है जब कोई संगठन किसी विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के उत्पादों या सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है। इससे लचीले हो सकने की क्षमता सीमित हो जाति है और वैकल्पिक समाधानों को अपनाना कठिन हो जाता है।

- PwC के एक अध्ययन में पाया गया कि वेंडर लॉक-इन विभिन्न सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियों के बीच अंतरसंचालनीयता (interoperability) प्राप्त करने की राह की मुख्य बाधाओं में से एक था।
- उदाहरण के लिये, अपनी सेवा के शुरुआती चरणों के दौरान Apple ने उपभोक्ताओं को iTunes का उपयोग करने तक सीमित कर दिया था। iTunes के माध्यम से क्रय किया गया संगीत केवल iTunes एप्लीकेशन या iPod पर ही चलाया जा सकता था।

- **बाह्य निर्भरता:** बाह्य निकायों पर निर्भरता (चाहे वे विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ हों या अंतर्राष्ट्रीय संगठन) भेद्यताएँ पैदा कर सकती हैं।
- **लचीलेपन का अभाव:** डिजिटलीकरण के प्रयास बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, कोविड-19 महामारी के दौरान कई सार्वजनिक संस्थानों को त्वरित रूप से ऑनलाइन सेवा वितरण की ओर स्थानांतरित होना पड़ा, लेकिन उनके मौजूदा प्रणाली में लचीलेपन की कमी के कारण उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- **सेवाएँ बंद करने या एकतरफ़ा परिवर्तनीयता से संबद्ध जोखिम:** जब बाहरी निकाय डिजिटल प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं तो इन संस्थाओं द्वारा सेवाएं बंद करने या एकतरफ़ा परिवर्तन करने के जोखिम भी शामिल होते हैं, जो स्थानीय सरकार या संगठन के हितों के साथ संरेखित नहीं भी हो सकते हैं।
  - सरकार द्वारा वर्ष 2014 में PPP मॉडल के माध्यम से देश को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिये राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (National Digital Literacy Mission- NDLM) लॉन्च किया गया था। वर्ष 2017 में NDLM के लिये निजी क्षेत्र के भागीदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने परियोजना से बाहर निकलने का फैसला किया। इस निर्णय ने NDLM के कार्यान्वयन में एक बड़ा अंतराल उत्पन्न किया और इसकी स्थिरता को प्रभावित किया।
- **अंतरसंचालनीयता (Interoperability):** विभिन्न प्रणालियों के बीच निर्बाध डेटा विनिमय और सहयोग के लिये इंटरऑपरेबिलिटी महत्त्वपूर्ण है। साइलो प्रणालियाँ (Siloed systems)—जिनमें अंतरसंचालनीयता की कमी होती है, प्रयासों के दोहराव और डेटा के विखंडन का खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, सरकार का 'आधार' बायोमीट्रिक पहचान कार्यक्रम सरकार की कराधान प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है।
- **दोहराव और विखंडन (Duplication and Fragmentation):** प्रयासों के दोहराव और प्रणालियों के विखंडन से अक्षमताओं तथा लागत में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। इन समस्याओं से बच सकने के लिये डिजिटलीकरण प्रयासों में शामिल विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिये, सरकार के पास गरीबों को स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिये कई कार्यक्रम हैं।
- **सार्वजनिक सेवा वितरण लागत (Public Service Delivery Costs):** सार्वजनिक सेवा वितरण में डिजिटलीकरण प्रयासों का लक्ष्य अंततः दक्षता में सुधार करना और लागत कम करना है। हालाँकि, यदि ऊपर उल्लिखित चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया जाए तो डिजिटलीकरण प्रयासों से लागत में वृद्धि हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये, सरकार सब्सिडी पर बड़ी मात्रा में धन खर्च करती है, लेकिन इनमें से कई सब्सिडी लाभ इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाते हैं।

डिजिटल पब्लिक गुड्स सार्वजनिक सेवा वितरण का बेहतर वैकल्पिक उपाय कैसे सिद्ध हो सकते हैं?

- **लागत-प्रभावी:** DPGs आम तौर पर 'ओपन-सोर्स' और मुक्त रूप से उपलब्ध होते हैं, जो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, विकास और रखरखाव से संबद्ध लागत को पर्याप्त रूप से कम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकारें और संगठन अपने बजट को अन्य आवश्यक सेवाओं के लिये अधिक कुशलता से आवंटित कर सकते हैं।
  - एलायंस फॉर अफोर्डेबल इंटरनेट (A4AI) इसका एक उदाहरण है। इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इंटरनेट पहुँच की लागत को कम करना है।
- **समावेशिता:** DPGs को गैर-अपवर्जी और गैर-प्रतिद्वंद्वी (non-excludable and non-rivalrous) के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच प्राप्त हो। यह समावेशिता सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है और यह सुनिश्चित करती है कि हाशिये पर रहने वाली आबादी पीछे न छूट जाए।

- **अनुकूलनशीलता (Customizability):** DPGs को विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनुकूलित और अनुरूपित किया जा सकता है। सरकारें स्थानीय चुनौतियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इन डिजिटल समाधानों को विशिष्ट रूप प्रदान कर सकती हैं, जिससे अधिक प्रभावी सेवा वितरण हो सकेगा।
- **त्वरित परिनियोजन (Rapid Deployment):** चूँकि DPGs ओपन-सोर्स हैं और आसानी से उपलब्ध हैं, इन्हें शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सकता है। यह आपातकालीन स्थितियों में या जब त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो (जैसे स्वास्थ्य देखभाल आपात स्थिति या आपदा प्रबंधन)—विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।
- **पारदर्शिता:** ओपन-सोर्स DPGs में प्रायः पारदर्शी विकास प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं, जो सार्वजनिक भरोसे को बढ़ा सकती हैं। नागरिक संहिता (code) की संवीक्षा कर सकते हैं और सेवाओं को कार्य करने के तरीके को समझ सकते हैं, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण में अधिक पारदर्शिता आएगी।
- **नवाचार:** DPGs नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि वे सहयोगात्मक विकास की अनुमति देते हैं। इसका अर्थ यह है कि डेवलपर्स का एक वैश्विक समुदाय इन डिजिटल संसाधनों की कार्यक्षमता में सुधार और विस्तार करने में योगदान दे सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर सेवाओं और निरंतर नवाचार का परिदृश्य बनेगा।
- **'इंटरऑपरेबिलिटी':** DPGs को अंतरसंचालनीयता/ इंटरऑपरेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे विभिन्न सरकारी एजेंसियों और प्रणालियों के लिये संचार तथा डेटा की साझेदारी आसान हो जाएगी। यह अतिरेकता (redundancy) को कम करेगी और सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करेगी।
- **वेंडर लॉक-इन में कमी:** DPGs विदेशी प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम कर तथा स्थानीय नवाचार एवं स्वामित्व को बढ़ावा देकर डिजिटल संप्रभुता का समर्थन कर सकते हैं।
- **वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास:** DPGs प्रायः विभिन्न क्षेत्रों और देशों से सीखे गए सर्वोत्तम अभ्यासों और सबक को शामिल करते हैं। इससे सरकारों को सिद्ध समाधान अपनाने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सामान्य दोषों से बचने में मदद मिल सकती है।

डिजिटल पब्लिक गुड्स से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

- **वित्तपोषण और संवहनीयता:** DPGs को प्रायः अपने विकास, रखरखाव और स्केलिंग (scaling) के लिये पर्याप्त एवं नियमित वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल स्थापित करने की भी आवश्यकता है जो उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता और प्रभाव को सुनिश्चित कर सके।
- **तकनीकी क्षमता और अंतरसंचालनीयता:** DPGs को डिज़ाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिये उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता की आवश्यकता है। उन्हें मुक्त मानकों और प्रोटोकॉल का पालन करने की भी आवश्यकता है जो उन्हें अन्य प्रणालियों और प्लेटफार्मों के साथ अंतरसंचालन में सक्षम बनाते हैं।
- **'डिजिटल डिवाइड' और समावेशन:** DPGs को देशों, क्षेत्रों और समुदायों के बीच और उनके भीतर मौजूद डिजिटल डिवाइड को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके समाधान सभी संभावित लाभार्थियों, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर और हाशिये पर स्थित समूहों के लिये सुलभ, वहनीय , प्रासंगिक और उपयोगकर्ता-अनुकूल हों।
- **डेटा और डिजिटल अधिकार:** DPGs को अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा और डिजिटल अधिकारों (जैसे निजता, सुरक्षा, सहमति, स्वामित्व और शासन के अधिकार) का सम्मान करने और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्हें प्रवर्तनीय कानूनों और विनियमों के साथ-साथ नैतिक सिद्धांतों और सर्वोत्तम अभ्यासों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

डिजिटल पब्लिक गुड्स के बेहतर कार्यान्वयन के लिये क्या किया जा सकता है?

- **DPGs और DIPs का प्रवेश:** डिजिटल परिवर्तन रणनीति के एक भाग के रूप में, सरकारें विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण और लक्ष्यों को संरेखित करने के लिये DPGs और DIPs पेश कर सकती हैं।
  - इसमें ओपन-सोर्स समाधानों का विकास और तैनाती शामिल हो सकती है जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों के बीच सहयोग, दक्षता एवं समन्वय को बढ़ावा देंगे।
- **ओपन-सोर्स नीतियाँ विकसित करना:** प्रोपराइटरी समाधानों पर निर्भरता कम करने और नवाचार एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये, सरकारें ओपन-सोर्स नीतियों को संस्थागत बना सकती हैं। ये नीतियाँ सरकारी परियोजनाओं में ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों की खरीद और उपयोग को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

नोट :

- ओपन-सोर्स को अपनाने से, सरकारें डेवलपर्स के एक व्यापक समुदाय, लागत प्रभावी समाधान और विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये डिजिटल उपकरणों को अनुकूलित करने एवं अपनाने में अधिक लचीलेपन से लाभ उठा सकती हैं।

- **निविदा प्रणाली में सुधार लाना:** निविदा प्रणाली (Tendering System) डिजिटल परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भागीदार के रूप में सिस्टम इंटीग्रेटर्स (systems integrators) की आवश्यकताओं और क्षमता को बेहतर ढंग से स्वीकार करने के लिये इस प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है।
  - यह सुधार मौजूदा प्रणालियों के साथ डिजिटल पब्लिक गुड्स के अनुकूलन एवं एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है, जिससे उनकी संवहनीयता और 'स्केलेबिलिटी' सुनिश्चित हो सकेगी।
  - यह सरकारों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है।
- **मौजूदा डिजिटल अवसंरचना का लाभ उठाना:** सरकारों को नई परियोजनाएँ शुरू करते समय मौजूदा सफल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाने पर ध्यान देना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, भारत का CoWIN प्लेटफॉर्म, जिसने इसके कोविड-19 टीकाकरण अभियान में सहयोग किया, eVin और India Stack जैसी पूर्व की डिजिटल पहलों पर विकसित किया गया था।
  - सरकारें सफल सिद्ध हुई प्रणालियों पर आगे बढ़ते हुए बड़े पैमाने की चुनौतियों का कुशलतापूर्वक समाधान करते हुए समय, संसाधन और प्रयास की बचत कर सकती हैं।
- **एक अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन का निर्माण करना:** डिजिटल पब्लिक गुड्स को आगे बढ़ाने के लिये वैश्विक स्तर पर सहयोग महत्त्वपूर्ण है। सरकारें एक अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन (International Leadership Coalition) का निर्माण करने की पहल कर सकती हैं जिसमें राज्यों के प्रमुख, निजी क्षेत्र के उच्च-स्तरीय कार्यकारी और अन्य हितधारक शामिल होंगे।
  - यह गठबंधन सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने, संसाधन जुटाने और विकासशील देशों में उच्च प्रभाव वाले डिजिटल समाधानों के विकास एवं अंगीकरण में तेज़ी लाने के लिये तालमेल बनाने की सुविधा प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष:

- जबकि सार्वजनिक सेवाओं के वितरण का उत्तरदायित्व सरकार पर है, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिये एक सहयोगी प्रयास की आवश्यकता है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को साथ लाया जाना महत्त्वपूर्ण है। यह सहयोग बड़े पैमाने पर DPGs के सफल कार्यान्वयन और लाखों व्यक्तियों तक इसकी पहुँच के लिये आवश्यक है। यही वह विषय है जहाँ निजी क्षेत्र उपयोगकर्ता-केंद्रित नवाचार का समर्थन करने और उसे आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे डिजिटल समाधानों को व्यापक रूप से अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विज्ञान में लैंगिक असमानता: चुनौतियाँ और समानता की राह

हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) ने वर्ष 2022 के लिये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेताओं की सूची की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि इस सूची में किसी भी महिला वैज्ञानिक का नाम शामिल नहीं है जिसने देश का ध्यान आकृष्ट किया है।

यह पुरस्कार इसके प्राप्तकर्ताओं के वैज्ञानिक करियर पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है और संबद्ध संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। हालाँकि, इस पुरस्कार की सूची में वर्ष-दर-वर्ष महिला वैज्ञानिकों की उपेक्षा या उन्हें चिह्नित नहीं किया जाना आलोचना का विषय बनता रहा है। वैज्ञानिक समुदाय के बीच इस पुरस्कार के महत्त्व के बावजूद, यह महिला वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार करने और उन्हें सम्मान देने में बार-बार विफल रहा है।

इस पुरस्कार के इतिहास में व्यापत लैंगिक असमानता विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं पूर्वाग्रहों को उजागर करती हैं और वैज्ञानिक मान्यता में लैंगिक समानता एवं विविधता को बढ़ावा देने के लिये व्यापक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (SSB):

- **प्रारंभ और इतिहास:** यह पुरस्कार वर्ष 1958 में CSIR द्वारा स्थापित किया गया था और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को चिह्नित करने में इसका एक सुदीर्घ इतिहास रहा है।
- **वार्षिक पुरस्कार:** यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में युवा और होनहार प्रतिभा की पहचान पर बल देते हुए 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों के एक चयनित समूह को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

- **विज्ञान के विविध क्षेत्रों की मान्यता:** यह पुरस्कार विज्ञान के सात अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदान किये जाते हैं, जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, गणित और वायुमंडलीय विज्ञान शामिल हैं।

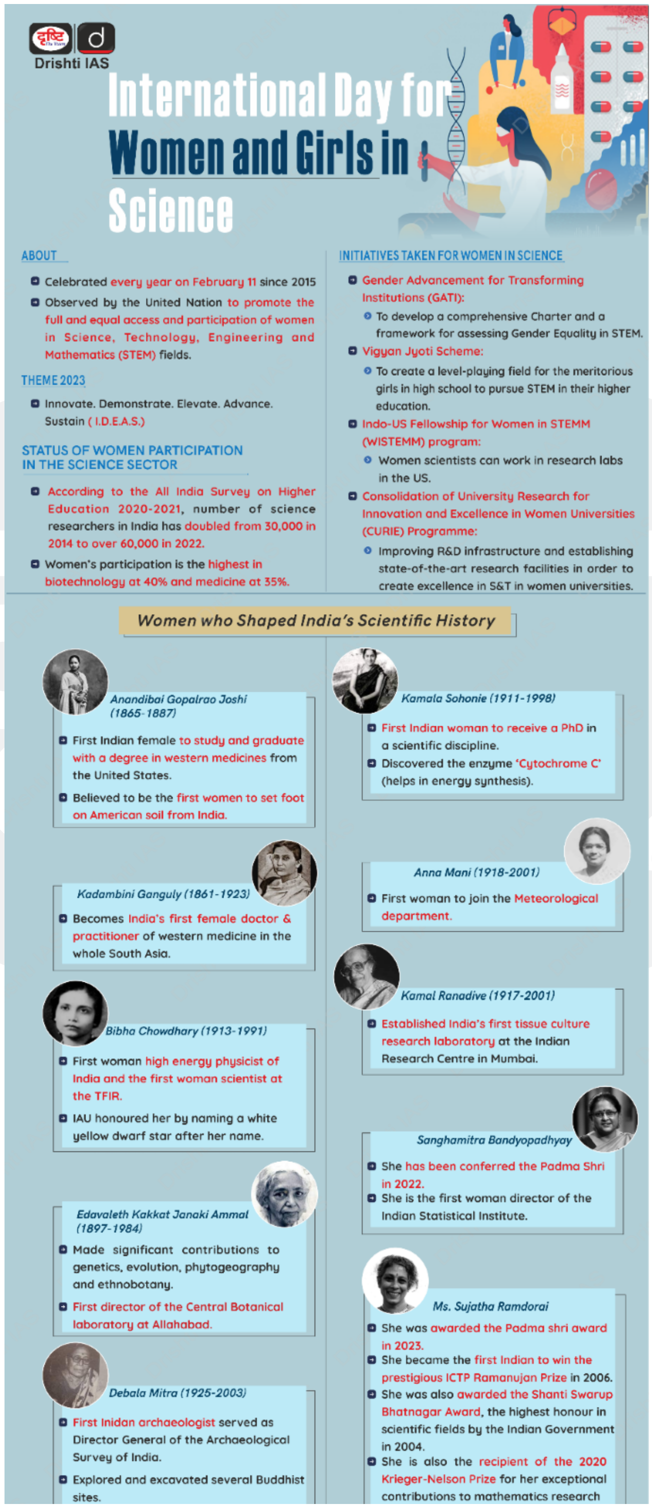

नोट :

इस पुरस्कार की आलोचना के प्रमुख कारण:

- **लिंग असमानता:** SSB पुरस्कार में लिंग असमानता की समस्या बेहद प्रकट है, जहाँ वर्ष 2021 और 2022 दोनों के विजेताओं की सूची में अनन्य रूप से पुरुष वैज्ञानिक शामिल हैं। यह स्थिति इस पुरस्कार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लगातार कमी को रेखांकित करती है।
  - यह तथ्य कि भारत के कार्यरत वैज्ञानिकों में केवल 14% महिलाएँ हैं, विज्ञान के क्षेत्र में व्याप्त उल्लेखनीय लैंगिक असमानता को रेखांकित करता है।
- **महिला पुरस्कार विजेताओं की कमी:** पिछले दो वर्षों में, कई वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये चिह्नित करने के बावजूद, CSIR एक भी ऐसे महिला वैज्ञानिक की पहचान करने में विफल रहा है, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त उल्लेखनीय प्रभाव उत्पन्न किया हो।
- **क्षेत्र में समावेशिता:** लगभग 600 SSB पुरस्कारों में से केवल 19 महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किये गए हैं जो पुरस्कार के इतिहास में लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक लैंगिक असंतुलन को इंगित करता है।
  - विज्ञान में महिलाओं के योगदान की मान्यता की लगातार कमी वैज्ञानिक समुदाय में समावेशिता और लैंगिक समानता पर सवाल खड़े करती है।
- **पारदर्शिता का अभाव:** SSB पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिये ज़िम्मेदार सलाहकार समिति की संरचना को पारंपरिक रूप से गोपनीय रखा गया है, जिससे यह किसी सार्वजनिक जवाबदेही और संवीक्षा से प्रतिरक्षित हो गई है।
  - पारदर्शिता की यह कमी पूर्वाग्रहों को और बढ़ावा दे सकती है और लैंगिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- **मुख्य रूप से पुरुष हस्तियों द्वारा नामांकन:** इस पुरस्कार हेतु किसी वैज्ञानिक के नाम पर विचार किये जाने के लिये उसे प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा नामांकित किये जाने की शर्त रखी गई है जिसमें कुलपति, निदेशक, अकादमी अध्यक्ष, डीन, CSIR शासी निकाय के सदस्य और पूर्व विजेता शामिल होते हैं।
  - देखा गया है कि वैज्ञानिकों को नामांकित करने वाले इन प्रभावशाली लोगों में मुख्य रूप से पुरुष ही शामिल होते हैं, जिससे यह संभावना बनती है कि महिला वैज्ञानिकों को नामांकित करने में पूर्वाग्रह प्रकट हो।

महिलाओं की भागीदारी के संबंध में अन्य पुरस्कारों का परिदृश्य:

- **नोबेल पुरस्कार:** वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी उल्लेखनीय लैंगिक असमानता से ग्रस्त हैं।
- अब तक प्रदान किये गए विज्ञान क्षेत्र के 343 नोबेल पुरस्कारों में से केवल 24 ही महिलाओं को प्रदान किये गए हैं, जो महिला पुरस्कार विजेताओं के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है।
- **प्रगति को प्रोत्साहित करना:** नोबेल पुरस्कारों में ऐतिहासिक रूप से लैंगिक असमानता के बावजूद, कुछ हद तक एक उत्साहजनक प्रवृत्ति नज़र आती है जहाँ वर्ष 2000 के बाद से सभी श्रेणियों में दिये गए 61 पुरस्कारों में से 31 पुरस्कार महिलाओं को दिये गए हैं।
  - यह महिलाओं की उपलब्धियों को अधिक चिह्नित करने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है, हालाँकि अभी भी पर्याप्त सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।
- **भटनागर पुरस्कारों की तुलना:** नोबेल पुरस्कार के विपरीत, SSB पुरस्कार महिला वैज्ञानिकों को चिह्नित करने में ऐसी किसी प्रगति का संकेत नहीं देते हैं।
  - इस प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार में तुलनात्मक रूप से उत्साहजनक विकास की कमी लैंगिक अंतराल को दूर करने और वैज्ञानिक मान्यता में विविधता एवं समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये अधिक सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये CSIR द्वारा उठाए गये कदम:

- CSIR को भारत में सबसे बड़े अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों को नियोजित करता है। CSIR के आकार और प्रभाव को देखते हुए, इस पर महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व लागू होता है कि यह विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित करे और लैंगिक विविधता को बढ़ावा दे।
- **प्रथम महिला प्रमुख की नियुक्ति:** वर्ष 2022 में CSIR के महानिदेशक के रूप में एन. कलईसेल्वी (N Kalaiselvi) की नियुक्ति के साथ वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनीं। यह विज्ञान और अनुसंधान संगठनों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के मामले में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है।

नोट :

- **लिंग समानता सर्वेक्षण (Gender Parity Survey):** यह तथ्य कि CSIR ने वर्ष 2022 में लिंग समानता सर्वेक्षण आयोजित किया, इस संगठन के भीतर लिंग असमानताओं की सीमा को समझने की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के प्रमुख कारण:

- **सामाजिक रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह:** पुरुष-प्रधान वैज्ञानिक क्षेत्रों से संबद्ध गहरी जड़ें जमा चुकी रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह महिलाओं को इन क्षेत्रों में करियर बनाने से हतोत्साहित कर सकते हैं।
  - ये रूढ़ियाँ नियुक्ति, पदोन्नति और मान्यता प्रक्रियाओं में निहित पूर्वाग्रहों के रूप में प्रकट हो सकती हैं।
- **जवाबदेही का अभाव:** बढ़ते विमर्श के बावजूद, महिला वैज्ञानिकों के करियर में बाधा डालने वाली चुनौतियों और पूर्वाग्रहों के लिये जवाबदेही लेने वाले व्यक्तियों या संस्थानों की उल्लेखनीय अनुपस्थिति पाई जाती है।
  - यह समस्याओं को स्वीकार करने और ठोस समाधान लागू करने के बीच के अंतर को इंगित करता है।
- **अंतर्संबंधीय चुनौतियाँ (Intersectional Challenges):** विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता की समस्या जातिवाद और लिंगवाद (sexism) सहित भेदभाव के अन्य रूपों से और गहन हो जाती है। पूर्वाग्रह की ये विभिन्न परतें महिला वैज्ञानिकों के लिये उल्लेखनीय बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव:** उत्पीड़न और असमान व्यवहार सहित भेदभाव के विभिन्न रूप विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा बने हुए हैं। यह प्रतिकूल वातावरण महिलाओं को STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) क्षेत्र में करियर को आगे बढ़ाने और उसमें बने रहने से अवरुद्ध कर सकता है ।
- **संसाधनों तक असमान पहुँच:** महिलाओं के पास अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अनुसंधान निधि, प्रयोगशाला संसाधनों और नेटवर्किंग अवसरों तक सीमित पहुँच की स्थिति हो सकती है, जिससे उनके करियर की प्रगति और उनकी मान्यता प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह:

- **मान्यता का महत्त्व:** वैज्ञानिक भूमिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति के बावजूद, विद्यमान चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि उनके योगदान को समान रूप से मान्यता दी जाए और उनके महत्त्व को चिह्नित किया जाए।
  - यह उन पूर्वाग्रहों और बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो महिलाओं के करियर में उन्नति और वैज्ञानिक समुदाय में उनकी मान्यता की राह में बाधक बन सकते हैं।
- **नेटवर्किंग और सहकार्यता:** ऐसे प्लेटफॉर्म और नेटवर्क स्थापित किये जाएँ जो महिला वैज्ञानिकों के बीच सहकार्यता और ज्ञान साझेदारी को सुगम बनाएँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदायों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
- **शैक्षिक सुधार:** प्राथमिक शिक्षा से लेकर सभी स्तरों पर बालिकाओं और महिलाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण STEM शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा दिया जाए।
- इसमें बालिकाओं को विज्ञान से संबंधित विषयों में आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम और छात्रवृत्तियाँ लागू करना शामिल है।
- बेहतर प्रतिनिधित्व के बहुविध महत्त्व को साकार करना: समावेशी और संवहनीय समाजों की अभिकल्पना के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है।
  - लैंगिक समानता न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक व्यावसायिक प्राथमिकता भी है। अपने कार्यकारी दलों के बीच अधिक विविधता रखने वाले संगठनों में अधिक लाभ प्राप्त करने और अधिक नवाचार क्षमता रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

IMEC परियोजना के महत्त्व

प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे (India-Middle East–Europe Corridor-IMEC) के रूप में अंतर-महाद्वीपीय अवसंरचना के निर्माण के लिये एक वैकल्पिक मॉडल लॉन्च करना नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, 2023 की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहा।

IMEC को वर्ष 2013 में चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड पहल (Belt and Road Initiative- BRI) के अनावरण करने के बाद से विश्व की सबसे साहसिक भू-आर्थिक पहल मानना गलत नहीं होगा।

अपने पैमाने, दायरे और प्रभाव में IMEC एक 'गेम-चेंजर' सिद्ध हो सकता है क्योंकि यह वैश्वीकरण को कम चीन-केंद्रित बनाने के लिये संसाधनों को जुटाने और आपूर्ति शृंखलाओं, उत्पादन नेटवर्क एवं प्रभाव क्षेत्रों (zones of influence) के पुनर्निर्माण के लिये अत्यधिक सक्षम भागीदार देशों को एक साथ लाता है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) क्या है?

- **परिचय:**
  - IMEC परियोजना पर नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किये गए और इसके भारत के लिये महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक एवं आर्थिक निहितार्थ है।

- इसके 8 हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल हैं: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्राँस और जर्मनी।
- **संघटक:**
  - इसमें रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे जो दो गलियारों—पूर्वी (East corridor) और उत्तरी (North corridor) के बीच फैले होंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, जबकि उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।
  - IMEC रेल एवं शिपिंग विकल्पों के अलावा बिजली और ऊर्जा (गैस एवं हाइड्रोजन) पाइपलाइन कनेक्टिविटी का विकल्प भी प्रदान करेगा।

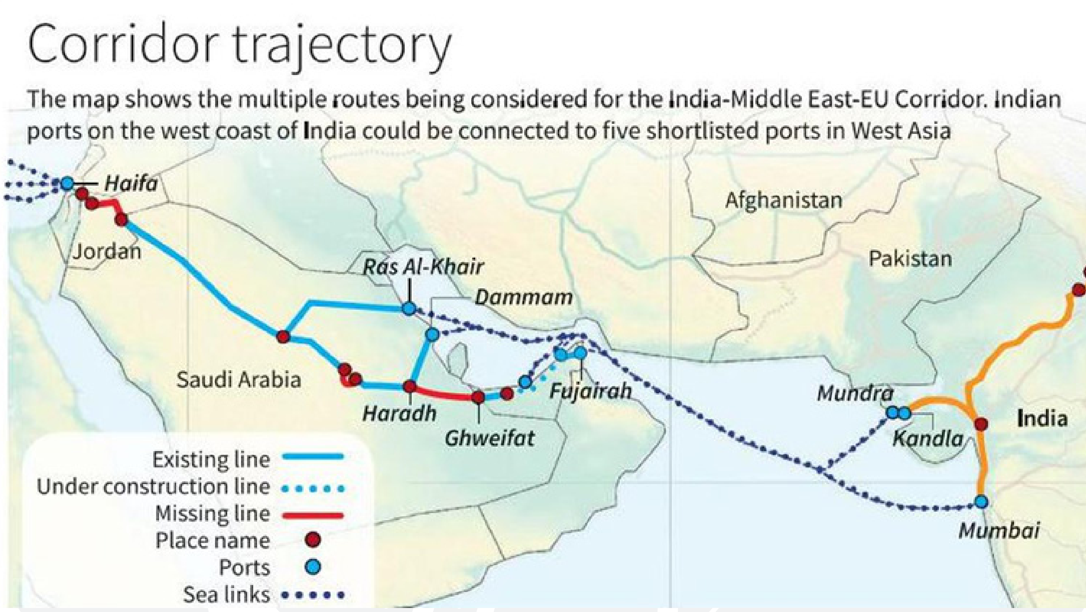

भारत के लिये IMEC का क्या महत्त्व है?

- **समग्र आर्थिक विकास:** IMEC भारत के लिये द्रुत व्यापार, परिवहन और ढाँचागत विकास के लिये तथा रणनीतिक रूप से संरेखित देशों को साथ लाते हुए एक क्षेत्रीय संरचना के निर्माण के लिये एक साधन प्रस्तुत करता है।
  - IMEC के तहत भारत के इंजीनियरिंग वस्तुओं, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्यात को व्यापक रूप से लाभ पहुँच सकता है।
- **यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापार को सुदृढ़ करना:** IMEC सुदूर अवस्थित बंदरगाहों की लिंकिंग और जहाज़, अंडर-सी केबल, रेल एवं सड़क के माध्यम से विभिन्न देशों को जोड़ने के अपने मल्टीमॉडल डिज़ाइन के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच आर्थिक आदान-प्रदान की समयावधि में 40% की कटौती कर सकता है।
  - चूँकि EU भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसलिये यह समझौता EU के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा दे सकता है।
  - यदि खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC) और यूरोपीय संघ के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संपन्न होता है, तो IMEC इन तीनों भागीदारों के आर्थिक भाग्य के लिये एक बड़ा संस्थागत उत्प्रेरक सिद्ध होगा।
- **मध्य-पूर्व में प्रभाव का विस्तार:** मध्य-पूर्व में भारतीय प्रवासियों की बड़ी उपस्थिति के साथ यह परियोजना भारत के लिये व्यापक आर्थिक अवसर का वादा करती है, जहाँ मध्य-पूर्व न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करता है बल्कि भारतीय वस्तुओं के लिये एक प्रमुख बाज़ार भी है।
  - यह परियोजना भारत की रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है, हिंद महासागर क्षेत्र में इसके प्रभाव को बढ़ा सकती और भूमध्यसागर एवं अटलांटिक क्षेत्रों में इसकी पहुँच का विस्तार कर सकती है।
- **व्यापार समय में कमी:** यह परियोजना भारत, मध्य-पूर्व और यूरोप के बीच पारगमन समय में कमी के संदर्भ में विभिन्न रणनीतिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करेगी और इससे भी महत्त्वपूर्ण

यह कि यह परियोजना पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के संकटग्रस्त व्यापार मार्गों को बायपास करते हुए सदियों पुराने 'स्पाइस रूट' (spice route) को पुनर्जीवित करने में भारत की मदद करेगी।

- वर्तमान में भारत के लिये यूरोप तक माल पहुँचाने का एकमात्र मार्ग स्वेज़ नहर है।

- **BRI के प्रभाव को कम करना:** एक अन्य मुख्य बिंदु यह है कि चीन—जो प्राय: केंद्रीय भूमिका में रहने की प्रवृत्ति रखता है, नियम एवं मानक निर्धारित करता है और जहाँ भी वह मौजूद है, वहाँ आर्थिक प्रवाह पर हावी रहता है (चाहे BRI के माध्यम से या RCEP के माध्यम से)—IMEC से बाहर रखा गया है।
  - हालाँकि कुछ IMEC सदस्य BRI के भी अंग हैं, IMEC की सफलता BRI के लगातार बढ़ते प्रभाव को कम कर सकती है।

IMEC चीन के BRI से कैसे अलग है ?

- IMEC की परिकल्पना में राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना अंतर्निहित है; BRI (जिसमें चीन केंद्रीय भूमिका रखता है) के विपरीत IMEC सभी संबंधित पक्षों के परामर्श पर आधारित है।
- BRI को चीन के हितों की पूर्ति करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जबकि IMEC क्षेत्र में सभी देशों के साझा लाभ के लिये है।
- BRI का लक्ष्य केवल चीनी कंपनियों के लिये रोज़गार पैदा करना है, जबकि IMEC का लक्ष्य स्थानीय आबादी के लिये रोज़गार पैदा करना है।
- जबकि BRI के अंतर्गत अत्यधिक उच्च दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है, IMEC सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय ऋण अभ्यासों का पालन करने का प्रस्ताव करता है और इस प्रकार चीन की 'ऋण जाल कूटनीति' (debt trap diplomacy) का एक बेहतर विकल्प पेश करता है।

IMEC की सफलता के मार्ग की संभावित चुनौतियाँ :

- **कार्यान्वयन की चुनौतियाँ:**
  - पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती है गलियारे/कॉरिडोर की स्थापना के लिये एक ठोस योजना का निर्माण करना। इस पैमाने की महत्त्वाकांक्षी परियोजना को पर्याप्त निवेश और अवसंरचना के त्वरित निर्माण में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **समन्वय की चुनौतियाँ:**
  - विभिन्न देशों में रेलवे लाइनों, सड़कों और बंदरगाह संपर्क का नेटवर्क विकसित करने के लिये उच्च स्तरीय समन्वय एवं योजना-निर्माण की आवश्यकता होगी।
- **संलग्न देशों की अपनी भू-राजनीतिक चुनौतियाँ:**
  - यह गलियारा जॉर्डन और इज़रायल से होकर गुज़रेगा, जो लंबे समय से भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें आर्थिक एवं कूटनीतिक चाल के बेहतर संतुलन की आवश्यकता होगी।
- **BRI के साथ प्रतिद्वंद्विता:**
  - IMEC को निस्संदेह चीन के BRI के एक जवाब के रूप में देखा जा रहा है। दोनों के बीच प्रतिस्पर्द्धा का होना अपरिहार्य है, क्योंकि दोनों पहलों के उद्देश्य एकसमान हैं।

IMEC परियोजना को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं ?

- **अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों का लाभ उठाना:**
  - अमेरिका भौगोलिक दृष्टि से IMEC के क्रियान्वयन क्षेत्र के दायरे से बाहर है, लेकिन कूटनीतिक रूप से वह IMEC का एक महत्त्वपूर्ण चालक है जो यूरोप, मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया में अपने विभिन्न औपचारिक सहयोगियों एवं रणनीतिक साझेदारों को एक साथ ला सकता है।
    - वर्तमान परिदृश्य में, अमेरिका द्वारा IMEC का संचालन मूल्यवान है क्योंकि इसी तरह जॉर्डन और इज़रायल जैसे बीच के पारगमन देशों को अन्य देशों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
    - भारत-इज़रायल-यूएई-यूएस (I2U2) समूह और सऊदी अरब से इज़रायल को औपचारिक मान्यता दिलाने का अमेरिका का रणनीतिक लक्ष्य भी किसी न किसी रूप में IMEC के विचार से संबद्ध है।
- **वैश्विक आउटरीच का विस्तार**
  - G20 में रूस और अमेरिका को आम सहमति पर लाने में अपनी सफलता की ही तरह भारत IMEC को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (International North-South Transport Corridor-INSTC) से जुड़ने में भी मदद कर सकता है।
- इससे कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर के बीच के विशाल भू-भाग में व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
- इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि IMEC बिना किसी अतिरिक्त लागत के ऋण में डूबे अफ्रीका के लिये नए कनेक्टिविटी विकल्प प्रदान कर है और पहले से निर्मित परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

- **लैंड-ब्रिजिंग संबंधी आवश्यकताएँ:**
- क्षमता बढ़ाने के लिये क्रियान्वित बड़ी अवसंरचना परियोजनाएँ विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
- भूमि सेतुबंधन या लैंड-ब्रिजिंग (Land-Bridging) आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। खाड़ी और भूमध्यसागर क्षेत्र के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर अनुपस्थित रेल लिंक, टर्मिनल और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs) का निर्माण किया जाना महत्त्वपूर्ण है।
- कोई भी मेगा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर केवल एंड-टू-एंड ट्रैफिक पर निर्भर रहकर व्यवहार्य सिद्ध नहीं हो सकता।
  - इसलिये, IMEC को फीडर रेल मार्गों को विकसित करने के माध्यम से आंतरिक इलाकों को जोड़ने पर भी विचार करना चाहिये, जिन्हें फिर मुख्य गलियारे से जोड़ा जा सकता है। इसका सभी हितधारकों पर गुणक प्रभाव पड़ेगा।
- **भारत की भूमिका:**
  - एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत के लिये यह एक ऐतिहासिक क्षण है जो अपने तकनीकी नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण के संयोजन के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है।
  - भारत को सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण के मिश्रण का पक्षसमर्थन करना चाहिये क्योंकि कुछ परियोजनाएँ सार्वजनिक सब्सिडी या अनुदान के बिना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं भी हो सकती हैं। भारत अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से GCC, जॉर्डन और इज़रायल की रेल परियोजनाओं का समर्थन कर सकता है।
  - भारत को अपने घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मध्य-पूर्व से भारत तक एक समर्पित गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर भी विचार करना चाहिये।
  - इन सभी बातों के अलावा, भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उभरती भू-राजनीति के बीच तटस्थ लेकिन सतर्क बने रहना चाहिये, जबकि उसे INSTC, स्वेज़ नहर, 'आर्कटिक रूट वाया व्लादिवोस्तोक' (Arctic Route via Vladivostok) आदि अन्य परिवहन और ऊर्जा गलियारों के प्रति भी प्रतिबद्ध एवं संलग्न बने रहना चाहिये।

निष्कर्ष:

IMEC की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें संस्थापक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सभी आठ पक्षों के लिये कुछ न कुछ आकर्षण मौजूद है। निस्संदेह, बहुपक्षीय सीमा-पार और महासागर-पार कनेक्टिविटी प्रयास के लिये राजनयिक समन्वय एवं सर्वसम्मति प्रबंधन की भी आवश्यकता है।

चीन के एकपक्षीय BRI की तुलना में IMEC के क्रियान्वयन की रफ़्तार कम हो सकती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत एक बड़ा समूह है, लेकिन यह तथ्य कि भारत और उसके रणनीतिक साझेदार अब IMEC के माध्यम से भू-आर्थिक मानचित्र पर एक शक्ति के रूप में उपस्थित हुए हैं, एक सकारात्मक शुरुआत है।

भारत-कनाडा संबंधों में तनाव

हाल ही में कनाडा सरकार ने कनाडा की भूमि पर एक प्रमुख सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका होने का आरोप लगाते हुए एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया। जवाबी प्रतिक्रिया में भारत ने एक बयान जारी कर मामले में किसी भी संलग्नता से इनकार किया और इसने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया।

इन नवीन घटनाक्रमों के परिदृश्य में, भारत-कनाडा संबंधों के महत्त्व और द्विपक्षीय संबंधों को प्रबल एवं चिरस्थायी बनाने के लिये विभिन्न कठिनाइयों पर मिलकर काम करने की आवश्यकता के संबंध में विचार करना प्रासंगिक होगा।

भारत-कनाडा संबंधों के महत्त्वपूर्ण स्तंभ:

- **राजनीतिक संबंध:**
  - भारत ने कनाडा के साथ अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किये थे।
  - भारत और कनाडा के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार, विधि का शासन और बहुलवाद जैसे साझा सिद्धांतों पर आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध रहा है।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - हाल के समय में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रतिवर्ष 6 बिलियन डॉलर का था और कनाडा में भारतीय निवेश का मूल्य 4 बिलियन डॉलर से अधिक था।
  - 'इन्वेस्ट इंडिया' के अनुसार, अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक लगभग 3,306 मिलियन डॉलर के कुल निवेश के साथ कनाडा भारत में 18वाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।
  - 600 से अधिक कनाडाई कंपनियाँ भारत में उपस्थिति रखती हैं और 1,000 से अधिक कनाडाई कंपनियाँ भारतीय बाज़ार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं।
  - दोनों देश एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) के लिये तकनीकी वार्ता में संलग्न हैं, जिनमें वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, निवेश एवं व्यापार सुविधा जैसे विषय शामिल हैं।

- **प्रवासी संबंध:**
  - कनाडा विश्व में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी में से एक की मेजबानी करता है, जहाँ भारतीय मूल के 16 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। वे कनाडा की कुल आबादी में 3% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं और इनमें से 700,000 गैर-निवासी भारतीय (NRIs) हैं।
- **शिक्षा और नवाचार:**
  - कनाडा में अध्ययनरत भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का लगभग 40% हैं।
  - कनाडा का बौद्धिक संपदा कार्यालय (Intellectual Property Office) और भारत का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के क्षेत्र में सहयोग को सशक्त करने पर सहमत हुए थे।
- **रणनीतिक महत्त्व:**
  - क्षेत्र में भारत के बढ़ते आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय महत्त्व को देखते हुए और कनाडा की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिये कनाडा की हिंद-प्रशांत रणनीति में भारत एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में उपस्थिति रखता है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:**
  - IC-IMPACTS कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य देखभाल, एग्री-बायोटेक और अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।
    - IC-IMPACTS (India-Canada Centre for Innovative Multidisciplinary Partnerships to Accelerate Community Transformation and Sustainability) दोनों देशों के बीच प्रथम और एकमात्र अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र (Canada-India Research Centre of Excellence) है।
  - भारत के पृथ्वी विज्ञान विभाग और 'पोलर कनाडा' (Polar Canada) ने शीत जलवायु (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान के आदान-प्रदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र:**
  - इसरो (ISRO) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) ने बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं उपयोगिता पर समझौता ज्ञापन (MOUs) पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स (ANTRIX) ने कनाडा के लिये कई नैनो उपग्रह लॉन्च किये हैं।
  - इसरो द्वारा वर्ष 2018 में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किये गए इसके 100वें सैटेलाइट PSLV में कनाडा का पहला LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) उपग्रह भी शामिल था।

भारत-कनाडा संबंधों में विद्यमान चुनौतियाँ:

- **सांस्कृतिक संवेदनशीलताएँ:**
  - भारत सरकार ने कनाडा के भीतर कुछ सीमांत समूहों की उपस्थिति एवं गतिविधियों पर लगातार चिंताएँ प्रकट की हैं जो भारत में एक स्वतंत्र सिख राज्य 'खालिस्तान' के विचार के प्रति सहानुभूति रखते हैं।
  - हाल ही में कनाडा ने एक ऐसे परेड की अनुमति दी जिसमें वर्ष 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा नृशंस हत्या को प्रदर्शित किया गया था। इस निरूपण को सिख अलगाववादियों द्वारा हिंसा के महिमामंडन के रूप में देखा गया।
  - विल्सन सेंटर थिंक-टैंक में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन (Michael Kugelman) का मानना है कि कनाडा में बढ़ती सिख गतिविधियों, ओटावा पर नई दिल्ली के बढ़ते दबाव और भारतीय चिंताओं को दूर करने के प्रति ओटावा की अनिच्छा के संयोजन ने वर्तमान समय में द्विपक्षीय संबंधों को एक गहरे संकट की ओर धकेल दिया है।
- **वीज़ा और आप्रवासन नीतियाँ:**
  - हाल के वर्षों में, ऐसी ख़बरें आई हैं कि भारतीय छात्रों को कनाडा में अध्ययन करने के लिये वीज़ा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत में असंतोष पैदा हुआ है और चिंताएँ बढ़ी हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भिन्न रुख:**
  - हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई; यह संलग्न औपचारिक मुलाक़ात तक ही सीमित रही।
  - कश्मीर की राजनीतिक स्थिति जैसे मुद्दों पर भिन्न दृष्टिकोण के कारण भी दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में एक तनाव उत्पन्न होता है।
- **कृषि व्यापार विवाद:**
  - भारतीय डेयरी और पोल्ट्री उत्पादक दालों एवं कैनोला तेल जैसे विभिन्न उत्पादों के कनाडाई निर्यात पर व्यापार संबंधी चिंताएँ रखते हैं।

नोट :

आगे की राह:

- **खालिस्तान के मुद्दे को हल करना:**
  - सिख समुदाय के सदस्यों, भारत सरकार के प्रतिनिधियों और कनाडाई अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के बीच खुले एवं समावेशी संवाद को प्रोत्साहित किया जाए।
  - दोनों देशों को किसी भी राजनीतिक अतिवाद से निपटने के लिये कानूनी कदम उठाने चाहिये।
- **आर्थिक विविधीकरण:**
  - उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिये पारंपरिक क्षेत्रों से परे व्यापार का विस्तार सहयोग एवं आर्थिक विकास के लिये नए अवसरों के द्वार खोल सकता है।
- **सांस्कृतिक विनियमन:**
  - सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनियों और फ़िल्म समारोहों को प्रोत्साहन देने से एक-दूसरे की संस्कृतियों एवं परंपराओं की गहरी समझ को बढ़ावा मिल सकता है।
- **पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग:**
  - जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये साझा प्रतिबद्धता को देखते हुए, भारत और कनाडा हरित प्रौद्योगिकियों, सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के क्षेत्र में मिलकर कार्य कर सकते हैं।
- **राजनयिक संलग्नता:**
  - नियमित रूप से उच्च-स्तरीय राजनयिक संवाद और आदान-प्रदान वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के रुख को संरेखित करने तथा आपसी समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
- **सुरक्षा सहयोग:**
  - आतंकवाद-रोधी मुद्दों पर, विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्यसमूह की रूपरेखा के माध्यम से प्रबल सहयोग स्थापित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत और कनाडा दोनों को राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दों से आगे बढ़ते हुए सहयोग एवं सहकार्यता के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिये। इस गतिशील साझेदारी के लिये भविष्य में बड़ी संभावनाएँ मौजूद हैं और दोनों देशों को इसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिये।

अब्राहम एकॉर्ड के तीन वर्ष

तीन वर्ष पूर्व सितंबर, 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इज़राइल के बीच अब्राहम एकॉर्ड (Abraham Accord) की मध्यस्थता की थी, जिसमें अरब के खाड़ी देशों और इज़राइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का वादा किया गया था।

अब्राहम एकॉर्ड ने न केवल मध्य पूर्व में अधिक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा एकीकरण की शुरुआत की, बल्कि भारत के लिये भी बेहतर अवसरों की संभावना उत्पन्न की है।

'अब्राहम एकॉर्ड' (Abraham Accords):

- **परिचय:**
  - अब्राहम एकॉर्ड इज़राइल और विभिन्न अरब देशों के बीच वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों की एक शृंखला है, जो मध्य-पूर्व में राजनयिक संबंधों में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है।
  - यहूदियों और अरबों के कथित सामान्य पूर्वज 'अब्राहम' (बाइबिल का अब्राहम या इब्राहीम) और भाईचारे की अभिव्यक्ति के संदर्भ में इन समझौतों को 'अब्राहम एकॉर्ड' का नाम दिया गया।
- **अब्राहम एकॉर्ड से संलग्न प्राथमिक देश:**
  - इज़राइल: समझौते के एक प्रमुख पक्षकार के रूप में इज़राइल ने भागीदार अरब देशों के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति व्यक्त की, जो कि विभिन्न अरब देशों के साथ उसके ऐतिहासिक रूप से शत्रुतापूर्ण संबंधों से एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित करता है।
  - संयुक्त अरब अमीरात (UAE): संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश था जिसने औपचारिक रूप से अब्राहम एकॉर्ड के तहत इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक समझौते में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ-साथ आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी शामिल है।
  - बहरीन: संयुक्त अरब अमीरात का अनुसरण करते हुए बहरीन ने भी इज़राइल के साथ इसी तरह के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। 'बहरीन-इज़राइल शांति समझौते' में राजनयिक संबंध और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग जैसे विषय शामिल हैं।
  - सूडान: सूडान भी इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति जताते हुए अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हुआ है। इसने सूडान की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव को चिह्नित किया और इसके प्रभाव में सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की अमेरिकी सूची से बाहर कर दिया गया।
  - मोरक्को: एक अन्य अरब राष्ट्र मोरक्को भी इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रतिबद्धता के साथ समझौते में

शामिल हुआ। इस समझौते में इज़राइल के साथ मोरक्को की भागीदारी के बदले संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पश्चिमी सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता प्रदान की गई।

एकॉर्ड का महत्त्व:

- यह समझौता दिखाता है कि किस प्रकार अरब देश धीरे-धीरे स्वयं को फ़िलिस्तीन के सवाल से पृथक कर रहे हैं।
- समझौते से इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होंगे जिसका पूरे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- इस सौदे से संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका में व्यापक साख प्राप्त हुई है, जहाँ यमन युद्ध में भागीदारी के बाद अमेरिका में उसकी छवि खराब हो गई थी।
- दक्षिण एशिया में, यह पाकिस्तान के लिये एक दुविधा उत्पन्न करता है कि वह भी संयुक्त अरब अमीरात का अनुसरण करे (जहाँ फिर इसे फिलिस्तीन के 'इस्लामी कॉज' को छोड़ने के रूप में देखा जाएगा) या उसका अनुसरण न करे (जहाँ फिर एक अन्य प्रमुख इस्लामी देश संयुक्त अरब अमीरात से उसके संबंध बिगड़ सकते हैं जबकि कश्मीर मामले में साथ न देने के लिये पहले से ही सऊदी अरब के साथ उनके संबंधों में एक गतिरोध उत्पन्न हुआ है)।

अब्राहम एकॉर्ड के बाद हुई प्रमुख प्रगति:

- जून 2021 में अबू धाबी में इज़राइली दूतावास खोला गया जबकि UAE ने भी तेल अवीव में अपना दूतावास खोला है।
- UAE और इज़राइल के बीच व्यापार 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। अप्रैल 2022 में सरकारी खरीद और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिये भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- इज़राइल, UAE और जॉर्डन के बीच त्रिपक्षीय व्यापार जल समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इसके तहत, इज़राइल या तो एक नया अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा या सदस्य देशों को जल की आपूर्ति करेगा।
- पर्यटन के संबंध में, इज़राइल और UAE के बीच सीधी उड़ान सेवाओं की स्थापना हुई है और समझौते के बाद पहले माह में ही UAE ने 67,000 से अधिक इज़राइली पर्यटकों की मेजबानी की।
- अपने देश की आर्थिक समस्याओं से असंतुष्ट कई इज़राइलियों के लिये संयुक्त अरब अमीरात रोज़गार के एक नए गंतव्य के रूप में भी उभरा है।
- इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के बीच संपन्न हुए 'प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट' (Prosperity Green & Blue agreement) के तहत तय किया गया कि एक सोलर फ़ील्ड की स्थापना के साथ इज़राइल को 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

अब्राहम एकॉर्ड की कमियाँ:

- अरबी आयोजकों के प्रारंभिक लक्ष्य के बावजूद, इज़राइल और उसके अरब भागीदारों के बीच का सहयोग इज़राइल-फिलिस्तीन समीकरण में कोई ठोस सुधार लाने में विफल रहा है।
- मध्य-पूर्व के कई प्रमुख हितधारक अभी भी समझौते से बाहर हैं, जैसे कि सऊदी अरब ने पहले से मौजूद 'अरब शांति पहल' (Arab Peace Initiative) के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए रखी है।
- ओमान और क़तर ने इस ढाँचे के भीतर अपने संबंधों को औपचारिक रूप देने से इनकार कर दिया है।

अब्राहम एकॉर्ड भारतीय हितों से कैसे संबद्ध हैं ?

- **राजनयिक गठबंधन:**
  - अब्राहम एकॉर्ड एक ऐसे माहौल का निर्माण करते हैं जहाँ भारत अरब देशों के साथ-साथ इज़राइल के साथ एकसमान स्तर पर अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है।
  - अब्राहम एकॉर्ड के बाद ही I2U2 जैसे गठबंधन का निर्माण संभव हो सका। इसे अनौपचारिक रूप से 'पश्चिम एशियाई क्वाड' (West Asian Quad) और 'इंडो-अब्राहमिक कंस्ट्रक्ट' (Indo-Abrahamic construct) के रूप में भी वर्णित किया गया है।
- **निवेश के अवसर:**
  - यह समूह छह पारस्परिक रूप से चिह्नित क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, अंतरिक्ष, जल और ऊर्जा शामिल हैं।
  - हाल ही में दुबई में 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो-इज़राइल चैंबर ऑफ कॉमर्स' (IFIICC) की स्थापना की गई है।
- **प्रौद्योगिकीय सहयोग:**
  - भारत की प्रौद्योगिकीय क्षमताएँ, UAE से प्राप्त वित्त और इजराइल की नवोन्मेष की क्षमताएँ तीनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ा सकती हैं।
  - इन उद्यमों में से पहले उद्यम के तहत रोबोटिक सोलर पैनल के लिये एक अमीराती परियोजना को एक इज़राइली कंपनी 'एकोपिया' (Eccopia) द्वारा समर्थन दिया गया है, जिसका विनिर्माण आधार भारत में अवस्थित है।

- **प्रवासी संबंध:**
  - जीवंत भारतीय प्रवासियों को अब संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के साथ-साथ इज़राइल और बहरीन के बीच सीधी उड़ानों की सुविधा प्राप्त हुई है।
  - भारतीय छात्रों को यात्रा की आसानी प्राप्त हो रही है; वे हमारे विश्वविद्यालयों तक बेहतर पहुँच और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन कार्यक्रमों का पता लगाने के अवसर प्राप्त कर रहे हैं।

अब्राहम एकॉर्ड की राह की चुनौतियाँ:

- **फिलिस्तीन का मुद्दा:**
  - फिलिस्तीन के भविष्य से संबंधित चुनौतियाँ और ईरान एवं कतर की ओर से इन समझौतों का विरोध एक प्रमुख बाधा है। 86% फिलिस्तीनियों का मानना है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ सामान्यीकरण समझौता केवल इज़राइल के हितों की पूर्ति करता है, उनके अपने हितों की नहीं।
- **क्षेत्रीय समर्थन का अभाव:**
  - बहरीन—एक छोटा-सा देश जो सुरक्षा चाहता है और सऊदी अरब से राजनीतिक संकेत ग्रहण करता है, इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की उम्मीद करने वालों के लिये चिंता का विषय बन गया है।
- **सांस्कृतिक संघर्ष:**
  - भूभाग में शिया-सुन्नी दरार व्यापक और हिंसक बन सकती है। सऊदी अरब (सुन्नी) और ईरान (शिया) के बीच शत्रुता का लंबा इतिहास रहा है।
- **बहुपक्षीय सत्ता संघर्ष:**
  - मध्य-पूर्व में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति की हैसियत प्राप्त कर सकता है, लेकिन रूस ने बहुत कम धन खर्च करके भी अपने लिये एक जगह बना रखी है। हाल के वर्षों में चीन ने भी इस भू-भाग में एक बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है और वह संयुक्त अरब अमीरात एवं इज़राइल दोनों से निकटता रखता है, जबकि सऊदी अरब के साथ भी तेज़ी से निकटता बढ़ा रहा है।
- **वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ:**
  - अब्राहम एकॉर्ड के एक अंग के रूप में 'अब्राहम फंड' स्थापित किया गया था और इसने मध्य-पूर्व में विकास पहलों के लिये लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया था। अमेरिका में प्रशासन के बदलाव ने इस समझौते की क्षमता को कमज़ोर कर दिया है।

आगे की राह:

- **खुला संवाद:**
  - इज़राइल और अन्य भागीदार देशों सहित सभी हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों के बीच खुले एवं समावेशी संवाद के माध्यम से फिलिस्तीन के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिये।
  - मध्य-पूर्व में, विशेष रूप से यमन, सीरिया और लीबिया में क्षेत्रीय संघर्षों के लिये राजनयिक समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **अतिवाद से मुक़ाबला:**
  - अलगाववादी आंदोलनों के लिये भूमि एवं संसाधनों का उपयोग करने और पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचने की आवश्यकता है।
  - अतिवादी विचारधाराओं का मुक़ाबला करने के लिये खुफिया जानकारी की साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **बहुपक्षीय कूटनीति:**
  - संयुक्त राष्ट्र, अरब लीग और अन्य समूहों के माध्यम से बहुपक्षीय कूटनीति में संलग्न रहना जारी रखा जाए।
- **क्षेत्रीय संबंधों को संतुलित करना:**
  - शिया और सुन्नी (ईरान और अरब) के बीच संतुलन बनाये रखना स्थायी शांति की कुंजी है।
- **क्षेत्रीय सहयोग:**
  - आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष:

यद्यपि यह स्पष्ट है कि अब्राहम एकॉर्ड के साथ घनिष्ठ इज़राइल-अरब संबंधों के लिये एक अच्छी शुरुआत की गई है, इनकी सफलता और अन्य देशों में इनका विस्तार उन विभिन्न कारकों—जैसे अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता और पश्चिम एशिया की संरेखण एवं पुनर्संरेखण की राजनीति—पर निर्भर करेगा जो वर्तमान में भू-राजनीतिक वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं।

लैंगिक समानता हेतु महिला आरक्षण विधेयक

संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा और राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में पेश यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित करने का लक्ष्य रखता है।

विधेयक की मुख्य बातें

- **महिलाओं के लिये आरक्षण:** यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों की लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। लोकसभा और राज्य विधानमंडल में SCs और STs के लिये आरक्षित सीटों पर भी यह प्रावधान लागू होगा।
- **आरक्षण का प्रभावी होना:** इस विधेयक के लागू होने के बाद आयोजित होने वाली जनगणना के प्रकाशन के उपरांत यह आरक्षण प्रभावी होगा। नवीन जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने के लिये परिसीमन (delimitation) किया जाएगा। यह आरक्षण आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, संसद द्वारा निर्मित एक विधि के माध्यम से इसे आगे के लिये भी जारी रखा जा सकेगा।
- **सीटों का रोटेशन:** संसद द्वारा निर्मित एक विधि द्वारा निर्धारित आधार पर महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों का प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेशन किया जाएगा।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण की पृष्ठभूमि:

- राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से विमर्श का अंग रहा है जिसके चिह्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ढूँढ़े जा सकते हैं। वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में (तीन महिला निकायों द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी किये गए आधिकारिक ज्ञापन को प्रस्तुत करते हुए) महिला नेत्री बेगम शाह नवाज़ और सरोजिनी नायडू ने कहा था कि किसी भी प्रकार के अधिमान्य व्यवहार की तलाश करना राजनीतिक स्थिति की पूर्ण समानता की भारतीय महिलाओं की सार्वभौमिक मांग की अखंडता का उल्लंघन करने के समान होगा।
- महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan for Women) ने वर्ष 1988 में अनुशंसा की थी कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाए।
- इन अनुशंसाओं ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया, जहाँ सभी राज्य सरकारों के लिये पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित करने और पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर अध्यक्ष/प्रमुख के पदों पर एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का अधिदेश दिया गया। महिलाओं के लिये आरक्षित इन सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।
- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (National Policy for the Empowerment of Women), 2001 में कहा गया कि उच्च विधायी निकायों में भी आरक्षण पर विचार किया जाएगा।
- मई 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया, जिसने स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्रिमंडलीय स्तर और सरकार के सभी निर्णयकारी निकायों में महिलाओं के लिये कम से कम 50% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने की अनुशंसा की।
- वर्ष 2015 में 'भारत में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट' (Report on the Status of Women in India) में दर्ज किया गया कि राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निराशाजनक बना हुआ है। इसने भी स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्रिमंडलीय स्तर और सरकार के सभी निर्णयकारी निकायों में महिलाओं के लिये कम से कम 50% सीटें आरक्षित करने की सिफ़ारिश की।

विधेयक के पक्ष में प्रमुख तर्क:

- **लैंगिक समानता:**
  - राजनीति में महिलाओं का उपयुक्त प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
  - ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, भारत राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में 146 देशों की सूची में 48वें स्थान पर था।
  - इस रैंक के बावजूद उसका स्कोर 0.267 के अत्यंत निम्न स्तर पर था। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले कुछ देशों का स्कोर इससे बहुत बेहतर है। उदाहरण के लिये, आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर था।
- **ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व:**
  - लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली लोकसभा में 5% से बढ़कर 17वीं लोकसभा में 15% हो गई; लेकिन यह संख्या अभी भी बहुत कम है
  - पंचायतों में महिलाओं के लिये आरक्षण के प्रभाव के बारे में वर्ष 2003 के एक अध्ययन से पता चला कि आरक्षण नीति के तहत निर्वाचित महिलाओं ने महिलाओं से संबद्ध सार्वजनिक हित या 'पब्लिक गुड्स' में अधिक निवेश किया।
  - कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति (2009) ने पाया कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण ने उन्हें सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाया।

- **महिलाओं का स्व-प्रतिनिधित्व और स्व-निर्णय का अधिकार:**
  - यदि किसी समूह को राजनीतिक व्यवस्था में आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो नीति-निर्माण को प्रभावित करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) निर्दिष्ट करता है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए।
  - विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पंचायती राज की महिला प्रतिनिधियों ने गाँवों में समाज के विकास एवं समग्र कल्याण की दिशा में सराहनीय कार्य किया है और उनमें से कई निश्चित रूप से वृहत स्तर पर कार्य करने की इच्छा रखती हैं,
  - लेकिन प्रचलित राजनीतिक संरचना में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **विविध परिप्रेक्ष्य:**
  - एक अधिक विविधतापूर्ण विधानमंडल, जिसमें महिलाएँ उल्लेखनीय संख्या में शामिल हों, निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यापक दृष्टिकोण का प्रवेश करा सकता है। यह विविधता बेहतर नीति निर्माण और शासन की ओर ले जा सकती है।
- **महिलाओं का सशक्तीकरण :**
  - राजनीति में महिला आरक्षण विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाता है। यह न केवल अधिकाधिक महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करता है बल्कि महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिये प्रेरित करता है।
- **महिला संबंधी मुद्दों को बढ़ावा:**
  - राजनीति में सक्रिय महिलाएँ प्राय: उन मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं और उनकी वकालत करती हैं जो महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे लिंग-आधारित हिंसा, महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तीकरण उनकी उपस्थिति से नीतिगत विमर्शों में इन मुद्दों को प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है।
- **'रोल मॉडल':**
  - राजनीति में सक्रिय महिला नेत्रियाँ बालिकाओं के लिये 'रोल मॉडल' के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका की आकांक्षा रखने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। राजनीति में प्रतिनिधित्व रूढ़िवादिता को तोड़ सकता है और भावी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकता है।
  - वर्ष 1966 से 1977 तक भारत की पहली एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहीं इंदिरा गांधी और भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री (इंदिरा गांधी के बाद) रहीं सुषमा स्वराज ने देश की बालिकाओं के लिये ऐसे ही 'रोल मॉडल' प्रस्तुत किये।
- **विधेयक के विपक्ष में प्रमुख तर्क**
  - महिलाएँ जाति समूह की तरह किसी सजातीय समुदाय (homogeneous community) नहीं हैं। इसलिये, जाति-आधारित आरक्षण के लिये जो तर्क दिये जाते हैं, वे महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं दिये जा सकते।
  - महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने का कुछ लोगों द्वारा इस आधार पर विरोध किया जाता है कि ऐसा करना संविधान में शामिल समता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है। उनका दावा है कि यदि आरक्षण लागू हुआ तो महिलाएँ योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाएँगी, जिससे समाज में उनका दर्ज़ा कमतर हो सकता है।

इस विधेयक के कार्यान्वयन की राह की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **परिसीमन संबंधी मुद्दे:**
  - परिसीमन किये जाने के बाद ही महिला आरक्षण लागू हो सकेगा, जबकि परिसीमन की प्रक्रिया अगली जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित होने के बाद ही शुरू हो सकेगी।
  - चूँकि अगली जनगणना की तिथि अभी पूर्णत: अनिश्चित है, इसलिये परिसीमन की कोई भी बात दोगुनी अनिश्चित है।
- **विधेयक से संबद्ध OBCs का मुद्दा:**
  - महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करता है लेकिन इसमें अन्य पिछड़े वर्ग (OBCs) की महिलाओं के लिये कोई कोटा शामिल नहीं है।
  - गीता मुखर्जी समिति (1996) ने महिला आरक्षण को OBCs तक विस्तारित करने की सिफ़ारिश की थी।

महिला प्रतिनिधित्व को प्रभावी ढंग से कैसे साकार किया जा सकता है?

- **स्वतंत्र निर्णयन को सुदृढ़ करना:**
  - एक स्वतंत्र निगरानी प्रणाली या समितियाँ स्थापित की जानी चाहिये जो पारिवारिक सदस्यों द्वारा महिला प्रतिनिधियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाएँ।

नोट :

- पितृसत्तात्मक मानसिकता के प्रभाव को कम कर इसे प्रवर्तित किया जा सकता है।
- **जागरूकता और शिक्षा की वृद्धि:**
  - महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में उनकी भागीदारी के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
- **लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न को संबोधित करना:**
  - लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की राह की बड़ी बाधाएँ हैं। नीतिगत एवं विधिक उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने से राजनीति में महिलाओं के लिये एक सुरक्षित और अधिक समर्थनकारी माहौल तैयार हो सकता है।
- **चुनावी प्रक्रिया में सुधार:**
  - आनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) और अधिमान्य मतदान प्रणाली (preferential voting system) शुरू करने जैसे सुधारों के माध्यम से अधिकाधिक महिलाओं का निर्वाचन सुनिश्चित होगा, जिससे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
  - ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के कुछ उपाय मात्र हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन को प्रभावी करने के लिये एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है जो विविध चुनौतियों को हल कर सके।

सृजनात्मक अर्थव्यवस्था: अवसर और चुनौतियाँ

कला, संगीत, फ़िल्म, थिएटर, त्योहार, साहित्य, शिल्प और उनसे जुड़ी बातें महज मनोरंजन के रूप नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पहचान और जीवनानुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे रोज़गार बढ़ाते हैं तथा लोगों के बीच समझ एवं समानुभूति का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों के शिखर सम्मेलन (G20 Culture Ministers' summit) में अपने उद्घाटन भाषण में रचनात्मक उद्योगों (Creative industries) की आर्थिक सफलता में कलाकारों और शिल्प कामगारों के योगदान की चर्चा की। G20 नेताओं की घोषणा (G20 Leaders Declaration) में भी इस बात पर बल दिया गया कि संस्कृति किस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की एक प्रमुख चालक है ।

रचनात्मक उद्योग से तात्पर्य:

- रचनात्मक उद्योग या क्रिएटिव इंडस्ट्रीज (Creative industries) आर्थिक गतिविधियों का एक समूह हैं जो मूल कल्पनाओं (original ideas) पर आधारित होते हैं। इनमें ऐसे व्यवसाय शामिल हैं जो रचनात्मकता पर केंद्रित हैं, जैसे:
  - डिज़ाइन, संगीत, प्रकाशन, वास्तुकला, फ़िल्म एवं वीडियो, शिल्प या क्राफ्ट, दृश्य कला (Visual arts), फ़ैशन, टीवी एवं रेडियो, योग (Yoga), साहित्य, कंप्यूटर गेम, आदि।
- रचनात्मक उद्योगों को सांस्कृतिक उद्योग (cultural industries) या रचनात्मक अर्थव्यवस्था (creative economy) के रूप में भी जाना जाता है।
  - इसे 'ऑरेंज इकोनॉमी' (Orange Economy) भी कहा जाता है।

रचनात्मक उद्योगों का महत्त्व:

- रचनात्मक उद्योग भारत में वाणिज्यिक और सांस्कृतिक मूल्य का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- वे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% का योगदान करते हैं और अनुमान है कि वे भारत के रोज़गार में लगभग 8% का योगदान करते हैं।
- अनुमान बताते हैं कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का कुल बाज़ार आकार लगभग 36.2 बिलियन डॉलर का है।
  - वर्ष 2019 में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का निर्यात 121 बिलियन डॉलर का रहा था।
- प्री-कोविड अवधि में, भारत के रचनात्मक उद्योग भारत की GDP में 2.5% का योगदान कर रहे थे।
- भारत रचनात्मक वस्तुओं एवं सेवाओं में वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने वाले शीर्ष 10 देशों में भी शामिल है और यह विश्व का सबसे बड़ा फ़िल्म निर्माता देश है (वर्ष 2022 की स्थिति के अनुसार)।
- रचनात्मक उद्योग निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता कर सकते हैं:
  - रोज़गार सृजन
  - आर्थिक विकास
  - पर्यटन
  - निर्यात
  - समग्र सामाजिक विकास
  - सतत मानव विकास

नोट :

रचनात्मक उद्योगों के प्रमुख लाभ:

- **रोज़गार सृजन और आय सृजन:** रचनात्मक उद्योग रोज़गार और आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, विशेष रूप युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिये। एशियाई विकास बैंक (ADB) की वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, रचनात्मक उद्योग भारत के रोज़गार में लगभग 8% का योगदान देते हैं।
- **व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्लवन प्रभाव:** रचनात्मक उद्योग नवाचार, पर्यटन, शिक्षा और शहरी विकास सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्लवन या 'स्पिलओवर' प्रभाव (Spillover Effects) उत्पन्न करते हैं। ये उद्योग विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में रचनात्मकता, प्रयोगात्मकता एवं सहकार्यता को प्रोत्साहित कर नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
- **पर्यटन को बढ़ावा:** रचनात्मक उद्योग पर्यटकों एवं आगंतुकों को आकर्षित करते हैं जो सांस्कृतिक अनुभवों से संलग्न होते हैं और सांस्कृतिक वस्तुओं एवं सेवाओं, आवास, परिवहन एवं अन्य संबंधित गतिविधियों पर व्यय करते हैं। पर्यटकों की यह आमद भारत के पर्यटन उद्योग में और व्यापक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** रचनात्मक उद्योग शिक्षा और कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अधिगम/लर्निंग के अवसर प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक जागरूकता एवं विविधता की संवृद्धि करते हैं। रचनात्मक शैक्षिक कार्यक्रम प्रतिभा का संपोषण करते हैं और विभिन्न कलात्मक एवं तकनीकी क्षेत्रों में कौशल विकास के लिये मार्ग प्रदान करते हैं।
- **शहरी विकास:** रचनात्मक उद्योग सांस्कृतिक और सामाजिक अंत:क्रिया के लिये जीवंत और आकर्षक स्थानों का सृजन कर शहरी क्षेत्रों का पुनरुद्धार कर सकते हैं। सांस्कृतिक केंद्र, थिएटर, गैलरी और मनोरंजन ज़िले (entertainment districts) शहरों की समग्र जीवन क्षमता या 'लिवेबिलिटी' (livability) में योगदान करते हैं और इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं।
- **भारत की विरासत और संसाधनों को बढ़ावा देना:** रचनात्मक उद्योग भारत की समृद्ध एवं विविध संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। वे भारत के प्रचुर प्राकृतिक और मानव संसाधनों, जैसे जैव विविधता, शिल्प कौशल एवं उद्यमशीलता का भी लाभ उठाते हैं।
- **'ग्लोबल ब्रांडिंग' और 'सॉफ्ट पावर':** भारत रचनात्मक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात कर अपने ब्रांड मूल्य को बढ़ा सकता है और वैश्विक बाज़ार में उपभोक्ताओं की पसंद को प्रभावित कर सकता है। रचनात्मक उद्योग अन्य देशों के साथ अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान और ज्ञान साझेदारी को सुगम बनाने के रूप में राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ कर भारत के 'सॉफ्ट पावर' को बढ़ाते हैं।

रचनात्मक उद्योग के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **नीतिगत उपेक्षा:** रचनात्मक उद्योग प्राय: राष्ट्रीय और राज्य की नीतियों के हाशिये पर बने रहे हैं, जहाँ उन पर प्राथमिकता से ध्यान नहीं दिया गया है। संबंधित मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के अभाव से समस्या और भी गंभीर हो गई है।
- **अवसंरचना की कमी:** परिवहन, डिजिटल नेटवर्क और बुनियादी सुविधाओं सहित अवसंरचना की अपर्याप्तता रचनात्मक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण और कामगारों एवं उपभोक्ताओं के लिये गतिशीलता को बाधित करती है।
- **डेटा की कमी:** भारत के रचनात्मक उद्योगों के आकार, प्रभाव और योगदान के संबंध में विश्वसनीय डेटा की कमी इस क्षेत्र के विकास, नीति-निर्माण और मान्यता में बाधा उत्पन्न करती है।
- **वित्तपोषण संबंधी संघर्ष:** सीमित, अनियमित सार्वजनिक वित्तपोषण और जोखिम-प्रतिकूल निजी निवेश के साथ, रचनात्मक उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण है। 'क्राउडफंडिंग' और उद्यम पूंजी जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्र का कम उपयोग किया गया है।
- **बौद्धिक संपदा संबंधी भेद्यता:** रचनात्मक क्षेत्र को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में पाइरेसी, जालसाजी और IP अधिकारों के उल्लंघन के खतरों का सामना करना पड़ता है। पुराने पड़ चुके कानूनी ढाँचे और जागरूकता की कमी रचनात्मक अधिकारों की सुरक्षा एवं कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

रचनात्मक उद्योगों के संवर्द्धन के लिये कुछ प्रमुख पहलें:

- राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (NFDC) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारतीय फ़िल्म उद्योग के एकीकृत एवं कुशल विकास हेतु योजना निर्माण, प्रोत्साहन एवं आयोजन पर लक्षित है।
- राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (NID) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है जो डिज़ाइन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श और आउटरीच सेवाएँ प्रदान करता है।
- विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु योजना (Scheme for Promotion of Culture of Science-SpoCS) संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित एक योजना है जिसका उद्देश्य विज्ञान उत्सव, प्रदर्शनी, प्रतिस्पर्द्धा, कार्यशाला

और कैंप आयोजन जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आम लोगों, विशेषकर युवाओं, के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

- स्पिक मैके (SPIC MACAY) एक स्वैच्छिक आंदोलन है जो देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और भारत की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, लोक कला, शिल्प, योग, ध्यान और सिनेमा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (IC) योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत क्रियान्वित एक योजना है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और अन्य प्रमोशनल आयोजनों में भाग लेने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर MSMEs की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना है।
- यूनेस्को का 'क्रिएटिव सिटी नेटवर्क' एक कार्यक्रम है जो शहरों को सांस्कृतिक गतिविधियों के सृजन, उत्पादन और वितरण को सुदृढ़ करने के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ-साथ नागरिक समाज को संलग्न करने के रूप में सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी करने और भागीदारियाँ विकसित करने में मदद देता है।
  - इस कार्यक्रम के तहत मुंबई को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ फ़िल्म्स' और हैदराबाद को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' के रूप में नामित किया गया है।
    - इससे पूर्व, चेन्नई एवं वाराणसी जैसे भारतीय शहरों को यूनेस्को के 'सिटीज़ ऑफ म्यूजिक' जबकि जयपुर को 'सिटीज़ ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स' में शामिल किया गया था।

सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की विविधता एवं समृद्धि का लाभ उठाते हुए अद्वितीय और प्रामाणिक उत्पाद एवं सेवाओं का निर्माण करना जो घरेलू और वैश्विक दोनों बाज़ारों में आकर्षक हों।
  - उदाहरण के लिये, स्टोरीटेलिंग, संगीत, नृत्य, कला, डिज़ाइन और शिल्प के नए रूपों का विकास करना जो भारत के समाज और इतिहास के बहुलवाद एवं गतिशीलता को प्रकट करें।
- रचनात्मक उत्पाद/आउटपुट की पहुँच, गुणवत्ता एवं नवीनता को संवृद्ध करने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों और मंचों के उपयोग को बढ़ावा देना।
  - उदाहरण के लिये, विभिन्न दर्शक वर्गों और क्षेत्रों के लिये आकर्षक एवं अंत:क्रियात्मक अनुभव के सृजन के लिये एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और इमर्सिव मीडिया का उपयोग करना।
- रचनात्मक अर्थव्यवस्था में कलाकारों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, नीति-निर्माताओं और उपभोक्ताओं जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच सहकार्यता और सह-सृजन की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - उदाहरण के लिये, ऐसे नेटवर्क, हब और क्लस्टर स्थापित करना जो रचनात्मक अभ्यासकर्ताओं और उद्योगों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान, कौशल विकास एवं संसाधन साझेदारी की सुविधा प्रदान करें।
- रचनात्मक अर्थव्यवस्था में विद्यमान चुनौतियों और अंतरालों—जैसे डेटा, नीति समर्थन, बौद्धिक संपदा संरक्षण और वित्तपोषण की कमी, को दूर करना।
  - उदाहरण के लिये, रचनात्मक उद्योगों पर और अधिक अनुसंधानों का आयोजन करना, और अधिक सहायक नीतियाँ विकसित करना, IP अधिकारों के प्रवर्तन एवं जागरूकता को प्रबल करना तथा वित्तपोषण एवं निवेश के अवसरों तक अधिक पहुँच प्रदान करना।

G-20 डिप्लोमेसी एवं बदलती विश्व व्यवस्था

दिल्ली में आयोजित G20 बैठक में भारत ने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की और बाधाओं के बावजूद इस स्तर के आयोजन के अनुरूप एक सर्वसम्मत घोषणा प्रस्तुत करने में सफल रहा। रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा एजेंडे में शामिल लगभग सौ मुद्दों पर सहमति का निर्माण कर सकना कोई मामूली उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। कुल मिलाकर, दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के प्राप्त परिणाम व्यापक वैश्विक समुदाय की आशाओं और इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते प्रतीत होते हैं।

आतंकवाद की निंदा से लेकर जलवायु के मुद्दों तक, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने से लेकर सतत विकास के लिये जीवनशैली एवं बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार जैसे विषयों तक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) जैसे क्षेत्र में भारत के योगदान को उजागर करने तक—जारी घोषणापत्र G20 के इस 'मूड' को प्रकट करता नज़र आया कि वह संघर्ष के बजाय समझौते के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' (One Earth, One Family, One Future) के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करने के पक्ष में है।

नोट :

G20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- अफ्रीकी संघ (African Union) को G20 संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- 'नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन' पर सदस्य देशों के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जहाँ तय किया गया है कि समावेशी विकास पर बल दिया जाएगा।
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Economic Corridor- IMEC) की स्थापना के लिये भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्राँस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuel Alliance- GBA) का निर्माण किया गया जिसमें भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। यह गठबंधन जैव ईंधन के अधिकतम उपयोग पर बल देगा।
- इसके अलावा 'वन फ्यूचर अलायंस' का शुभारंभ किया गया और एक 'ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी' की स्थापना की गई।
- G20 नेताओं ने वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने पर सहमति व्यक्त की और अनियंत्रित कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से कम करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

भारत को चीन की धारणा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता:

- **भू-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** चीन का रुख यह रहा है कि G20 का ध्यान केवल आर्थिक सहयोग पर केंद्रित हो, न कि भू-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर, जो भारत के लिये चिंताजनक है। चीन की आपत्तियों से संकेत मिलता है कि वह भारत की अध्यक्षता और पहलों की व्याख्या इन क्षेत्रों में चीन के प्रभाव की उपेक्षा करने या उसे चुनौती देने के प्रयासों के रूप में कर सकता है। इससे द्विपक्षीय संबंधों में खटास आ सकती है।
- **भू-राजनीतिक साधन:** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) योजना के 'भू-राजनीतिक साधन' बन जाने की संभावना के विरुद्ध चीन की अंतर्निहित चेतावनी उसके इस संदेह को इंगित करती है कि भारत की आर्थिक पहलों का इस्तेमाल उसके क्षेत्रीय हितों को चुनौती देने के लिये किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि भारत को तनाव में किसी वृद्धि से बचने के लिये सावधानी से कदम उठाना चाहिये।
- **पश्चिमी धारणाएँ:** चीन G20 को अपने विश्व दृष्टिकोण को थोपने के एक पश्चिमी साधन के रूप में देखता है, जिसके कारण चीन G20 में भारत के नेतृत्व को संदेह की दृष्टि से देख सकता है। चीन-भारत संबंधों में तनाव की वृद्धि से बचने के लिये भारत को यह सतर्कता रखनी चाहिये कि उसे पश्चिमी हितों के साथ अत्यंत निकटता से संबद्ध न समझा जाए।
- **आधिपत्यवादी महत्त्वाकांक्षाएँ:** एशिया में एक क्षेत्रीय आधिपत्यवादी शक्ति के रूप में चीन की स्थिति और अपने प्रभाव का विस्तार करने के उसके निरंतर प्रयास भारत की सुरक्षा और हितों के लिये संभावित खतरे पैदा करते हैं। भारत को सतर्क रहना चाहिये क्योंकि वह चीन के रणनीतिक समीकरणों में एक प्रमुख निशाना है और भारत का कोई भी असावधान कदम तनाव बढ़ा सकता है।
- **क्वाड:** भारत क्वाड (Quad) का सदस्य है जिसे चीन चीन-विरोधी समूह के रूप में देखता है और यह भारत-चीन संबंधों में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। चीन इस गठबंधन के भीतर भारत की गतिविधियों पर सूक्ष्मता से नज़र रख सकता है और भारत के किसी भी उत्तेजक कदम से द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आ सकती है।
- वैश्विक अनिश्चितताएँ: वर्तमान में वैश्विक संदर्भ कई संकटों से चिह्नित किया जा सकता है, जिसमें भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा, मुद्रास्फीति और यूक्रेन जैसे संघर्ष शामिल हैं। भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये अनिश्चितताएँ उसके अपने पड़ोस में फैल सकती हैं और भारत की सुरक्षा एवं स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।

विश्व व्यवस्था की वर्तमान स्थिति:

- **उभरते हुए गुट:** विश्व व्यवस्था में दो उभरते हुए गुट नज़र आ रहे हैं। एक का नेतृत्व पश्चिमी देशों द्वारा किया जा रहा है, जबकि दूसरे का नेतृत्व चीन और रूस द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों गुटों को प्राय: 'स्थायी प्रतिद्वंद्वी' (enduring rivals) के रूप में देखा जाता है और ये वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई में संलग्न हैं। यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देती है।
- **नियम-आधारित व्यवस्था को चुनौतियाँ:** 'नियम-आधारित विश्व व्यवस्था' (rules-based world order) की अवधारणा को चुनौती दी गई है और यह अब एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत ढाँचा नहीं रह गया है। इसके बजाय, दुनिया अब वह अनुभव कर रही है जिसे कुछ लोग 'उभरती हुई विश्व अव्यवस्था' (emerging world disorder) के रूप में वर्णित करते हैं। यह अव्यवस्था विरोधी गुटों के पुनरुत्थान और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की घटती भूमिका से चिह्नित हो रही है।

- **'नाटो' की भूमिका:** यूक्रेन संघर्ष में गतिरोध और रूसी विस्तारवाद को लेकर जारी चिंताओं ने अमेरिका को नाटो (NATO) को सुदृढ़ करने और इसका विस्तार करने के लिये प्रेरित किया है। इससे यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों से सुसज्जित क्षेत्रीय बल की संभावना और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में गैर-नाटो सहयोगियों को शामिल करने की संभावना उत्पन्न हुई है, जिसका उद्देश्य सत्तावाद (authoritarianism) का मुक़ाबला करना है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से रूस और चीन करते हैं।
- **G20 का उभार:** G20 की भूमिका गुज़रते समय के साथ विकसित हुई है। आरंभ में वर्ष 2008-09 के आर्थिक संकट के दौरान इसने आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक आर्थिक मंदी को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालाँकि, हाल के वर्षों में G-20 का ध्यान आर्थिक चिंताओं के बजाय वैश्विक राजनीतिक संघर्षों को संबोधित करने की ओर अधिक केंद्रित हो गया है।
- **रूस-चीन रणनीतिक संरेखण:** रूस और चीन अपने रणनीतिक संरेखण को गहरा कर रहे हैं तथा कूटनीति और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। इस संरेखण का वैश्विक शक्ति गतिशीलता के लिये कुछ निहितार्थ हैं और यह पश्चिमी प्रभाव के लिये चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **वैश्विक प्रभाव:** चीन प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक शक्ति को सक्रिय रूप से चुनौती दे रहा है, जबकि रूस अफ्रीकी राज्यों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न की आपूर्ति कर अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह प्रमुख शक्तियों द्वारा नियंत्रण के अपने पारंपरिक क्षेत्रों से परे अपनी पहुँच और प्रभाव बढ़ाने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

क्या NAM नीति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है?

- **गुटनिरपेक्षता के लिये चुनौतियाँ:** गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) की अवधारणा, जो ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध के दौरान प्रमुख शक्ति गुटों के साथ गठबंधन नहीं करने वाले देशों से संबद्ध थी, उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना कर रही है।
  - नए संरेखण और गठबंधन विश्व के देशों के लिये अपनी गुटनिरपेक्ष स्थिति को बनाए रखना कठिन बना रहे हैं।
  - ब्रिक्स (BRICS) जैसे नए गठबंधन स्वयं वैश्विक राजनीति और सुरक्षा मामलों से अधिक संलग्न होते जा रहे हैं, जो गुटनिरपेक्षता के विचार को और जटिल बनाता है।
- **गुटनिरपेक्षता के लिये घटते अवसर:** सुरक्षा समझौतों के प्रसार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उद्भव ने विभिन्न देशों के लिये वास्तव में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को आगे बढ़ाने की गुंजाइश को पर्याप्त रूप से कम कर दिया है।
  - प्रतिद्वंद्वी खेमों के मज़बूत होने के साथ विभिन्न राष्ट्रों के लिये वैश्विक मामलों में तटस्थता और स्वतंत्रता बनाए रखने के सीमित अवसर ही मौजूद हैं।
- **प्रभाव में कमी:** नए संरेखण और शक्ति समीकरण के परिदृश्य में भारत जैसे देशों के लिये वैश्विक घटनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव डालना चुनौतीपूर्ण बन सकता है।
  - G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और 'ग्लोबल साउथ' के महत्त्व पर ज़ोर देने के बावजूद विश्व घटनाक्रम को आकार देने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।
  - इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारंपरिक रूप से गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका कम होती जा रही है।

इस परिदृश्य में भारत को क्या करना चाहिये?

- **गठबंधनों और साझेदारियों में विविधता लाना:** भारत कई देशों के साथ अपने गठबंधनों और साझेदारियों का विस्तार करने के रूप में विविधीकरण (diversification) की रणनीति अपना सकता है। इसमें पारंपरिक सहयोगियों और उभरती शक्तियों, दोनों के साथ संबंधों को मज़बूत करना शामिल है। भारत पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंधों को गहरा करने के रूप में इस दिशा में कदम उठा चुका है।
- **सक्रिय कूटनीति:** भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है, संघर्षों में मध्यस्थता कर सकता है और वैश्विक शासन में योगदान दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदार के रूप में भारत को महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपना प्रभाव दिखाने में मदद मिल सकती है।
- **आर्थिक एकीकरण:** विभिन्न देशों के साथ आर्थिक एकीकरण और व्यापार गठबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में प्रमुख भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। व्यापार नेटवर्क का विस्तार भारत के आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना:** गठबंधनों में विविधता लाने के साथ ही भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी बनाए रखनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके सभी निर्णय राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों। विदेश नीति में लचीलापन बनाए रखने के लिये किसी एक शक्ति या गुट पर अत्यधिक निर्भरता से बचना महत्त्वपूर्ण है।

- **रक्षा और सुरक्षा में निवेश करना:** क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए, भारत को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिये अपनी रक्षा क्षमताओं में निवेश करना जारी रखना चाहिये। समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को मज़बूत करने से इसकी सुरक्षा स्थिति बेहतर बन सकती है।
- **बहुपक्षीयता में संलग्न होना:** वैश्विक मानदंडों और नीतियों को आकार देने के लिये बहुपक्षीय संस्थानों और मंचों में सक्रिय रूप से संलग्न होना आवश्यक है। भारत विश्व की उभरती शक्तियों का अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं में सुधार की वकालत कर सकता है।
- **विकास और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना:** भारत पड़ोसी देशों और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भू-भागों में अवसंरचना परियोजनाओं, कनेक्टिविटी पहल और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में निवेश कर विकास-केंद्रित विदेश नीति दृष्टिकोण अपना सकता है। इससे सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है और क्षेत्रीय प्रभाव सुदृढ़ हो सकता है।
- **अनुकूलनशीलता और व्यावहारिकता:** भारत को अपने विदेश नीति निर्णयों में अनुकूलनशील और व्यावहारिक बने रहना चाहिये। उसे बदलती परिस्थितियों और उत्पन्न होते अवसरों पर प्रतिक्रिया देने के लिये तैयार रहना चाहिये।
  - भारतीय विदेश मंत्री ने इस विषय में स्पष्ट रूप से कहा है कि ''यह हमारे लिये अमेरिका से संलग्न होने, चीन को संभालने, यूरोप को साधने, रूस को आश्वस्त करने, जापान को साथ लाने, पड़ोसियों को आकर्षित करने, पड़ोस को विस्तारित करने और समर्थन के पारंपरिक क्षेत्रों का विस्तार करने का समय है।''

मध्यस्थता अधिनियम, 2023: न्यायपालिका के कार्यभार को सुगम बनाना

संसद के हालिया मानसून सत्र में दोनों सदनों द्वारा मध्यस्थता विधेयक, 2023 (Mediation Bill, 2023) पारित किया गया, जिसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023) के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता, को बढ़ावा देने और मध्यस्थता के माध्यम से निपटान समझौतों (mediated settlement agreements) को लागू करने के लिये एक तंत्र प्रदान करने की मंशा रखता है।

मध्यस्थता क्या है ?

- मध्यस्थता (Mediation) एक स्वैच्छिक, बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थ (mediator) विवादित पक्षों को समझौते तक पहुँचने में मदद करता है।
- यहाँ मध्यस्थ द्वारा समाधान थोपा नहीं जाता बल्कि ऐसे अनुकूल माहौल का निर्माण किया जाता है जिसमें विवाद में शामिल पक्ष अपने सभी विवादों को सुलझा सकते हैं।
- मध्यस्थता विवाद समाधान का एक 'ट्राइड एंड टेस्टेड' वैकल्पिक तरीका है। दिल्ली, रांची, जमशेदपुर, नागपुर, चंडीगढ़ और औरंगाबाद शहरों में यह बेहद सफल सिद्ध हुई है।
- मध्यस्थता एक संरचित प्रक्रिया (structured process) है जहाँ एक तटस्थ व्यक्ति विशेष संचार और समझौता वार्ता तकनीकों का उपयोग करता है। मध्यस्थता प्रक्रिया में भागीदार वादियों (Litigants) ने मुखर रूप से इसका समर्थन किया है।
- मध्यस्थता के अलावा विवाद समाधान के कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे पंचाट(Arbitration), समझौता वार्ता (Negotiation) और सुलह (Conciliation)।

नवीन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **वाद-पूर्व मध्यस्थता (Pre-litigation Mediation):**
  - पक्षकारों द्वारा किसी न्यायालय या किसी निश्चित न्यायाधिकरण के पास पहुँचने से पहले मध्यस्थता द्वारा अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों को निपटान का प्रयास करना चाहिये।
  - भले ही वे वाद-पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से किसी समझौते तक पहुँचने में विफल रहें, न्यायालय या न्यायाधिकरण प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर संलग्न पक्षकारों को मध्यस्थता के लिये भेज सकता है।
- **वे विवाद जो मध्यस्थता के लिये उपयुक्त नहीं:**
  - अधिनियम में उन विवादों की सूची दी गई है जो मध्यस्थता के लिये उपयुक्त नहीं माने गए हैं। इनमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवाद शामिल हैं:
    - अल्पवयस्क या विकृत चित्त के व्यक्तियों के विरुद्ध दावों से संबंधित,
    - जहाँ आपराधिक अभियोजन शामिल है, और
    - जहाँ तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
  - केंद्र सरकार के पास इस सूची में संशोधन कर सकने की शक्ति है।

नोट :

- **प्रयोज्यता (Applicability):**
  - यह अधिनियम भारत में आयोजित ऐसी मध्यस्थताओं पर लागू होगा:
    - जहाँ केवल घरेलू पक्षकार संलग्न हैं,
    - कम से कम एक विदेशी पक्ष संलग्न और यह वाणिज्यिक विवाद से संबंधित है,
    - यदि मध्यस्थता समझौते में यह कहा गया है कि मध्यस्थता इस अधिनियम के अनुसार होगी।
- **मध्यस्थता प्रक्रिया (Mediation Process):**
  - मध्यस्थता की कार्यवाही गोपनीय होगी और इसे 180 दिनों के भीतर पूरा कर लेना होगा (पक्षकारों द्वारा इसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)।
  - कोई पक्षकार दो सत्रों के बाद मध्यस्थता से पीछे भी हट सकता है।
- **मध्यस्थ (Mediators):**
  - मध्यस्थों की नियुक्ति निम्नलिखित रूप में की जा सकती है:
    - पक्षकारों द्वारा समझौते या सहमति के माध्यम से, अथवा
    - एक मध्यस्थता सेवा प्रदाता द्वारा।
  - मध्यस्थों को हितों के किसी भी ऐसे टकराव का खुलासा करना होगा जो उनकी स्वतंत्रता पर संदेह उत्पन्न कर सकता है।
- **भारतीय मध्यस्थता परिषद (Mediation Council of India):**
  - केंद्र सरकार भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करेगी।
  - इस परिषद में शामिल होंगे-
    - एक अध्यक्ष,
    - दो पूर्णकालिक सदस्य (जो मध्यस्थता या ADR में अनुभव रखते हैं),
    - तीन पदेन सदस्य (कानून सचिव और व्यय सचिव सहित), और
    - किसी औद्योगिक निकाय से एक अंशकालिक सदस्य।
  - परिषद के कार्यों में शामिल हैं: (i) मध्यस्थों का पंजीकरण, और (ii) मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थता संस्थानों को मान्यता प्रदान करना।
- **मध्यस्थता के माध्यम से निपटान समझौता (Mediated Settlement Agreement):**
  - मध्यस्थता (सामुदायिक मध्यस्थता को छोड़कर) से उत्पन्न समझौते न्यायालय के निर्णय की तरह ही अंतिम, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे।
  - हालाँकि इन्हें निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:
    - धोखा (fraud)
    - भ्रष्टाचार (corruption)
    - ग़लत पहचान (impersonation)
    - उन विवादों के मामले में जो मध्यस्थता के लिये उपयुक्त नहीं हैं।
- **सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation):**
  - किसी इलाके के निवासियों के बीच शांति और सद्भाव को प्रभावित करने वाले विवादों को सुलझाने के लिये सामुदायिक मध्यस्थता का प्रयास किया जा सकता है।
  - इसका आयोजन तीन मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा किया जाएगा।

भारत को मध्यस्थता को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है?

- **लंबित मामलों के समाधान हेतु:**
  - मई 2022 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के न्यायालयों के समक्ष 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उनमें से 87.4% अधीनस्थ न्यायालयों में और 12.4% उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े हैं।
  - इस परिदृश्य में, लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (Mediation and Conciliation Project Committee) ने मध्यस्थता को संघर्ष समाधान के लिये एक 'ट्राइड एंड टेस्टेड' विकल्प के रूप में देखा है।
- **मध्यस्थता पर 'स्टैंडअलोन' या स्वतंत्र विधियों का अभाव:**
  - ऐसे कई विधियाँ मौजूद हैं जिनमें मध्यस्थता प्रावधान शामिल हैं, जैसे
    - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
    - माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996
    - कंपनी अधिनियम 2013, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015; और
    - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
  - उपरोक्त विधियों के बावजूद, भारत में कोई समर्पित स्टैंडअलोन या स्वतंत्र मध्यस्थता विधि मौजूद नहीं है।
  - ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इटली सहित विभिन्न देशों में मध्यस्थता पर स्टैंडअलोन कानून मौजूद हैं।

नोट :

- **वास्तविक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में मध्यस्थता:**
  - मध्यस्थता सरल भाषा के माध्यम से न्याय प्रदान करना आसान बनाती है और पारंपरिक तरीकों की एक लागत-प्रभावी विकल्प साबित होती है।
  - मध्यस्थता के दौरान प्राप्त समाधान व्यक्तियों के लिये वास्तविक न्याय सुनिश्चित करता है जहाँ विचारों के आदान-प्रदान और सूचना के प्रवाह के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनने की आकांक्षाएँ:**
  - मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन (Singapore Convention on Mediation) मध्यस्थता के माध्यम से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौतों के लिये एक सार्वभौमिक और कुशल ढाँचा है।
  - चूँकि भारत भी वर्ष 2019 से इसका हस्ताक्षरकर्ता है, इसलिये देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले एक कानून का निर्माण करना उपयुक्त होगा।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (International Mediation Hub) बन सकने के लिये भारत की साख को बढ़ावा देगा।

अधिनियम से संबद्ध प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ

- **वाद-पूर्व मध्यस्थता की अनिवार्यता:**
  - अधिनियम के अनुसार, कोई भी मुक़दमा दायर करने या अदालत में कार्यवाही शुरू करने से पहले दोनों पक्षकारों के लिये वाद-पूर्व मध्यस्थता से गुज़रना अनिवार्य है, चाहे उनके बीच मध्यस्थता समझौता हो या नहीं हो।
  - हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार न्याय तक पहुँच एक मूल अधिकार है जिसे सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
- **मध्यस्थों का सीमित प्रासंगिक अनुभव:**
  - जबकि परिषद के पूर्णकालिक सदस्यों के पास मध्यस्थता या ADR कानूनों एवं तंत्रों से संबंधित ज्ञान या अनुभव होने की शर्त रखी गई है, आवश्यक नहीं है कि वे उल्लेखनीय अनुभव रखने वाले पेशेवर मध्यस्थ हों।
  - उदाहरण के लिये, अधिनियम की शर्तों के अधीन किसी 'आर्बिट्रेटर' को परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन संभव है कि मध्यस्थों के पेशेवर आचरण के मानकों को निर्धारित करने जैसे कार्य करने के लिये वह उपयुक्त नहीं हो।
- **विनियमन जारी करने से पहले केंद्र सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता:**
  - अधिनियम के तहत, परिषद विनियमन जारी कर अपने प्रमुख कार्यों का निर्वहन करेगी। ऐसे विनियमन जारी करने से पहले उसे केंद्र सरकार से मंज़ूरी लेनी होगी।
  - इस प्रकार, यदि परिषद को अपने मुख्य कार्यों के लिये केंद्र सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी तो इससे उसकी प्रभावशीलता सीमित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे समकक्ष संगठनों को विनियमन जारी करने से पहले पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय निपटान को लागू करने में चुनौतियाँ:**
  - यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को घरेलू मानता है जब यह भारत में आयोजित हो और निपटान या निपटारे को न्यायालय के निर्णय या डिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है।
  - सिंगापुर कन्वेंशन उन निपटानों पर लागू नहीं होता है जो पहले से ही निर्णय या डिक्री का दर्जा रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत में सीमा-पार मध्यस्थता आयोजित करने से विश्वव्यापी प्रवर्तनीयता के व्यापक लाभ अपवर्जित हो जाएँगे।
- **मध्यस्थों के लिये विविध पंजीकरण आवश्यक:**
  - मध्यस्थों को इन सभी चार स्थानों पर पंजीकृत/सूचीबद्ध होना होगा:
    - भारतीय मध्यस्थता परिषद,
    - न्यायालय द्वारा अनुलग्न मध्यस्थता केंद्र,
    - एक मान्यता प्राप्त मध्यस्थता सेवा प्रदाता, और
    - एक विधिक सेवा प्राधिकरण।
  - यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे मध्यस्थों के लिये इनमें से किसी भी एक शर्त को पूरा करना पर्याप्त क्यों नहीं है।
- **अपरिभाषित शब्दावली:**
  - अधिनियम का खंड 8 किसी पक्षकार को केवल 'असाधारण परिस्थितियों' में ही अंतरिम राहत के लिये मध्यस्थता की शुरुआत से पहले या इसके दौरान न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।
  - अधिनियम में 'असाधारण परिस्थिति' शब्द अपरिभाषित है।
- **ऑनलाइन मध्यस्थता से संबंधित मुद्दे:**
  - नीति आयोग की एक हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के केवल 55% लोगों के पास इंटरनेट तक पहुँच है और केवल 27% के पास उपयुक्त इंटरनेट डिवाइस मौजूद हैं।
  - इससे आबादी के एक बड़े हिस्से के लिये पहुँच या अभिगम्यता की समस्या उत्पन्न होती है।

नोट :

- **सामुदायिक मध्यस्थता से जुड़े मुद्दे:**
  - सामुदायिक मध्यस्थता के मामले में यह अधिनियम तीन मध्यस्थों का एक पैनल रखना अनिवार्य बनाता है।
    - सामुदायिक मध्यस्थता एक शक्तिशाली साधन है जो लोगों को प्रबंधित संचार के माध्यम से विवादों को सुलझाने का अवसर प्रदान करता है।
  - तीन मध्यस्थों के एक पैनल की आवश्यकता अनावश्यक लगती है और यह मध्यस्थता प्रक्रिया में निहित लचीलेपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

आगे की राह

- **अनिवार्य वाद-पूर्व मध्यस्थता का चरणबद्ध प्रवेश:**
  - अनिवार्य वाद-पूर्व मध्यस्थता को चरणबद्ध तरीके से शुरू करना उपयुक्त होगा जहाँ पहले विवादों की कुछ चिह्नित श्रेणियों को और फिर अंततः विवादों की एक विस्तृत श्रृंखला दायरे में लिया जाए।
- **समय-सीमा कम करना:**
  - मध्यस्थता विधेयक 2021 पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट ने मध्यस्थता पूरी कर लेने की समय-सीमा को 180 दिनों से घटाकर 90 दिन करने की सिफ़ारिश की थी।
- **क्षमता निर्माण:**
  - नीति आयोग ने माना है कि भारत में अनिवार्य वाद-पूर्व मध्यस्थता के लिये एक रूपरेखा तैयार करने में उपलब्ध मध्यस्थों की संख्या और बड़ी संख्या में मध्यस्थ प्रदान कर सकने की पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
  - सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति ने मॉडल मध्यस्थता कोड निर्धारित करने, देश भर में मध्यस्थों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने और सभी ज़िलों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये आवश्यक कदमों की सिफ़ारिश की है।
- **अभिगम्यता में वृद्धि करना:**
  - ऑनलाइन मध्यस्थता को सफल बनाने के लिये हमें अपनी बैंडविड्थ पहुँच को देश के दूरदराज के हिस्सों तक व्यापक रूप से बढ़ाना होगा।
  - विधिक सहायता (legal aid) की स्थापना करने या पर्याप्त IT अवसंरचना के साथ जस्टिस क्लीनिक (justice clinics) तक पहुँच बढ़ाने के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- **महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (Disruptive Technologies) का उपयोग:**
  - अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम (International Arbitration- IA) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पारंपरिक अभ्यासों के प्रमुख विकल्प हैं। IA पारंपरिक विवाद समाधान विधियों को प्रतिस्थापित करता है, जबकि AI पारंपरिक प्रदर्शन दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करता है।
  - AI माध्यस्थम प्रक्रिया और इसके उपयोगकर्ताओं के लिये अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकता है। AI-संचालित सेवाएँ मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाकर वकीलों को मसौदा तैयार करने, बेहतर प्राधिकारों की पहचान करने, दस्तावेज़ों की समीक्षा करने आदि में सहायता कर सकती हैं।

निष्कर्ष

भारत में मध्यस्थता का भविष्य सामाजिक परिवर्तन को उस तरीके से प्रभावित करने की क्षमता में निहित है जिस तरह से कानून नहीं कर पाता है। इस अधिनियम को रूप की बजाय भावना में अधिक लागू किया जाना चाहिये, जैसा कि एक प्रसिद्ध न्यायविद् ने उपयुक्त ही कहा है कि "यह भावना है, न कि रूप, जो न्याय को जीवंत बनाये रखती है।"

जलवायु परिवर्तन एवं संक्रामक रोग

मार्च 2023 में जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) ने एक गंभीर चेतावनी से आगाह कराया है। IPCC ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन से संक्रामक रोगों का वैश्विक खतरा बढ़ जाता है। जलवायु और रोगों के बीच का घनिष्ठ संबंध साल-दर-साल सिद्ध हो रहा है। उदाहरण के लिये, मच्छर-जनित रोगों के फैलने की आवधिकता अब अपेक्षित पैटर्न के अनुरूप नहीं रह गई है।

डेंगू अब वर्ष भर दो से तीन चरम अवधि के रूप में प्रकट होता है। तापमान, वर्षा और आर्द्रता की परिवर्तनशीलता रोग संचरण चक्रों (disease transmission cycles) को बाधित कर रही है। ये परजीवी को आश्रय देने वाले रोगवाहकों (vectors) और एनिमल रेज़र्वोयर (animal reservoirs) के वितरण को भी बदल देते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि गर्मी या उष्णता (heat) रोगजनकों (pathogens) की जीनोमिक संरचना में हस्तक्षेप करती है, जिससे उनकी संक्रामकता और उग्रता बदल जाती है।

इससे स्वास्थ्य को होने वाली प्रत्यक्ष क्षति लागत (कृषि और जल एवं स्वच्छता जैसे स्वास्थ्य-निर्धारण क्षेत्रों में होने वाली लागत को छोड़कर) वर्ष 2030 तक 2-4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष के बीच होने का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन का रोगों के प्रकोप से संबंध:

- **पर्यावास हानि और ज़ूनोटिक रोग:** चूँकि जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र को बदलता है, पर्यावास की क्षति अधिक होने लगती है। यह रोग फैलाने वाले पशुओं को उपयुक्त पर्यावास और संसाधनों की तलाश में मानव क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के लिये विवश करता है। मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच इस बढ़ती अंत:क्रिया से ज़ूनोटिक रोगों (zoonotic diseases) का खतरा बढ़ जाता है। ज़ूनोटिक रोग वे रोग हैं जो पशुओं से मानवों में बैक्टीरिया, वायरस या अन्य परजीवियों या रोगवाहकों के माध्यम से फैलते हैं।
  - निपाह वायरस (Nipah virus) इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो इस तरह की घटनाओं के कारण केरल में प्रकोप का ज़िम्मेदार है।
- **तापमान और रोग संचरण:** बढ़ता तापमान मच्छरों और किलनी (ticks) जैसे रोगवाहकों के वितरण और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ये रोगवाहक मलेरिया, डेंगू बुखार और लाइम डिजीज जैसी बीमारियों के संचरण/संक्रमण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - गर्म तापमान इन रोगवाहकों की भौगोलिक सीमा का विस्तार कर सकता है, जिससे उन्हें उन क्षेत्रों में पनपने की अनुमति मिलती है जो पहले उनके लिये अत्यंत ठंडे होते थे।
- **वर्षा के बदलते पैटर्न:** जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को बदल सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक तीव्र और लंबे समय तक वर्षा हो सकती है, जबकि अन्य किसी क्षेत्र में सूखा पड़ सकता है। ये परिवर्तन रोगवाहकों के लिये उपयुक्त प्रजनन वातावरण का निर्माण कर सकते हैं।
- बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि जल स्रोतों को सीवेज और रोगजनकों से दूषित कर सकती है, जिससे हैजा और पेचिश जैसी जलजनित बीमारियों का प्रकोप हो सकता है।
  - भारी वर्षा जलजमाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जो मलेरिया और ज़ीका वायरस (Zika virus) रोग जैसी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों के लिये आदर्श प्रजनन स्थल होते हैं।
- **रोगवाहकों में व्यवहार परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन रोगवाहकों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है।
  - गर्म तापमान रोगवाहकों के भीतर रोगजनकों के विकास को तीव्र कर सकता है, जिससे उनकी ऊष्मायन अवधि (incubation period) कम हो जाती है और बीमारियों का तेज़ी से संचरण होता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** जलवायु परिवर्तन कृषि प्रणालियों को बाधित कर सकता है, जिससे खाद्य उत्पादन और वितरण में बदलाव आ सकता है। ये व्यवधान कुपोषण में योगदान कर सकते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे आबादी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है।
- **चरम मौसमी घटनाएँ:** जलवायु परिवर्तन चक्रवात, हीटवेव (heatwaves) और वनाग्नि (wildfires) जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता से संबद्ध है। इन घटनाओं से आघातों, विस्थापन और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में व्यवधान की स्थिति बन सकती है, जिससे रोगों के प्रसार के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं।
- **बदलता रोग परिदृश्य:** जलवायु परिवर्तन ने मानवों को खतरे में डालने वाले संक्रामक एजेंटों का दायरा बढ़ा दिया है। मानवों को प्रभावित करने वाली सभी ज्ञात संक्रामक बीमारियों में से आधे से अधिक जलवायु पैटर्न में बदलाव के साथ बदतर हो जाती हैं।
  - ये बीमारियाँ प्राय: नए संचरण मार्गों की खोज करती हैं, जिनमें पर्यावरणीय स्रोत, चिकित्सा पर्यटन और दूषित भोजन एवं जल शामिल हैं।

नोट :

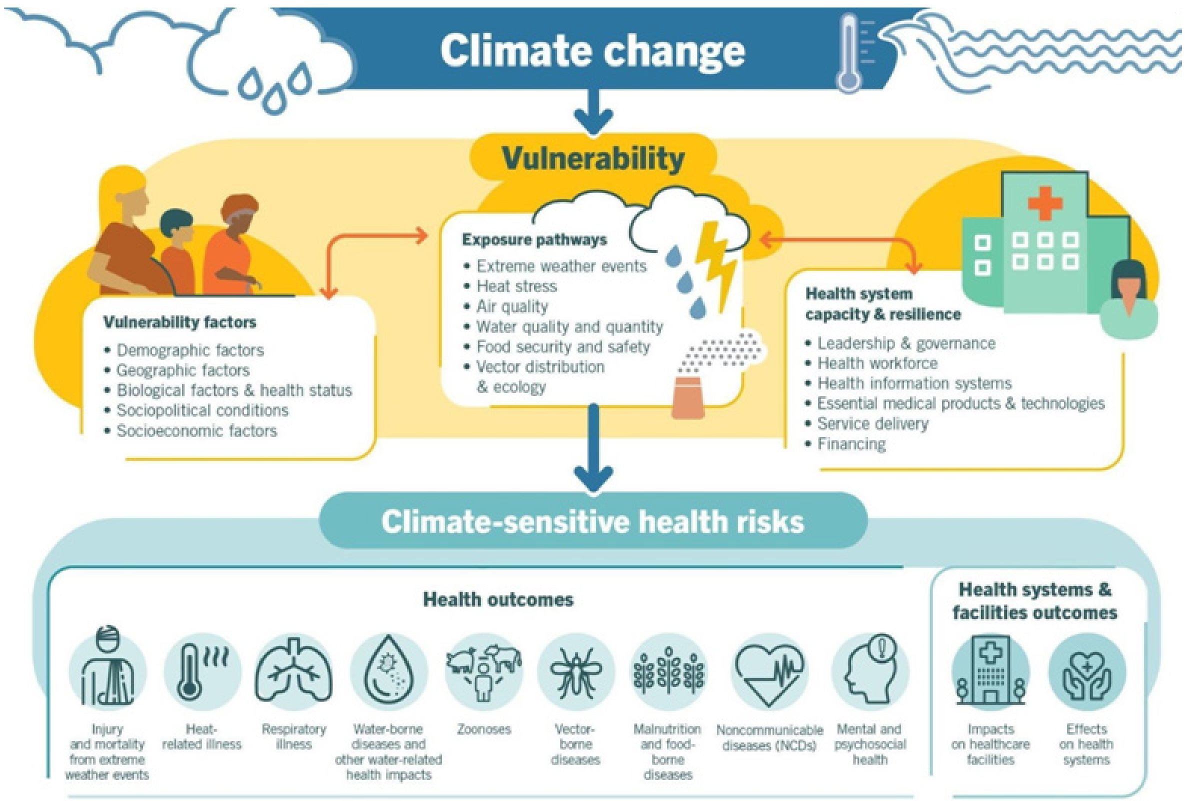

सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें:

- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय दिशानिर्देश (National Guidelines for Infection Prevention and Control in Healthcare Facilities): ये दिशानिर्देश रोगी की सुरक्षा और संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रित करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता के संबंध में एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य निपाह, इबोला जैसी संक्रामक बीमारियों से वर्तमान और भविष्य के खतरों को रोकना तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Anti-Microbial Resistance- AMR) से निपटने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission):** यह भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सेवा से वंचित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्थानिक बीमारियों सहित संचारी और गैर-संचारी रोगों को रोकना एवं नियंत्रित करना है।
- **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization programme):** इसके तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोलियो, खसरा, टेटनस जैसी 12 टीका-निवारक बीमारियों से बचाने के लिये मुफ़्त टीके प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम ने मिशन इंद्रधनुष नामक एक महत्त्वाकांक्षी पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य पूर्ण टीकाकरण कवरेज में तेज़ी लाना और वंचित आबादी तक इसकी पहुँच बढ़ाना है।

इस समस्या के समाधान हेतु उपाय:

- **जलवायु परिवर्तन का शमन करना:**
  - स्वच्छ और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर आगे बढ़, ऊर्जा दक्षता में सुधार कर और निम्न-कार्बन जीवन शैली को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन, कृषि, उद्योग और अपशिष्ट जैसे विभिन्न स्रोतों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।
    - राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, वाहन स्क्रैपेज नीति , E20 ईंधन नीति , राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आदि इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कुछ प्रमुख कदम हैं।

नोट :

- प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा एवं पुनर्स्थापना कर, कार्बन पृथक्करण एवं भंडारण को बढ़ाकर और भूमि क्षरण एवं वनों की कटाई को रोककर वन, मृदा और महासागरों जैसे ग्रीनहाउस गैसों के संचय को बढ़ाना।
    - राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme- NAP), प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority- CAMPA Funds), मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम (National Action Programme to Combat Desertification) इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कुछ कदम हैं।

- **रोग निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:**
    - निगरानी प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना: उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में निवेश किया जाए जो रोगों के उभरते प्रकोप की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग कर सकने में सक्षमता प्रदान करे। रोगों की रिपोर्टिंग के लिये वेब-सक्षम प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
        - एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म (Integrated Health Information Platform- IHIP): IHIP को वर्ष 2018 में सात राज्यों में पेश किया गया था। IHIP को एक वेब-सक्षम, लगभग वास्तविक समय की इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली के रूप में डिज़ाइन किया गया था जो रोग स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर रिपोर्ट करने और अलग-अलग डेटा प्रदान करने में सक्षम है।
    - हालाँकि, IHIP कई चुनौतियों से जूझ रहा है जैसे कि उभरती बीमारी के प्रकोप की वास्तविक समय पर नज़र रखने के मामले में IHIP उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका है। तकनीकी प्रगति के बावजूद, कार्यान्वयन या परिचालन संबंधी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है।
    - 'वन हेल्थ' एप्रोच: वन हेल्थ एप्रोच (One Health Approach) को अपनाया जाना चाहिये जो मानव, पशु, पौधे और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की निगरानी को एकीकृत करता है। यह दृष्टिकोण इन कारकों के अंतर्संबंध को चिह्नित करता है और प्रकोपों (विशेष रूप से पशुओं से उत्पन्न होने वाले प्रकोपों) को रोकने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
        - वन हेल्थ दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये, भारत को केंद्र सरकार और राज्यों के साथ-साथ विशेष एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल स्थापित करनी चाहिये।
        - पशुपालन, वन एवं वन्यजीवन, नगर निकाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये ज़िम्मेदार विभागों को परस्पर सहयोग करने और सुदृढ़ निगरानी प्रणालियों का निर्माण करने की आवश्यकता है।
        - विश्वास निर्माण, डेटा साझेदारी और विभिन्न ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करना इस दृष्टिकोण के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

- **क्षमता निर्माण और संसाधन आवंटन:**
    - रोगों के प्रकोप की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिये स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और अन्य प्रासंगिक पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में निवेश किया जाना चाहिये।
    - रोग निगरानी और प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिये धन एवं कार्मिक सहित पर्याप्त संसाधन आवंटित किया जाना चाहिये।

- **जन जागरूकता और शिक्षा:**
    - जलवायु परिवर्तन से प्रेरित रोगों से जुड़े जोखिमों और लक्षणों की शीघ्र रिपोर्टिंग के महत्त्व के बारे में जनता को शिक्षित किया जाए। समुदायों को रोग निगरानी प्रयासों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।
        - दिल्ली सरकार के डेंगू-विरोधी अभियान जैसे जागरूकता कार्यक्रमों को तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
    - प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने इस पहल में अग्रणी भूमिका निभाई है। हालाँकि, विश्व बैंक जैसे नए वित्तपोषण स्रोतों के साथ, वन हेल्थ और संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिये अधिक समन्वयन एवं प्रबंधन की आवश्यकता है।

- **कार्यक्रम मूल्यांकन और अनुकूलन:**
    - रोग निगरानी और नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाए तथा उभरते रोग पैटर्न और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के आधार पर रणनीतियों को अनुकूल बनाया जाए।

निष्कर्ष:

- जलवायु परिवर्तन केवल संक्रामक रोगों तक ही सीमित नहीं है।

यह चरम मौसमी घटनाओं, श्वसन एवं हृदय संबंधी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रेरित आघात एवं मृत्यु के मामलों में भी वृद्धि करता है।

- केरल में निपाह का फिर से उभरना एक चेतावनी है कि बीमारियों के प्रति केवल जैव-चिकित्सकीय प्रतिक्रिया अपर्याप्त है। बदलती जलवायु और संक्रामक रोगों के बढ़ते खतरे के परिदृश्य में पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, सहयोग को बढ़ावा देना तथा 'वन हेल्थ' प्रतिमान को अपनाना हमारा सबसे अच्छा रक्षात्मक उपाय होगा।
- आगे की राह, न केवल अनुकूलन के लिये बल्कि सक्रिय रूप से हमारे ग्रह और इसके निवासियों की सुरक्षा के लिये भी ठोस प्रयासों की आवश्यकता रखती है।

AI के दौर में बच्चों की सुरक्षा

भारत वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये AI के रणनीतिक महत्त्व को रेखांकित करता है। भारत वर्ष 2023 के अंतिम माहों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर केंद्रित दो महत्त्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने वाला है। इनमें से पहली बैठक अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाली है, जो विश्व का पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन होगा। इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत 'ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (GPAI) का नेतृत्व संभालेगा।

लेकिन इस प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ ही सुदृढ़ विनियमन की तत्काल आवश्यकता भी प्रकट हुई है। बच्चे और किशोर विशेष रूप से AI से जुड़े विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं तथा भारत के मौजूदा डेटा संरक्षण कानून इन चुनौतियों का समाधान करने में अक्षम सिद्ध हो सकते हैं।

AI विनियमन:

AI विनियमन (AI regulation) कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों के विकास, तैनाती और उपयोग को नियंत्रित करने के लिये सरकारों और नियामक निकायों द्वारा स्थापित नियमों, कानूनों एवं दिशानिर्देशों को संदर्भित करता है।

AI विनियमन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि AI प्रणालियों को ऐसे तरीकों से विकसित और उपयोग किया जाए जो समाज के लिये सुरक्षित, नैतिक एवं लाभप्रद हो और संभावित जोखिमों एवं हानियों का शमन करता हो। AI विनियमन कई पहलुओं को कवर कर सकता है, जिनमें शामिल हैं:

- **सुरक्षा और विश्वसनीयता:** विनियमनों में AI डेवलपर्स के लिये सुरक्षा मानकों के पालन को अनिवार्य बनाया जा सकता है ताकि AI प्रणालियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं या खराबी को रोका जा सके। यह स्वायत्त वाहनों या चिकित्सा निदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- **नैतिक विचार:** कुछ AI अनुप्रयोग, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा या वित्त जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करने के लिये मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता रख सकते हैं कि AI निर्णय मानवीय मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप हैं।
- **डेटा गोपनीयता:** कई AI प्रणालियाँ डेटा की बड़ी मात्रा पर निर्भर करती हैं। यूरोपीय संघ (EU) के 'जेनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन' (GDPR) जैसे विनियमन इस बात के लिये मानक तय करते हैं कि AI अनुप्रयोगों में व्यक्तिगत डेटा को कैसे संभाला जाए और कैसे संरक्षित किया जाए।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** कुछ विनियमन AI डेवलपर्स के लिये अपने एल्गोरिदम में पारदर्शिता प्रदान करने की मांग कर सकते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाएगा कि AI प्रणालियाँ किस प्रकार निर्णय लेती हैं।
- **निर्यात नियंत्रण:** संवेदनशील AI क्षमताओं को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिये सरकारें AI प्रौद्योगिकियों के निर्यात को विनियमित कर सकती हैं।
- **अनुपालन और प्रमाणन:** AI डेवलपर्स को यह सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट प्रमाणन आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता हो सकती है कि उनकी AI प्रणालियाँ नियामक मानकों को पूरा करती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** AI की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए संघर्षों से बचने और सुसंगत मानकों को सुनिश्चित करने के लिये AI विनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता बढ़ रही है।

विश्व में प्रयुक्त प्रमुख AI नियामक कानून

- **यूरोपीय संघ (EU):** यूरोपीय संघ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम के मसौदे पर कार्य कर रहा है, जिसका लक्ष्य AI को व्यापक रूप से विनियमित करना है। इस विधान से AI के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसमें जोखिम वर्गीकरण, डेटा सब्जेक्ट अधिकार, शासन, दायित्व और प्रतिबंध शामिल हैं।
- **ब्राज़ील:** ब्राज़ील अपना पहला AI विनियमन विकसित करने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित विनियमन AI प्रणालियों से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देने, जोखिम के स्तर को वर्गीकृत करने और AI ऑपरेटरों के लिये शासन उपायों को लागू करने पर केंद्रित है। यह कई बातों में यूरोपीय संघ के AI अधिनियम के मसौदे से समानताएँ रखता है।

- **चीन:** चीन एल्गोरिथम अनुशंसा प्रणालियों और गहन संश्लेषण प्रौद्योगिकियों के लिये विशिष्ट प्रावधानों के साथ सक्रिय रूप से AI को विनियमित कर रहा है। चीन का साइबरस्पेस प्रशासन AI-जनित कंटेंट की सुरक्षा और परिशुद्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार कर रहा है।
- **जापान:** जापान ने AI डेवलपर्स और कंपनियों के लिये सामाजिक सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का एक सेट अपनाया है। हालाँकि ये उपाय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन ये उत्तरदायी AI विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- **कनाडा:** कनाडा ने डिजिटल चार्टर कार्यान्वयन अधिनियम (Digital Charter Implementation Act) 2022 पेश किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अधिनियम (AIDA) शामिल है। AIDA का लक्ष्य AI प्रणालियों में व्यापार को विनियमित करना और उच्च-प्रदर्शन AI से जुड़ी संभावित हानियों और पूर्वाग्रहों को संबोधित करना है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिका ने AI जोखिम प्रबंधन के लिये गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देश और अनुशंसाएँ जारी की हैं। व्हाइट हाउस ने स्वचालित प्रणालियों के विकास, उपयोग और तैनाती के लिये एक ब्लूप्रिंट भी प्रकाशित किया है।
- **भारत:** भारत AI विनियमन के लिये एक पर्यवेक्षी प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रहा है। वर्किंग पेपर दर्शाते हैं कि सरकार विभिन्न AI क्षेत्रों में उत्तरदायी AI और समन्वयन के लिये सिद्धांतों को पेश करने की मंशा रखती है।
  - भारत द्वारा उत्पन्न किये जा सकने वाले डेटा की विशाल मात्रा को देखते हुए, उसके पास 'ग्लोबल साउथ' के लिये एक नीति उदाहरण स्थापित करने का अवसर है। पर्यवेक्षक और अभ्यासकर्ता विनियमन के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर नज़र रखेंगे और देखेंगे कि वह किस प्रकार इसके संपार्श्विक जोखिमों के विरुद्ध AI की विकासात्मक क्षमता को संतुलित करता है।
  - एक क्षेत्र जहाँ भारत नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है, वह यह है कि नियामक उन बच्चों और किशोरों को किस प्रकार संबोधित करते हैं जो इस संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण (लेकिन अभी तक कम समझे गए) जनसांख्यिकीय भागीदार हैं।

बाल सुरक्षा के लिये सुदृढ़ AI विनियमन की आवश्यकता:

- **समग्र सुरक्षा के लिये AI का विनियमन:**
  - विनियमों को व्यसन, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों और समग्र सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिये प्रोत्साहनों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - अतिसंवेदनशील कमउम्र युवाओं का दोहन करने के लिये डेटा-हंगरी AI सेवाओं द्वारा भ्रामक अभ्यासों को नियोजित किये जाने के जोखिम मौजूद हैं।
- **शारीरिक छवि और साइबर खतरे:**
  - AI-संचालित शारीरिक बनावट की विकृतियाँ बच्चों और किशोरों में शारीरिक छवि (Body Image) संबंधी समस्याएँ पैदा कर सकती हैं।
  - भ्रामक सूचना के प्रसार, कट्टरपंथ, साइबरबुलिइंग और यौन उत्पीड़न में AI की भूमिका संभावित रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- परिवार की ऑनलाइन गतिविधि का प्रभाव:
  - माता-पिता द्वारा अपने बच्चों की तस्वीरें ऑनलाइन साझा करने से वे जोखिमों के संपर्क में आ सकते हैं।
- **डीप फेक की भेद्यताएँ:**
  - AI-संचालित डीप फेक (deep fakes) बच्चों को लक्षित कर सकते हैं, जिसमें रूपांतरित प्रकट कंटेंट वितरण (morphed explicit content distribution) शामिल हैं।
- **पहचान और पूर्वाग्रह:**
  - भारत में लिंग, जाति, जनजातीय पहचान, धर्म और भाषाई विरासत का एक विविध परिदृश्य पाया जाता है।
  - वास्तविक दुनिया के पूर्वाग्रहों का संभावित रूप से डिजिटल स्थान में भी प्रवेश हो सकता है, जिससे हाशिये पर अवस्थित समुदाय प्रभावित हो सकते हैं।
- **डेटा सुरक्षा कानूनों का पुनर्मूल्यांकन:**
  - भारत में वर्तमान डेटा सुरक्षा ढाँचे में बच्चों के हितों की रक्षा करने में प्रभावशीलता का अभाव है।
  - बच्चों के डेटा को ट्रैक करने पर प्रतिबंध डिफॉल्ट रूप से वैयक्तिकरण के लाभों को सीमित कर सकता है।

AI के लाभों को संरक्षित करते हुए भारत अपने बाल नागरिकों की सुरक्षा के लिये क्या कर सकता है?

- **यूनिसेफ के मार्गदर्शन से प्रेरणा लेना:**
  - बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित यूनिसेफ (UNICEF) का मार्गदर्शन बाल-केंद्रित AI के लिये नौ आवश्यकताओं पर बल देता है।
  - इस मार्गदर्शन का उपयोग एक ऐसे डिजिटल वातावरण के निर्माण के लिये किया जा सकता है जो बच्चों की भलाई, निष्पक्षता, सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दें।

- **सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाना:**
  - कैलिफोर्निया का अधिनियम एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, जो डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स में पारदर्शिता की वकालत करता है और एल्गोरिदम एवं डेटा संग्रह से बच्चों की संभावित हानि का आकलन करता है।
  - ऑस्ट्रेलिया की 'ऑनलाइन सेफ्टी यूथ एडवाइजरी काउंसिल' जैसी संस्थाओं की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है।
- **AI के लिये आयु-उपयुक्त डिज़ाइन कोड:**
  - भारतीय प्राधिकरणों को भारतीय बच्चों और किशोरों पर AI के प्रभाव के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के लिये अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - एकत्रित साक्ष्यों को AI के लिये भारतीय आयु-उपयुक्त डिज़ाइन कोड विकसित करने की नींव के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
- **डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA) की भूमिका:**
  - आगामी डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA) को AI के साथ अंत:क्रिया करने वाले बच्चों के लिये सुरक्षा की वृद्धि करनी चाहिये।
  - इसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म संचालन और उपयोगकर्ता इंटरफेस डिज़ाइन को बढ़ावा देना चाहिये।
- **बच्चों के अनुकूल AI उत्पाद और सेवाएँ:**
  - AI-संचालित प्लेटफॉर्मों को आयु-उपयुक्त कंटेंट और सेवाएँ प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिये जो शिक्षा, मनोरंजन और समग्र कल्याण को बढ़ावा दें।
  - सुदृढ़ अभिभावकीय नियंत्रण सुविधाएँ लागू की जानी चाहिये, जो माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखने और उन्हें सीमित करने की अनुमति दें।
- **डिजिटल फीडबैक चैनल:**
  - बच्चों के अनुकूल ऑनलाइन फीडबैक चैनल विकसित किये जाने चाहिये, जहाँ बच्चे AI से संबंधित अपने अनुभवों और चिंताओं को साझा कर सकें।
  - इनपुट संग्रह करने के लिये सर्वेक्षण और फ़ोरम जैसे इंटरैक्टिव टूल का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **संदेश का प्रसार:**
  - जन जागरूकता अभियानों को AI के भविष्य को आकार देने में बच्चों की भागीदारी के महत्त्व पर प्रकाश डालना चाहिये।
  - संदेश का प्रसार बढ़ाने के लिये इंफ्लुएंसर्स और रोल मॉडल को शामिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

तेज़ी से आगे बढ़ रहे AI के युग में भारतीय विनियमन को अपने बाल नागरिकों के हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये। वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों को शामिल करना, बच्चों के साथ संवाद को बढ़ावा देना और अनुकूलनीय विनियमन विकसित करना भारत के युवाओं के लिये एक सुरक्षित एवं लाभकारी डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम होंगे।

The Vision

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

1. ब्रिक्स (BRICS) अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों के साथ किस प्रकार सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा करता है? अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों के लिये ब्रिक्स के विस्तार और पहुँच के क्या निहितार्थ हैं?
2. वायु प्रदूषण का एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती के रूप में उभार हुआ है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिये। ऐसे उपाय सुझाइये जो वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम कर सकें और भावी पीढ़ियों के लिये स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकें।
3. भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम-प्रणाम कार्यक्रम इसमें कैसे मदद कर सकता है? चर्चा कीजिये।
4. खाद्य सुरक्षा एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है, जहाँ दुनिया भर में लाखों लोग भुखमरी और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में, वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में भारत की भूमिका की चर्चा कीजिये।
5. 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और इससे जुड़े लाभों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। इसे व्यवहार्य बनाने के लिये कुछ उपाय भी सुझाइये।
6. विश्व इस समय एक नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का उदय देख रहा है। पुरानी विश्व व्यवस्था के पतन के पीछे के कारणों की चर्चा कीजिये और बताइये कि भारत इस संक्रमण में किस प्रकार योगदान दे सकता है।
7. अनुभव बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सरल चीज़ें हमेशा आसान ही हों, लेकिन प्राय: वे सबसे प्रभावी समाधान होती हैं। इस आलोक में, लोगों को खाने-खिलाने के तरीकों के बारे में परामर्श देने के साथ-साथ उनकी प्रगति की निगरानी करना कुपोषण से निपटने में 'गेम-चेंजर' सिद्ध हो सकता है। टिप्पणी कीजिये।
8. मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और इसकी रणनीतियों को आकार देने में ब्रिक्स की उभरती भूमिका और इसके विस्तार के संबंध में चर्चा कीजिये।
9. भारत में जल की कमी में योगदान देने वाले प्रमुख कारक कौन-से हैं और इस गंभीर समस्या के समाधान के लिये कौन-सी रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं?
10. वैश्विक शासन एवं विकास के एक मंच के रूप में G20 की भूमिका और महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। अफ्रीका के साथ संलग्नता के विशेष संदर्भ में, वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता की उपलब्धियों एवं चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
11. अनुसंधान और चिकित्सा के लिये सिंथेटिक मानव भ्रूण के सृजन एवं उपयोग से संबद्ध वैज्ञानिक, नैतिक और विधिक निहितार्थों की चर्चा कीजिये।
12. निर्वाचन आयोग के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भारत में कुल मतदान लगातार कम बना हुआ है। वे कौन-से कारक हैं जो कुल मतदान को प्रभावित करते हैं? चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिये कुछ उपाय सुझाइये।
13. राज्यों के लिये बेहतर संसाधन आवंटन और राजकोषीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये भारत के राजकोषीय संघवाद में सुधार की आवश्यकता है। इस आलोक में, उन सुधारों को लाने के लिये 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के बारे में चर्चा कीजिये।
14. हाल की बहसों और कानूनी निर्णयों के आलोक में, देश के नामकरण में दोहरी भाषा के दृष्टिकोण को बनाए रखने के महत्त्व और निहितार्थ का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। इस परंपरा में किसी भी संभावित परिवर्तन से संबद्ध चुनौतियों और विचारों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कीजिये।
15. भारत सरकार अपनी जलवायु कार्रवाई रणनीति के एक प्रमुख घटक के रूप में भारतीय कार्बन बाज़ार (ICM) स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस संदर्भ में, कार्बन बाज़ार से जुड़े लाभों और चुनौतियों की चर्चा कीजिये। ICM भारत के जलवायु लक्ष्यों में किस प्रकार योगदान दे सकता है?
16. समकालीन समय में सार्वजनिक सेवा वितरण के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये और विस्तार से बताइये कि डिजिटल पब्लिक गुड्स सार्वजनिक सेवा वितरण की संवृद्धि के लिये किस प्रकार अधिक प्रभावी एवं कुशल वैकल्पिक उपाय प्रदान कर सकता है।
17. विभिन्न संस्थानों में महिला वैज्ञानिकों के लगातार कम प्रतिनिधित्व के लिये यह तर्क दिया जाता है कि 'पर्याप्त संख्या में महिलाएँ उपलब्ध नहीं हैं'। इस तर्क का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

नोट :

18. ''भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे (IMEC) में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को विकास के सामूहिक पथ पर अभूतपूर्व पैमाने पर एकीकृत करने की अविश्वसनीय क्षमता है।'' चर्चा कीजिये।
19. 'खालिस्तान' का मुद्दा भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? चर्चा कीजिए कि दोनों देश भविष्य के लिये अपनी रणनीतिक साझेदारी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
20. अब्राहम एकॉर्ड की सफलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। भारत के लिये अब्राहम एकॉर्ड के आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
21. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के निम्न प्रतिनिधित्व के कारणों का परीक्षण कीजिये। नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023 भारतीय राजनीति में लैंगिक अंतराल को कहाँ तक कम कर सकेगा?
22. भारत के संदर्भ में रचनात्मक उद्योगों के विकास से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की चर्चा कीजिये। राष्ट्रीय विकास के लिये रचनात्मक उद्योगों की पूरी क्षमता का दोहन कर सकने के उपाय भी सुझाइये।
23. G20 शिखर सम्मेलन में भारत की हाल की सफलताओं और उभरते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत की विदेश नीति के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये। एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये जिसे भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की प्रभावी ढंग से सुरक्षा हेतु अपनाना चाहिये।
24. विवाद समाधान के एक तंत्र के रूप में मध्यस्थता के विभिन्न लाभ होने के बावजूद, भारत में इसका अधिक उपयोग नहीं किया गया है। मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के विशेष संदर्भ में उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिये।
25. उन विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिये जिनसे जलवायु परिवर्तन संक्रामक रोगों के उभार और संचरण को प्रभावित करता है। इन जोखिमों को कम करने के लिये अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर विस्तार से प्रकाश डालिये।
26. जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अपार संभावनाएँ रखती है, यह निहित चुनौतियों से रहित भी नहीं है। बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सुदृढ़ AI विनियमन के महत्त्व की चर्चा कीजिये और इस आवश्यकता को संबोधित करने के लिये उपाय सुझाइये।

नोट :